वार्षिक प्रतिवेदन
ANNUAL REPORT
1998-99

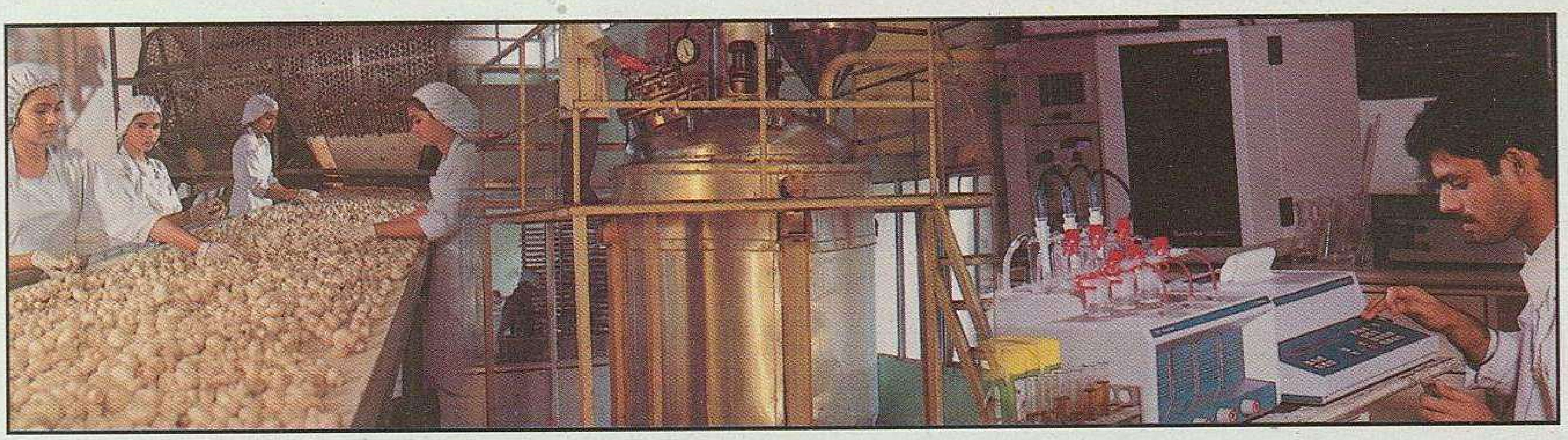

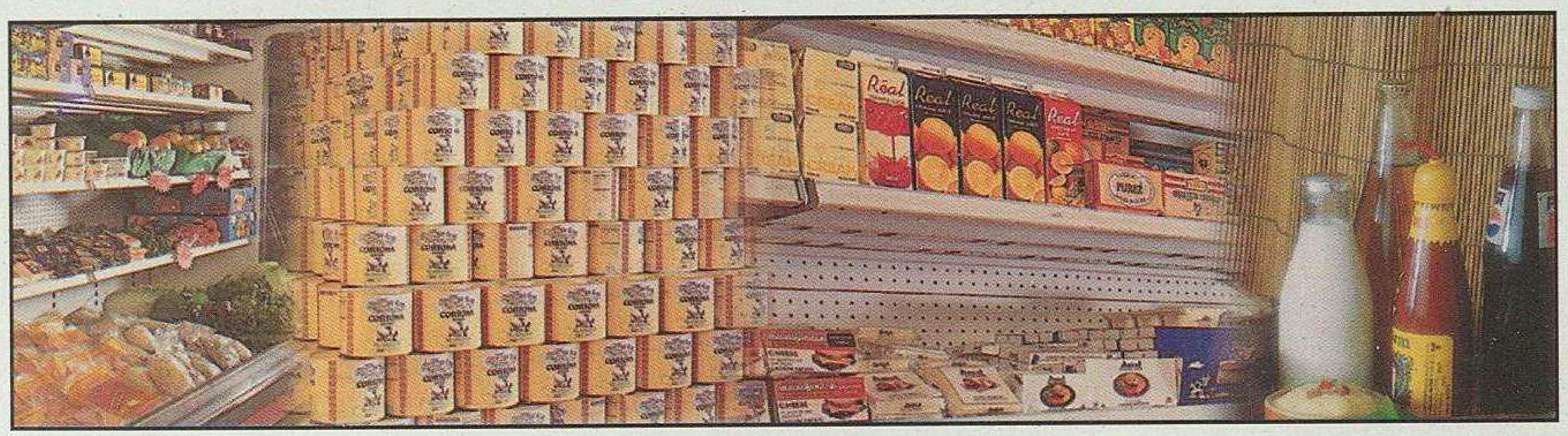

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
1998-99

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

PARLIAMENT LIBRARY
Central Govt. Publications
Acc. No. RC 101601
Date 24/7/99
(2)

विषय सूची
CONTENTS

		पृष्ठ संख्या Page No.
1.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (लक्ष्य और उद्देश्य) Ministry of Food Processing Industries (Goals & Objectives)	1
2.	मुख्य-मुख्य बातें Highlights	4
3.	योजना स्कीमें, विशेष संघटक योजना एवं जनजातीय उप योजना Plan Schemes, Special Component Plan & Tribal Sub Plan	10
4.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देना तथा बुनियादी सुविधा का विकास Promotion of Food Processing Industries and Development of Infrastructure Facility	17
5.	संवर्धन समर्थन Promotional Support	19
6.	अनुसंधान और विकास तथा मानव संसाधन विकास R&D and Human Resource Development	24
7.	खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता Food Safety & Quality	27
8.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम Public Sector Enterprises	29

अध्याय -1

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

लक्ष्य और उद्देश्य

पृष्ठभूमि

देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जुलाई, 1988 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की स्थापना की गई थी। यह महसूस किया जाता है कि एक मजबूत और कारगर खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र कृषि के विविधीकरण तथा व्यापारीकरण, कृषि उत्पाद को बढ़ाने, रोजगार और आय के अवसर पैदा करने तथा निर्यात के लिए कृषि खाद्य उत्पादों के उत्पादन में एक महत्पूर्ण भूमिका निभाता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और लक्ष्यों की सीमाओं के भीतर खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए नीति तथा योजनाएँ बनाने का काम करता है।

कार्य आबंटन

मंत्रालय को निम्नलिखित विषय आबंटित किए गए हैं:

1. फल तथा सब्जी प्रसंस्करण उद्योग (फ्रीजिंग और डीहाइड्रेशन समेत)
2. खाद्यान्न मिलिंग उद्योग
3. दूध पाउडर, शिशु दूध आहार, माल्टेड मिल्क फूड, कंडैन्सड मिल्क, घी आदि जैसे डेरी उत्पाद
4. पॉल्ट्री और अंडा, मांस तथा मांस उत्पादों की प्रोसेसिंग तथा रेफ्रिजरेशन
5. मछली प्रसंस्करण (डिब्बाबंदी और फ्रीजिंग समेत)
6. डबलरोटी, तिलहन, भोजन (खाद्य), नाश्ता आहार, बिस्कुट, मिष्ठान (कोको प्रसंस्करण और चॉकलेट उत्पादन समेत), माल्ट एक्सट्रैक्ट, प्रोटीन आइसोलेट, अधिक प्रोटीन वाले खाद्य, वीनिंग फूड और एक्सटूडिड खाद्य उत्पाद (खाने के लिए तैयार अन्य खाद्यों समेत) से संबंधित उद्योगों की योजना, विकास और नियंत्रण तथा सहायता
7. अल्कोहल रहित बियर समेत बियर
8. गैर सीरा आधारित अल्कोहल पेय
9. वातित जल/शीतय पेय और अन्य प्रसंस्कृत खाद्य
10. खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए विशेषीकृत पैकेजिंग
11. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए विकास परिषदों की स्थापना और सेवाएं उपलब्ध कराना
12. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को तकनीकी सहायता तथा परामर्श

लक्ष्य तथा उद्देश्य

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय प्रसंस्कृत खाद्यों के लिए भारत सरकार की नोडल एजेंसी है। यह निम्नलिखित पर जोर देते हुए एक मजबूत और गतिशील खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास के लिए उत्तरदायी है:-

- उपयुक्त प्रसंस्कृत खाद्यों की मांग को बढ़ावा देने
- अधिकतम मूल्यवर्धन और सहउत्पाद का उपयोग करने
- रोजगार के, खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के, ज्यादा से ज्यादा अवसर पैदा करने
- किसानों को आधुनिक प्रौद्योगिकी के लाभ प्रास करने में समर्थ बनाने
- निर्यात के लिए अधिशेष सृजित करने

आर्थिक उदारीकरण के युग में जहां निजी, सार्वजनिक और सहकारी क्षेत्र को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास में

Chapter 1

MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

GOALS & OBJECTIVES

BACKGROUND

The Ministry of Food Processing Industries was set up in July, 1988 to give an impetus to the development of food processing industries in the country. A strong and effective food processing sector plays a significant role in diversification and commercialisation of agriculture, improves value addition of the agricultural produce, generates employment, enhances income of farmers and creates surplus for export of agro foods. The Ministry of Food Processing Industries is concerned with the formulation and implementation of the policies and plans for the food processing industries within the overall national priorities and objectives.

ALLOCATION OF BUSINESS

The subjects allocated to the Ministry are as under :–

1. Fruit and vegetable processing industry(including freezing and dehydration).
2. Foodgrain milling industry.
3. Dairy products such as milk powder, infant milk food, malted food, condensed milk, ghee etc.
4. Processing and referigeration of poultry and eggs, meat & meat products.
5. Processing of fish (including canning and freezing).
6. Planning, development and control of, and assistance to industries relating to bread, oilseeds, meals (edible), breakfast foods, biscuits, confectionery (including cocoa processing and chocolate making), malt extract, protein isolate, high protein food, weaning food and extruded food products (including other ready-to-eat foods).
7. Beer, including non-alcoholic beer.
8. Alcoholic drinks from non-molasses base.
9. Aerated waters/soft drinks and other processed foods.
10. Specialised packaging for food processing industries.
11. Establishment and servicing of the Development Councils for food processing industries.
12. Technical assistance and advice to food processing industry.

GOALS & OBJECTIVES

The Ministry of Food Processing Industries is the nodal agency of the Government of India for processed foods and is responsible for developing a strong and vibrant food processing sector with emphasis on the following :–

- Stimulating demand for appropriate processed foods.
- Achieving maximum value addition and by-product utilisation.
- Creating increased job opportunities particularly in rural areas.
- Enabling farmers to reap the benefits of modern technology.
- Creating surpluses for exports.

In the era of economic liberalisation where the private, public and co-operative sectors are to play their rightful role in development of food processing sector, the Ministry acts as a catalyst for bringing in greater

अपनी उचित भूमिका निभानी पड़ती है, मंत्रालय इस क्षेत्र में अधिक पूंजी निवेश को बढ़ावा देने, उद्योग का सही दिशा में मार्गदर्शन करने तथा सहायता देने, निर्यात को बढ़ावा देने और इन उद्योगों के स्वस्थ विकास के लिए एक अनुरूप माहौल पैदा करने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है।

इन सभी उद्देश्यों की सीमा में रहते हुए मंत्रालय के निम्नलिखित लक्ष्य हैं :-

- किसानों की आय को बढ़ाने के लिए कृषि उत्पाद का बेहतर इस्तेमाल और मूल्यवर्धन करना
- कृषि खाद्य उत्पाद के भंडारण, ढुलाई और प्रसंस्करण के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास के जरिए खाद्य प्रसंस्करण श्रृंखला में सभी स्तरों पर अपव्यय को न्यूनतम करना
- घरेलू और बाहरी दोनों जरियों से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रवेश
- मूल कृषि उत्पाद के साथ-साथ प्रसंस्कृत खाद्य उद्योग के अवशेष और सहउत्पादों का इस्तेमाल
- उत्पाद और प्रक्रिया विकास तथा बेहतर पैकेजिंग के लिए खाद्य प्रसंस्करण में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन देना
- मूल्यवर्धित निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नीति समर्थन, प्रोत्साहनात्मक पहल और भौतिक सुविधाएँ उपलब्ध कराना

मंत्रालय की भूमिका

मोटे तौर पर मंत्रालय के कार्यों को निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है:

1. नीति समर्थन

(क) सभी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं एवं उद्देश्यों के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए नीति-निर्माण तथा कार्यान्वयन

(ख) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के स्वस्थ विकास हेतु एक नीति अनुरूप वातावरण के निर्माण की सुविधा प्रदान करना

(ग) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से संबंधित सीमा शुल्कों और शुल्कों को तर्कसंगत बनाने को बढ़ावा देना।

2. विकासात्मक

(क) विभिन्न योजना स्कीमों के तहत सहायता।

(ख) पारम्परिक प्रौद्योगिकियों पर विशेष बल देते हुए उत्पाद, प्रक्रिया और पैकेजिंग के विकास से संबंधित विभिन्न अनुसंधान और विकास कार्यकलापों को सहायता प्रदान करना और विभिन्न अनुसंधान और विकास संस्थानों को इसमें शामिल करके प्रसंस्करण में अनुसंधान और विकास के आधार को विस्तृत करना।

(ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में लगे कामगारों के साथ-साथ उद्यमियों की दक्षता को बेहतर बनाकर मानव संसाधन विकास करना।

(घ) विश्लेषण और जांच प्रयोगशालाओं की स्थापना, खाद्य मानकों को तय करने के साथ-साथ उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने में सक्रिय भागीदारी।

3. संवर्धनात्मक

(क) कार्यशालाओं, सेमिनारों, प्रदर्शनियों एवं मेलों आदि के आयोजन के लिए सहायता।

(ख) अध्ययनों / सर्वेक्षणों आदि के लिए सहायता।

(ग) प्रकाशन एवं फिल्में।

4. विनियामक

खाद्य उत्पाद आदेश (एफ.पी.ओ.) का कार्यान्वयन

संगठन

मंत्रालय के संगठन का ढांचा अनुलग्नक I (पृ. 33) पर दिया गया है।

investment into this sector, guiding and helping the industry in a proper direction, encouraging exports and creating a conducive environment for healthy growth of the food processing industry. Within this overall objective, the Ministry aims at :–.

- Better utilisation and value addition of agricultural produce for enhancement of income of farmers.
- Minimising wastage at all stages in the food processing chain by the development of infrastructure for storage, transportation and processing of agro-food produce.
- Induction of modern technology into the food processing industries from both domestic and external sources.
- Maximum utilisation of agricultural residues and by-products of the primary agricultural produce as also of the processed food industry.
- To encourage R&D in food processing for product and process development and improved packaging.
- To provide policy support, promotional initiatives and physical facilities to promote value added exports.

ROLE OF THE MINISTRY

The functions of the Ministry can be broadly classified as follows :–

1. **Policy Support**

a) Formulation and implementation of policies for food processing industries within overall national priorities and objectives.

b) Facilitating the creation of a conducive policy environment for healthy growth of the food processing sector.

c) Promoting rationalisation of tariffs and duties relating to food processing sector.

2. **Developmental**

a) Assistance under various plan schemes.

b) Widening the R&D base in food processing by involvement of various R&D institutes and support to various R&D activities relating to development of product, process and packaging with special emphasis on traditional technologies.

c) Human Resource Development both for entrepreneurs as well as the workers engaged in the food processing industry by upgradation of their skills.

d) Assistance for setting up analytical and testing laboratories, active participation in the laying down of food standards as well as their harmonisation with international standards.

3. **Promotional**

a) Assistance for organisation of workshops, seminars, exhibitions and fairs etc.,

b) Assistance for studies/surveys etc.,

c) Publications and films.

4. **Regulatory**

Implementation of Fruit Products Order (FPO).

ORGANISATION

The organisation structure of the Ministry is at Annexure-I (p. 33)

अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या

31.12.1998 की स्थिति के अनुसार मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की कुल स्वीकृत संख्या निम्नलिखित है:-

पद ग्रुप	स्वीकृत पदों की संख्या	धारित पदों की सख्या	
		अ.जा.	अ.ज.जा.
ग्रुप क	31	3	–
ग्रुप ख	45	8	3
ग्रुप ग	51	6	2
ग्रुप घ	20	6	–
कुल	147	23	5

फल तथा सब्जी परिरक्षण निदेशालय

ये कार्य मंत्रालय स्तर पर और फल तथा सब्जी प्रसंस्करण निदेशालय के जरिए किए जाते हैं।

फल तथा सब्जी परिरक्षण निदेशालय के चार कार्यालय दिल्ली, कलकत्ता, मुम्बई और चेन्नई में हैं। उपनिदेशक इन कार्यालयों के प्रधान होते हैं। दिल्ली और कलकत्ता के क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रशासनिक नियंत्रण में इसके दो उपकार्यालय क्रमश: लखनऊ और गुवाहाटी में भी हैं।

धान प्रसंस्करण अनुसंधान केंद्र:

धान प्रसंस्करण अनुसंधान केंद्र, तंजावुर मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक स्वायत्त निकाय है। इस केन्द्र की स्थापना तमिलनाडु सोसाइटी एक्ट के तहत पंजीकृत समिति के रूप में दिसम्बर, 1984 में की गई थी। यह केंद्र सुखाने, भंडारण, सेलीकरण, कुटाई, चोकर स्थिरीकरण और तेल निकालने जैसे सहउत्पादों के इस्तेमाल और धान प्रसंस्करण के विभिन्न प्रयोगात्मक पहलुओं पर मूल अनुसंधान कार्य करता है। केंद्र को सारा वित्त मंत्रालय द्वारा दिया जाता है।

अन्य एजेंसियों के साथ अंत: क्रिया

इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मंत्रालय भारत सरकार के कृषि, उद्योग, वाणिज्य और स्वास्थ्य मंत्रालय जैसे विभिन्न मंत्रालयों के अलावा विभिन्न राज्य सरकारों से उनके खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विभाग/ मंत्रालय अथवा नामित नोडल एजेंसियों के मार्फत अंत: क्रिया करता है जो संबंधित राज्य सरकारों के इस क्षेत्र से संबंधित कार्यक्रमों को लागू करने के लिए उत्तरदायी हैं। मंत्रालय कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, विभिन्न अनुसंधान और विकास संस्थानों, राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम, गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं के विभिन्न उद्योगों संघों जैसे विभिन्न उद्योग संवर्धनात्मक संगठनों के साथ भी अंत: क्रिया करता है।

* * *

STAFF STRENGTH

The total sanctioned strength of the Ministry as on 31.12.1998 is as follows :–.

Group of Posts	No. of sanctioned posts	No.of posts held by	
		SCs	STs
Group A	31	3	-
Group B	45	8	3
Group C	51	6	2
Group D	20	6	-
Total	147	23	5

DIRECTORATE OF F&VP

The regulatory functions are carried out at the Ministry level and also through the Directorate of Fruit and Vegetable Preservation (F&VP).

The Directorate of F&VP has four regional offices at Delhi, Calcutta, Madras and Mumbai headed by Deputy Directors and also has two sub-offices at Lucknow and Guwahati under the administration control of the regional offices at Delhi and Calcutta respectively.

PADDY PROCESSING RESEARCH CENTRE

The Paddy Processing Research Centre at Thanjavur is an autonomous body under the administrative control of the Ministry. This Centre was set up up in December, 1984 as a Society registered under the Tamil Nadu Societies Act.The Centre carries out basic research work on different applied aspects of rice processing and by-product utilisation like drying, storage, parboiling, milling, bran stablisation and oil extraction etc. The Centre is fully funded by this Ministry.

INTERFACE WITH OTHER AGENCIES

For achieving its objectives, the Ministry, apart from various Ministries of the Government of India like Agriculture, Industry, Commerce and Health interacts with various State Governments through their Departments/Ministry of Food Processing Industries or nominated nodal agencies which are responsible for implementing programmes relating to this sector in the concerned State Governments. The Ministry also interacts with various promotional organisations like Agricultural Products Export Development Authority (APEDA), Marine Products Export Development Authority(MPEDA), National Research Development Corporation (NRDC), National Co-operative Development Corporation (NCDC), National Horticulture Board, various R&D institutes and Quality Control Laboratories and various Industries Associations.

* * *

अध्याय 2

मुख्य मुख्य बातें

हाल में की गई पहल

खाद्य प्रसंस्करण उधोग को प्राथमिकता आधार पर ऋण प्राप्त करने के अधीन लाया गया

प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र को परियोजनाओं के लिए धन जुटाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि खाद्य प्रंसस्करण उद्योग अधिक जोखिम वाला क्षेत्र है जिसे पूरा होने में काफी समय लगता है तथा बदले में मिलने वाला लाभ भी कम होता है। इसके फलस्वरूप वित्तीय संस्थान इस क्षेत्र की परियोजनाओं पर उपयुक्त ध्यान नहीं देते। उधोग की मांग पर विचार करके और कृषि प्रसंस्कृत क्षेत्र के विकास की विशाल संभावनाओं को देखते हुए सरकार ने अब कृषि प्रसंस्कृत क्षेत्र को बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए प्राथमिकता क्षेत्र की परिभाषा में शामिल करने का निर्णय लिया है।

फल और सब्जी परिरक्षण निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालयों की भूमिका का विस्तार

उदारीकृत आर्थिक माहौल को देखते हुए मंत्रालय के अधीन फल तथा सब्जी परिरक्षण निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालयों की भूमिका में विस्तार किया गया है। आगे से ये कार्यालय मंत्रालय और राज्य नोडल एजेंसियों के बीच एक माध्यम के रूप में काम करेंगे, मंत्रालय की योजना स्कीमों और कार्यक्रमों से संबधित सूचना का प्रसार करेंगे, मंत्रालय द्वारा सहायता प्राप्त परियोजनाओं पर निगरानी रखेंगे, उद्यमियों का तकनीकी मार्ग दर्शन करेंगे तथा मंत्रालय द्वारा वित्त प्राप्त खाद्य प्रसंस्करण और प्रशिक्षण केन्द्रों को तकनीकी सहायता देंगे।

राज्य नोडल एजेन्सियों की बैठक
Meeting of State Nodal Agencies

Chapter - II

HIGHLIGHTS

RECENT INITIATIVES

Food Processing Sector Under Priority Lending

The Processed Food Sector had been facing serious problems in financing the projects as the food processing industries are high risk prone with long gestation period and the returns are small. As a result, the projects in this sector were not finding favourable consideration by the financial institutions. Considering the demand of the industry and in view of the vast potential of the growth of the agro-processing sector, the Government has now decided to include agro processing sector within the definition of "Priority Sector" for bank lending.

Expansion of the Role of Regional Offices of Directorate of Fruits & Vegetable Preservation

In view of the liberalized economic scenario, the role of regional offices of the Directorate of Fruit and Vegetable Preservation under the Ministry has been expanded. These offices will henceforth act as a link between the Ministry and the State Nodal Agencies, disseminate information on the plan schemes and programmes of the Ministry, monitor the projects assisted by the Ministry, provide technical guidance to the entrepreneurs and provide technical help to the Food Processing and Training Centres funded by the Ministry.

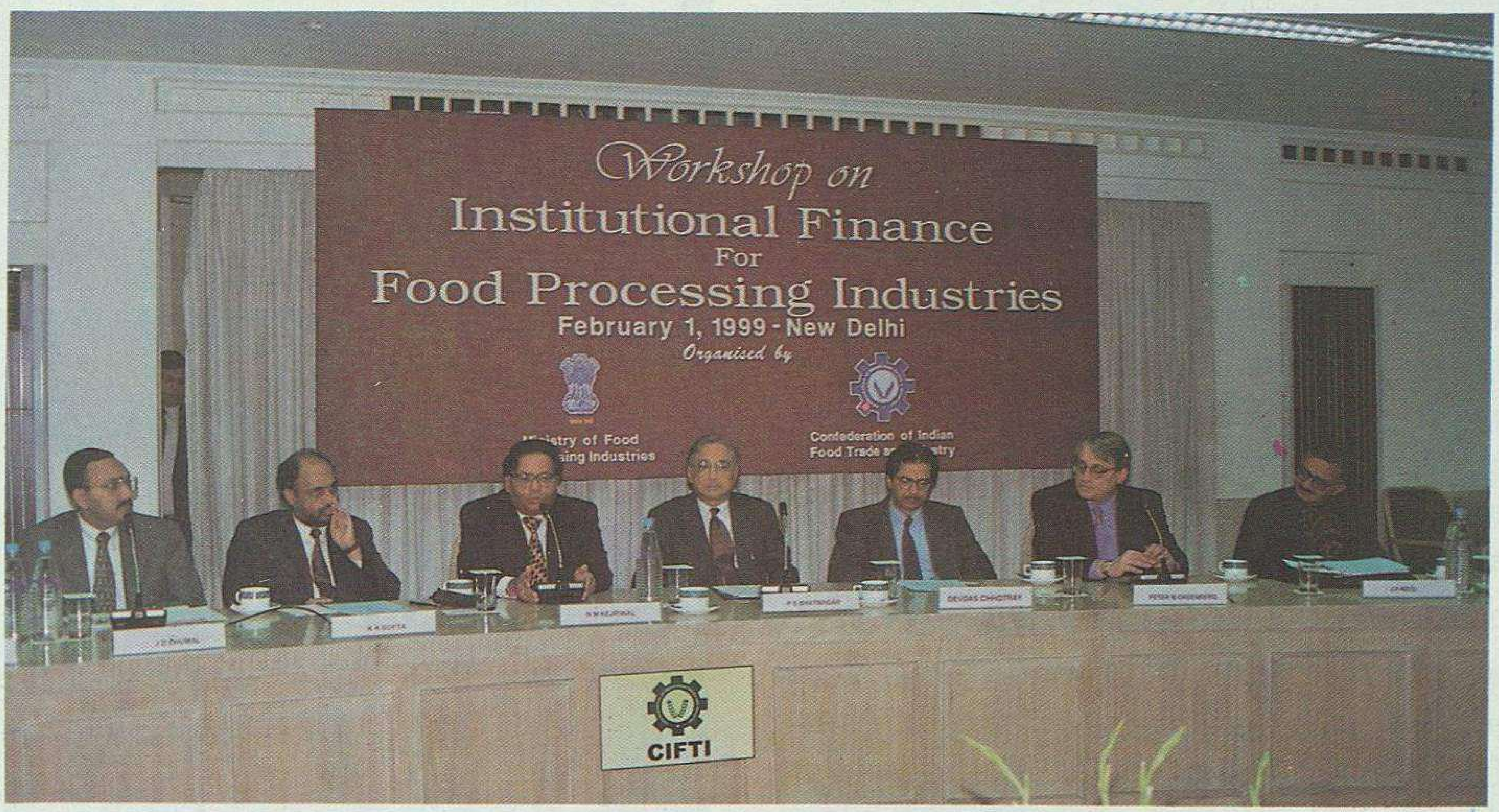

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए संस्थागत वित्त पर कार्यशाला

Workshop on institutional finance for food processing industries

राज्य नोडल एजेंसियों से परस्पर संपर्क

पं. बंगाल को छोड़कर अधिकांश राज्यों और संघशासित प्रदेशों के पास प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र के विकास के लिए अलग से कोई विभाग नहीं है। मंत्रालय ने राज्य सरकारों के साथ विचार विमर्श करके खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास के लिए किए जाने वाले सभी प्रयासों में समन्वय के वास्ते हर राज्य/संघ शासित प्रदेश में एक राज्य नोडल एजेंसी को नामित किया है। राज्य नोडल एजेसियों का एक सम्मेलन 11.1.99 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इससे राज्य नोडल एजेंसियों के सामने पेश आने वाली कठिनाइयों और इस सेक्टर के विकास के लिए क्षेत्रों का पता लगाने संबंधी जानकारी मिली।

निवेश

आर्थिक उदारीकरण के युग में जहां निजी, सार्वजनिक और सहकारी क्षेत्रों को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास में अपनी सार्थक भूमिका निभानी होती है, मंत्रालय इस क्षेत्र में अधिक् पूंजी निवेश को बढ़ावा देने में एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है।

अगस्त 91 से दिसम्बर 1998 तक खाद्य प्रसंस्करण के विभिन्न क्षेत्रों के लिए 53490 करोड़ रु. के पूंजी निवेश वाले और लगभग 7.40 लाख व्यक्तियों को रोजगार देने वाले 4676 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन प्राप्त हुए है। इस अवधि के दौरान पेश किए गए 3999 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन जिनमें 46924 करोड़ रु. का पूंजी निवेश तथा लगभग 6.73 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करने का प्रावधान है, गैर शहरी क्षेत्रों के लिए थे। इनमें से लगभग 39 प्रतिशत निवेश पिछड़े इलाकों के लिए है। इनमें से 646 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन जिनमें लगभग 7375 करोड़ रु. का निवेश और 81686 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार देने का प्रावधान है, पहले ही कार्यान्वित किये जा चुके हैं।

इसी अवधि के दौरान सरकार ने औद्योगिक लाइसेंस और शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी यूनिटों की स्थापना के 1089 प्रस्तावों को अनुमोदित किया है जिसमें 18,685 करोड़ रु. से अधिक का निवेश शामिल है और इनसे लगभग 2.70 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। इनमें से 206 प्रस्तावों को लागू किया जा चुका है। इनमें 3836 करोड़ रु. का निवेश शामिल है और इससे लगभग 0.86 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। कुल प्रस्तावित 72175 करोड़ रु. के निवेश में से विदेशी निवेश की मात्रा 8809 करोड़ रु. है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की 8809 करोड़ रु. के कुल प्रस्तावित विदेशी निवेश में से दिसम्बर 1998 तक 1850 करोड़ का निवेश हुआ है। इन प्रस्तावित निवेशों का क्षेत्रवार ब्यौरा अनुलग्नक-II (पृ. 34) पर दिया गया है।

उद्योग की वृद्धि

(i) अनाज प्रसंस्करण

मंत्रालय द्वारा समय-समय पर किए गए निरन्तर प्रयासों के लिए परिणामस्वरूप आधुनिक/आधुनिकीकृत चावल मिलों की

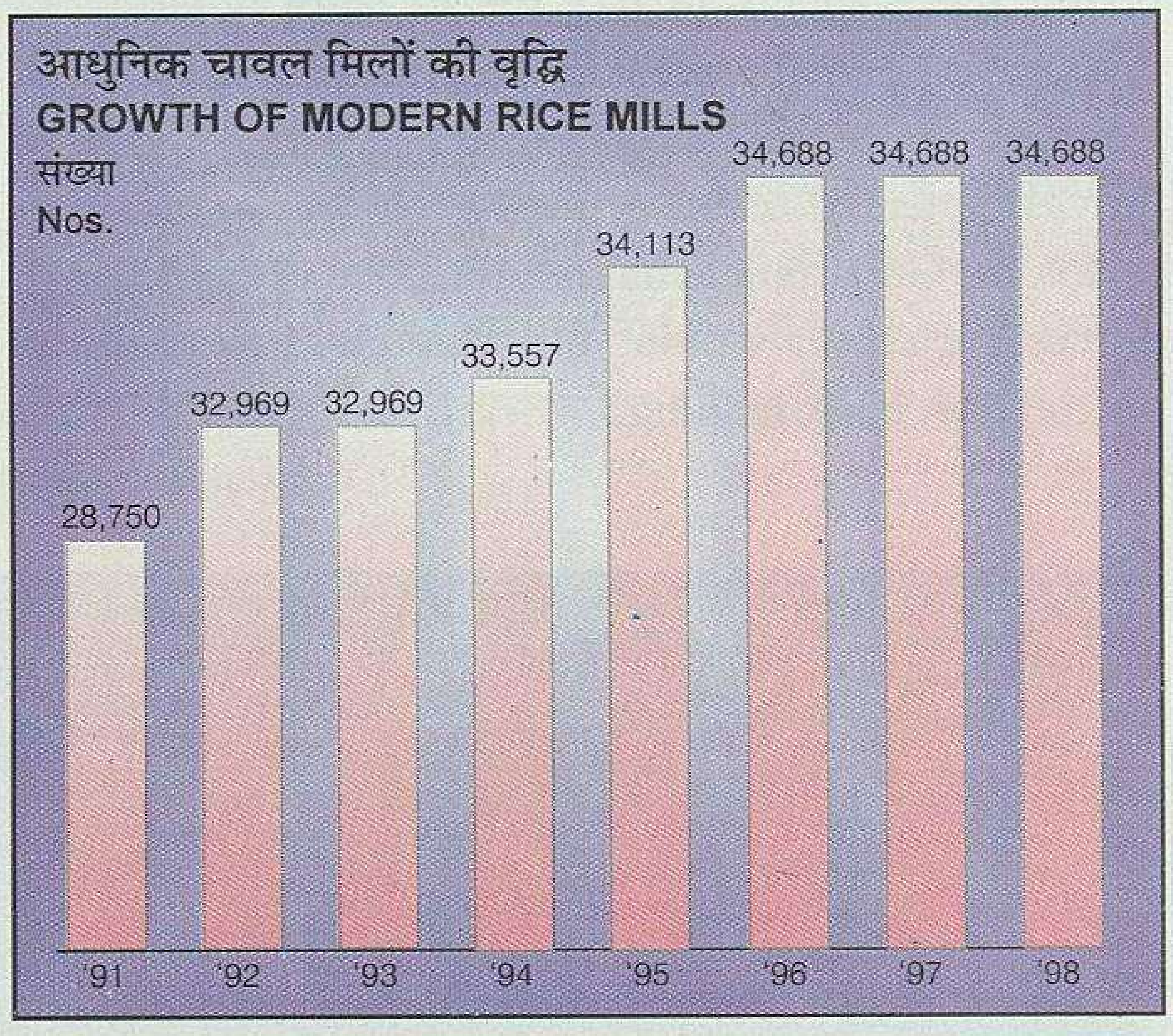

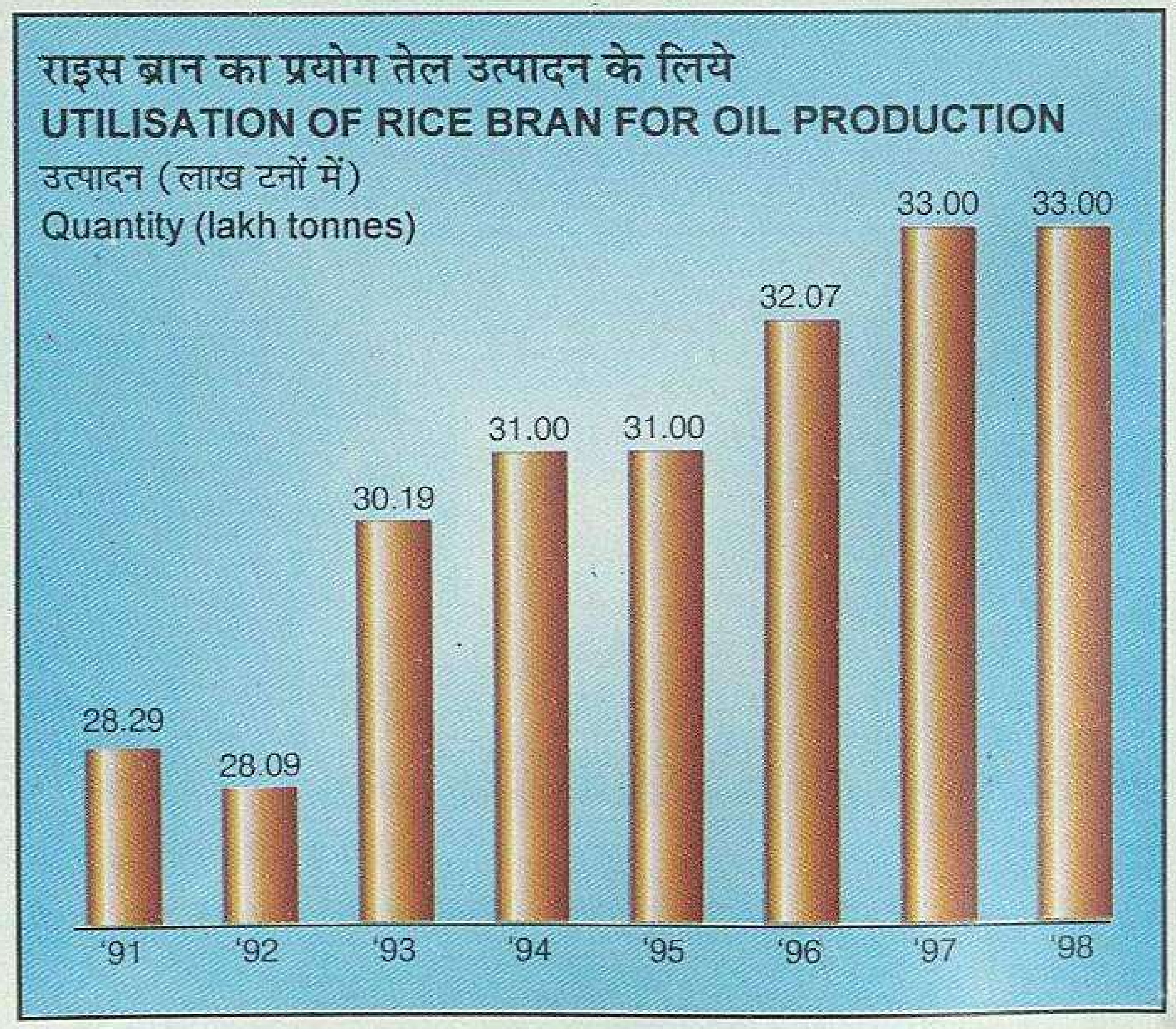

Interaction with State Nodal Agencies

Most of the States & Union Territories, except for West Bengal, do not have a separate department for the processed food sector. Ministry in consultation with the state Governments has nominated a State Nodal Agency in each State/Union Territory for coordinating all efforts towards development of food processing sector. A conference of the State Nodal Agencies was held on 11.1.99 at New Delhi. The conference provided useful feedback on problems faced by State Nodal Agencies and identifying areas for development of this sector.

INVESTMENTS

In the era of economic liberalisation where the private, public and cooperative sectors are to play their rightful role in development of food processing industries, Ministry acts as a catalyst for bringing in greater investments into this sector.

Since August 1991 till December 1998, 4676 Industrial Entrepreneur Memorandas (IEMs) envisaging an investment of Rs.53490 crores and direct employment of approximately 7.40 lakh persons have been received for various sectors of food processing. Out of the IEMs filed during this period, 3999 IEMs envisaging an investment of Rs.46924 crores and direct employment of approximately 6.73 lakh persons are for non-urban areas. About 39% of these investments are for backward areas. Of these, 646 IEMs envisaging an investment of approximately Rs.7375 crores and direct employment of 81686 persons have already been implemented.

During the same period, Government has also approved 1089 proposals of industrial licences and 100% export oriented units, envisaging an investment of over Rs. 18685 crores and direct employment of approximately 2.70 lakh persons. Out of these, 206 proposals envisaging an investment of Rs.3,836 crores and direct employment of approximately 0.86 lakh persons have already been implemented. Out of the total proposed investment of Rs. 72175 crores, foreign investment envisaged is Rs. 8809 crores. Out of the total proposed foreign investment of Rs. 8809 crores in the food processing sector, the actual inflow till December 1998 is over Rs.1850 crores. Sectorwise details of the proposed investments is at Annexure-II (p. 34).

GROWTH OF INDUSTRY

(i) Grain Processing

Due to the constant efforts made by the Ministry from time to time, the number of modern/modernised

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक आधुनिक लघु चावल मिल।
A modern mini rice mill for rural areas.

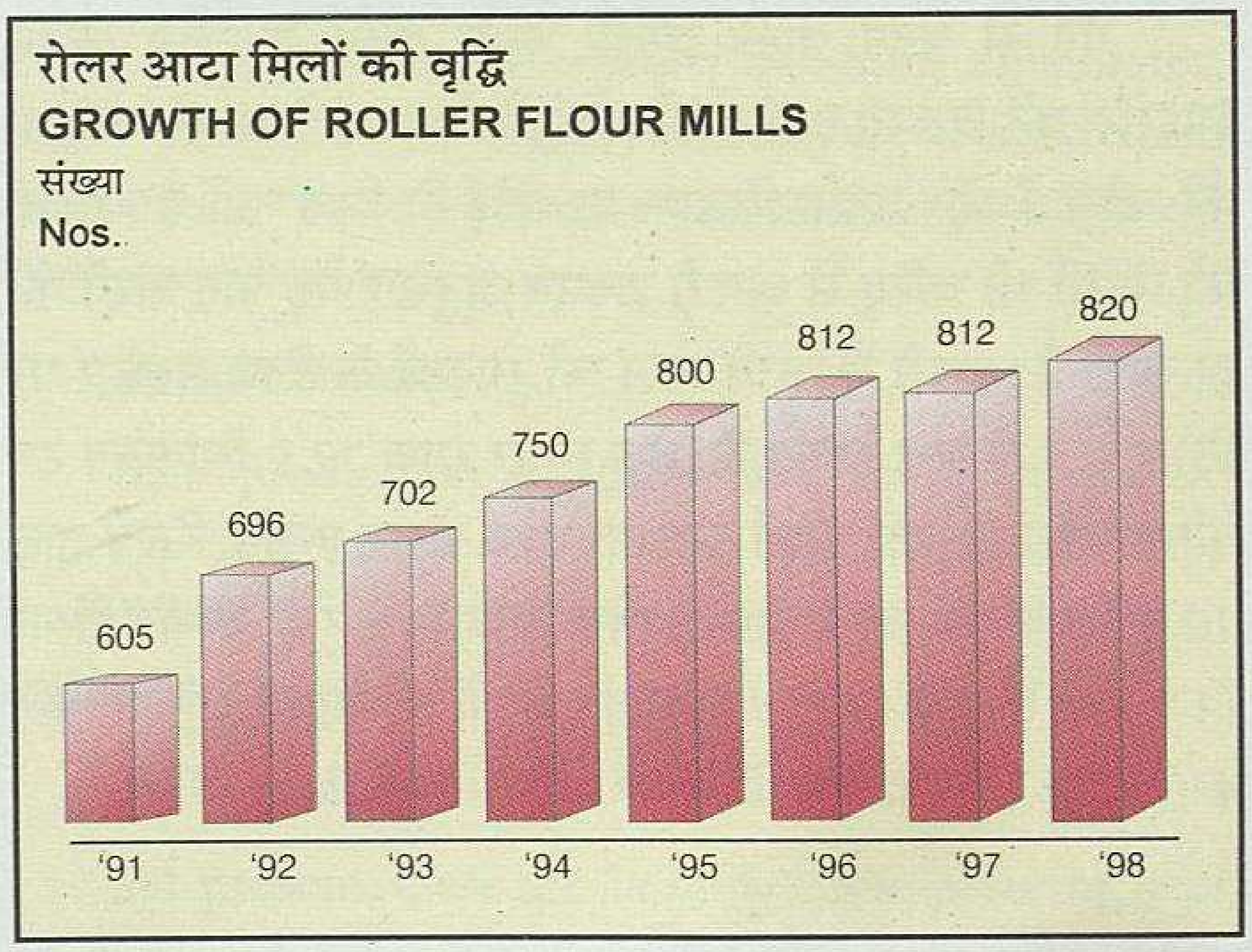

संख्या जो वस्तुत: 1970 में लगभग शून्य थी, 1.1.1998 तक बढ़कर 34688 हो गई है। सभी चावल मिलों का ब्यौरा अनुलग्नक-3 (पृ. 35) पर दिया गया है। इन आधुनिक/ आधुनिकीकृत चावल मिलों से ब्रान की उन्नत उपलब्धता के परिणामस्वरूप, ब्रान का प्रसंस्करण वर्ष 1998-1999 में लगभग 33 लाख टन तक होने का अनुमान है।

सेमिनारों, समूह वार्ता/ प्रदर्शन यूनिटों की स्थापना और तकनीकी साहित्य तैयार करके धान कुटाई उधोग के आधुनिकीकरण और सह उत्पादों के लाभ का प्रसार करने के लिए विभिन्न राज्यों में कृषि विश्वविद्यालयों/ अनुसंधान संस्थानों में 13 क्षेत्रीय विस्तार सेवा केन्द्र स्थापित किए गए हैं। तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर; भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर; हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी संस्थान; कानपुर और महात्मा फुले कृषि विश्वविद्यालय में स्थापित किए गए 4 चावल मिल तथा सहायक उपकरण जांच केंद्रों ने मशीनरी निर्माताओं और मिलरों को उपकरणों की जांच के साथ-साथ मशीनरी के चयन, प्रचालन और रख रखाव में जरूरी सहायता उपलब्ध कराकर अपने काम को जारी रखा।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर स्थित फसलोत्तर प्रौद्योगिकी केंद्र एम.टेक, पी.एच.डी. और डाक्टरोत्तर डिग्री प्राप्त करने के लिए दीर्घ अवधि पाठ्यक्रम चलाता है तथा प्रबंधकों/ मिल चलाने वालों के लिए लघु अवधि पाठ्यक्रम भी चलाता है। केंद्र उद्योग की जरूरत को देखते हुए अनुसंधान और विकास परियोजना भी चलाता है।

गेंहू से बनने वाली वस्तुएं तैयार करने के लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं होती। गेहूं से तैयार होने वाली वस्तुओं की कीमतों और उनके वितरण पर कोई नियंत्रण नहीं है। मिलों को किसी भी जरिए से अपनी जरूरत अनुसार गेहूं प्राप्त करने की आजादी है। इससे वे कच्चे माल की सप्लाई के लिए सरकार पर निर्भर होने से बच सकते हैं। देश में हर साल 19.5 मिलियन टन की स्थापित क्षमता वाली लगभग 820 रोलर फलोर मिलों द्वारा 10.5 मिलियन टन गेहूं से अनेक प्रकार के गेहूं उत्पाद तैयार किए जाते हैं। राज्यवार रोलर फलोर मिलों की संख्या अनुलग्नक-4 (पृ. 36) पर दी गई है।

(ii) उपभोक्ता खाद्य उद्योग

उपभोक्ता खाद्य उद्योग के अंतर्गत मुख्यत: पास्ता उत्पाद, कोको आधारित उत्पाद, बेकरी उत्पाद, बिस्कुट, शीतल पेय आदि जैसे खाने के लिए तैयार या पकाने के लिए तैयार उत्पाद आते हैं।

क) बेकरी

भारत में बेकरी उद्योग प्रसंस्कृत खाद्य उद्योगों में संभवत: ऐसा सबसे बड़ा उद्योग है जिसका उत्पादन देश में लगातार बढ़ रहा है। ब्रेड तथा बिस्कुट दो प्रमुख बेकरी उद्योग हैं जो कुल बेकरी उत्पादों का लगभग 82% है। बेकरी उत्पाद जिसमें ब्रेड, बिस्कुट, पेस्ट्री, केक, बन, रस्क आदि शामिल हैं और जो अधिकतर असंगठित क्षेत्र में हैं, का वार्षिक अनुमानित उत्पादन 30 लाख टन से अधिक है। देश में संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में ब्रेड तथा बिस्कुट का उत्पादन क्रमश: 15 लाख टन तथा 11 लाख टन होने का अनुमान है। ब्रेड तथा बिस्कुट के कुल उत्पादन का लगभग 35% संगठित क्षेत्र तथा शेष असंगठित क्षेत्र में तैयार किया जाता है।

एक अन्य गेहूँ आधारित उत्पाद ख्याति प्राप्त कर रहा है। इसे पास्ता उत्पाद के प्रचलित नाम से जाना जाता है। इसमें नूडल्स, सेवई, मैकरोनी तथा स्पेगेटी शामिल है।

ख) कोको उत्पाद

चाकलेट, पेय चाकलेट, कोको बटर, कोको बटर स्थानापन्न, कोको आधारित माल्टेड दूध आहार जैसे कोको उत्पादों के निर्माण में 20 यूनिट कार्यरत हैं, जिनके द्वारा लगभग 34 हजार टन उत्पादन किया जाता है।

ग) शीतल पेय

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान शीतल पेय का उत्पादन वर्ष 1997-98 में 4920 मिलियन बोतल की तुलना में बढ़कर 5670 मिलियन बोतल हो गया है।

घ) बीयर और अल्कोहल पेय

इस समय भारत सरकार से प्राप्त लाइसेंस के तहत लगभग

rice mills has gone up from practically nil in 1970 to 34688 as on 01.01.1999. Statewise number of all the rice mills is given at Aneexure-III (p. 35). As a result of improved availability of bran from these modern and modernised mills, the processing of bran is estimated to be around 33 lakh tonnes in 1998-99.

Thirteen Regional Extension Service Centres have been set up in various states with Agricultural Universities/Research institutions for propagating the benefits of modernisation of rice milling industry and by-product utilisation through organising seminars, group discussions/ setting up demonstration units and preparation of technical literature etc. Four Rice Mills & Allied Equipment Testing Centres set up at Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore; Indian Institute of Technology, Kharagpur; Harcourt Butler Technological Institute, Kanpur; and Mahatma Phule Agriculture University, Pune are continuing their activities by providing necessary assistance to machinery manufacturers and millers for testing of equipments, as well as for selection, operation and maintenance of machinery. Post-Harvest Technology Centre at Indian Institute of Technology (IIT), Kharagpur, offers training courses of long term duration leading to M.Tech, Ph.D. & Post Doctoral Degree and also short term courses for managers/ mill operators etc. The centre also undertakes research & development project as per need of the industry.

No licence is required for manufacture of wheat products. There are no controls on price and distribution of wheat products. The mills have been given a free hand to obtain their requirements of wheat from any source, thereby avoiding their dependence on government for supply of raw materials. Nearly 10.5 million tonnes of wheat is converted into various wheat products by about 820 roller flour mills in the country every year against an installed capacity of 19.5 million tonnes. Statewise number of roller flour mills is at Annexure-IV (p. 36).

(ii) Consumer Food Industries

The consumer food industry mainly consists of ready-to-eat or ready-to-cook products such as pasta products, cocoa based products, bakery products, biscuits, soft drinks, etc.

a) Bakery

Bakery industry in India is probably the largest among the processed food industries, production of which has been increasing steadily in the country. The two major bakery industries, viz., bread and biscuit account for about 82% of the total bakery products. The annual production of bakery products which includes bread, biscuits, pasteries, cakes, buns, rusk, etc., most of which are in the unorganised sector, is estimated to be in excess of 30 lakh tonnes. The production of bread and biscuits in the country, both in the organised and unorganized sectors, is estimated to be around 15 lakh tonnes and 11 lakh tonnes respectively. Of the total production of bread and biscuits, about 35% is produced in the organised sector and the remaining is manufactured in the unorganized sector.

Another wheat based product known by its generic name, pasta products, comprising of noodles, vermicelli, macaroni and spaghetti is gaining popularity.

b) Cocoa Products

There are 20 units engaged in the manufacture of cocoa products like chocolates, drinking chocolates, cocoa butter, cocoa butter substitutes, cocoa based malted milk foods with a production of approximately 34 thousand tonnes.

c) Soft Drinks

The production of soft drinks during the period under review has increased from 4920 million bottles in 1997-98 to 5670 million bottles during the period under review.

d) Beer & Alcoholic Drinks

At present, there are 36 units manufacturing beer

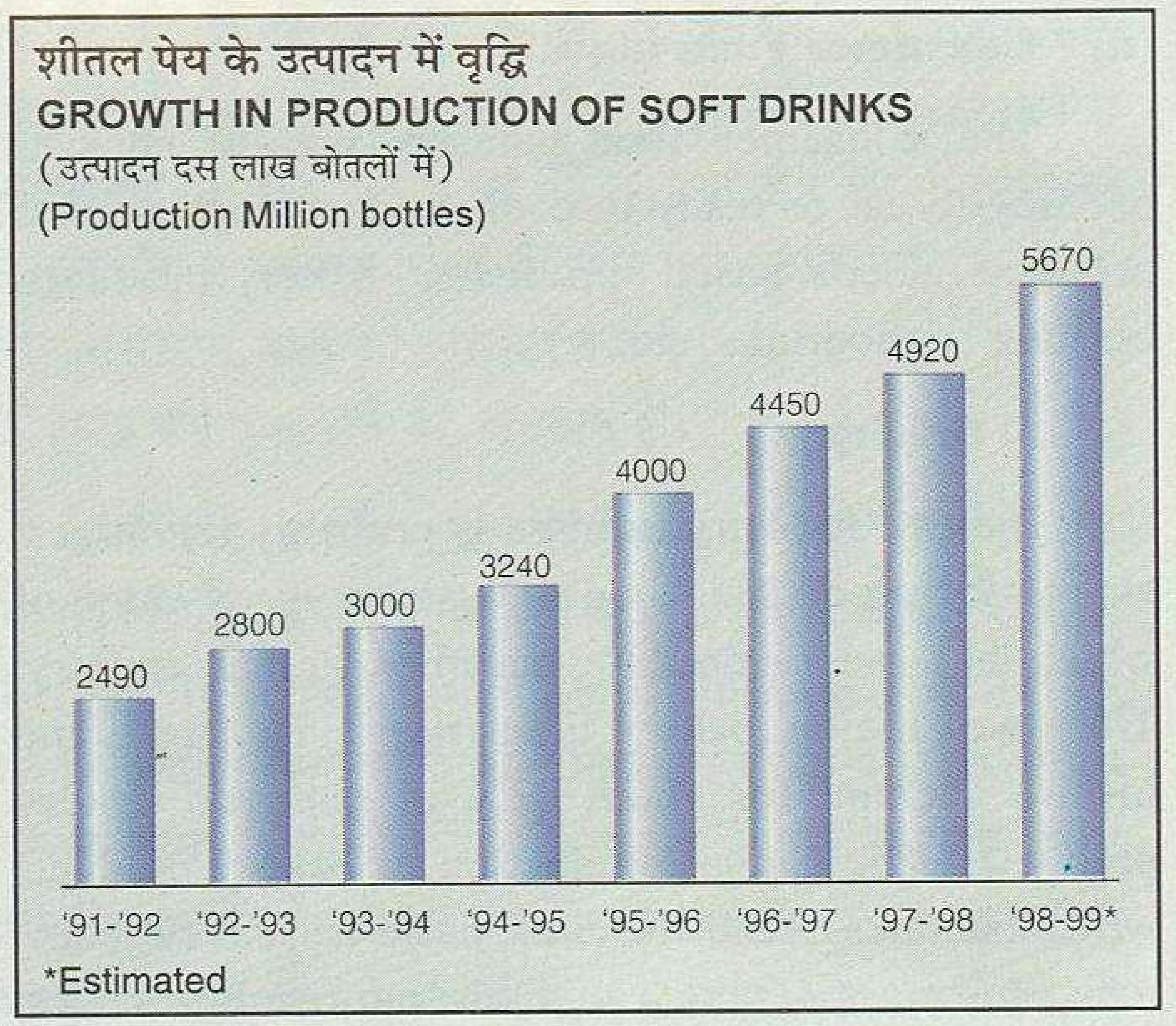

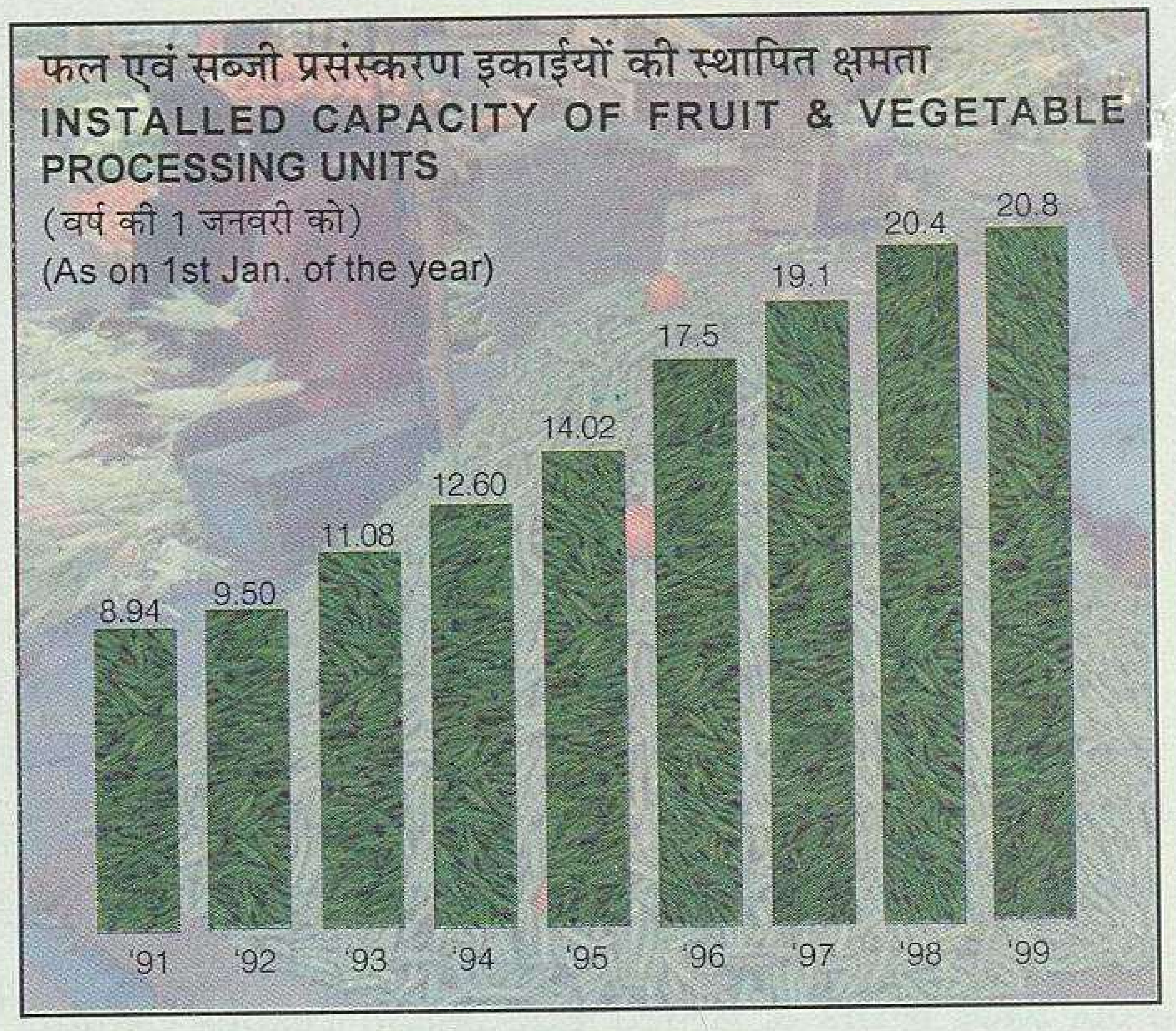

36 यूनिटें सालाना लगभग 4.33 लाख किलोलीटर बीयर का निर्माण कर रही हैं। दूसरी तरफ, अल्कोहल पेयों के कुल उत्पादन की तुलना में देश में गैर शीरा आधारित साधनों से तैयार की जाने वाली अल्कोहल की मात्रा बहुत कम है। पर बहुस सी विदेश कंपनियों द्वारा गैर शीरा आधारित अल्कोहल पेय तैयार किए जाने के फलस्वरूप ये पेय घरेलू बाजार में लोकप्रिय हो रहे हैं।

(iii) फल एवं सब्जी प्रसंस्करण उद्योग

फल एवं सब्जी प्रसंस्करण उद्योग की अनुमानित स्थापित क्षमता वर्ष 1997 में 20.4 लाख टन से बढ़कर वर्ष 1998 में 20.8 लाख टन हो गई है। देश में प्रसंस्कृत फल एवं सब्जियों का उत्पादन वर्ष 1997 में 9.1 लाख टन से बढ़कर 1998 में 9.4 टन हो गया है। इसी अवधि के दौरान फल उत्पाद आदेश (एफ.पी.ओ.), 1955 के तहत लाइसेंसों की संख्या 1997 में 4932 से बढ़कर 5112 हो गई।

(iv) दूध तथा दूध उत्पाद

वर्ष 1998-99 के दौरान डेरी उद्योग के मामले में भारत एक और उपलब्धि प्राप्त करेगा। वर्ष 1997-98 में हुए 71 मिलियन टन दूध के उत्पादन की तुलना में 74 मिलियन टन दूध के उत्पादन के अनुमानित लक्ष्य से भारत विश्व में दूध उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश बन जाएगा।

शिशु दूध आहार समेत दूध के पाउडर के अनुमानित उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। 1997 में इसका 2.15 लाख टन उत्पादन हुआ था जबकि 1998 में 2.22 लाख टन उत्पादन हुआ है। माल्टेड फूट प्रोडक्ट का अनुमानित उत्पादन भी बढ़ा है। 1997 में इसका 55,000 टन उत्पादन हुआ था जबकि 1998 में यह बढ़कर 65,000 टन हो गया है। अनुमान है कि वर्ष 1998 में संगठित क्षेत्र में 5,000 टन पनीर का उत्पादन हुआ है। कंडेंस्ड मिल्क का उत्पादन भी बढ़ा है। वर्ष 1997 में इसका 7,800 टन उत्पादन हुआ था जबकि 1998 में 9,000 टन उत्पादन हुआ है।

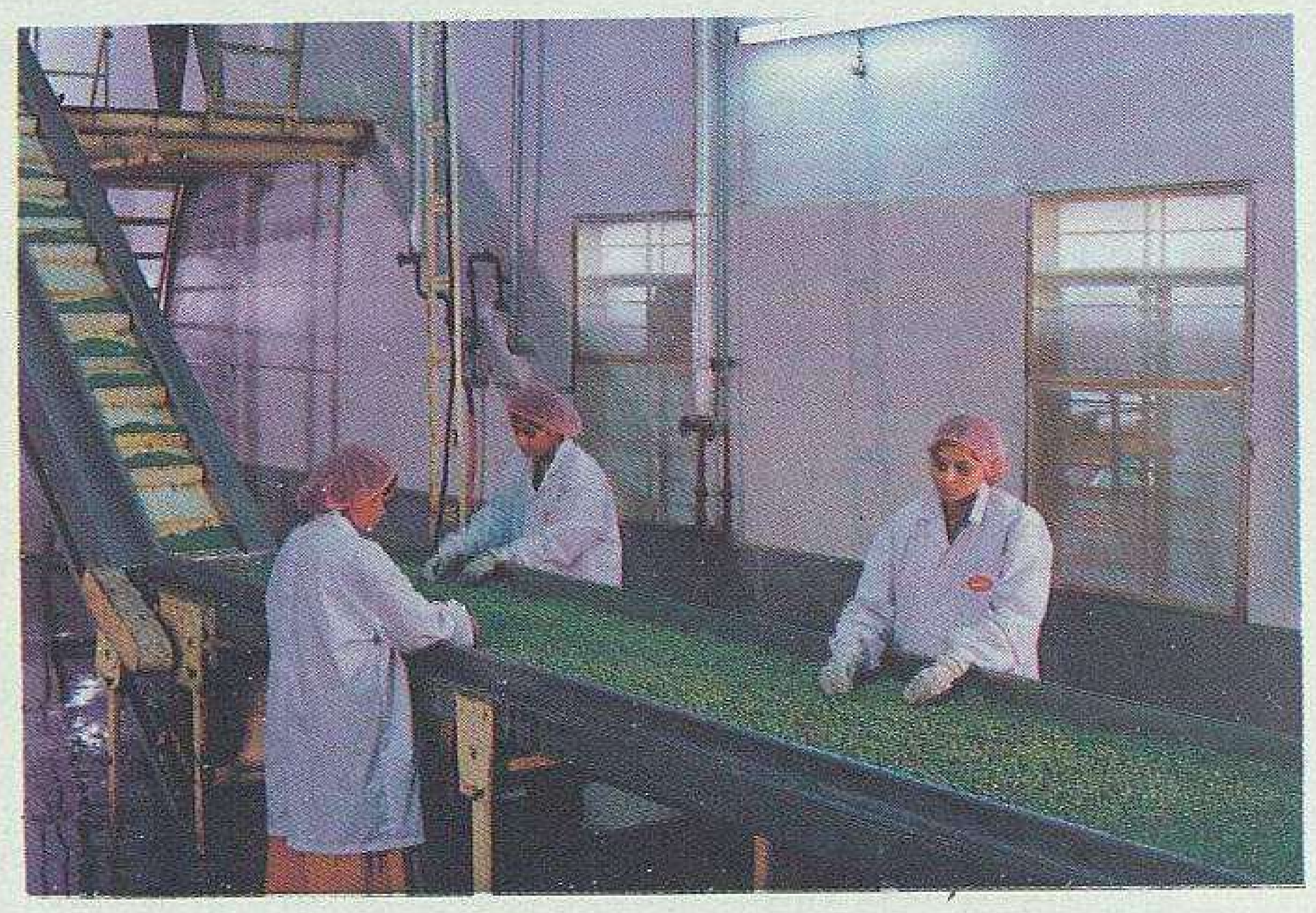

अलग-अलग जल्दी फ्रीजिंग करने से पहले मटरों का निरीक्षण
Inspection of Peas prior to Individually Quick Freezing (IQF)

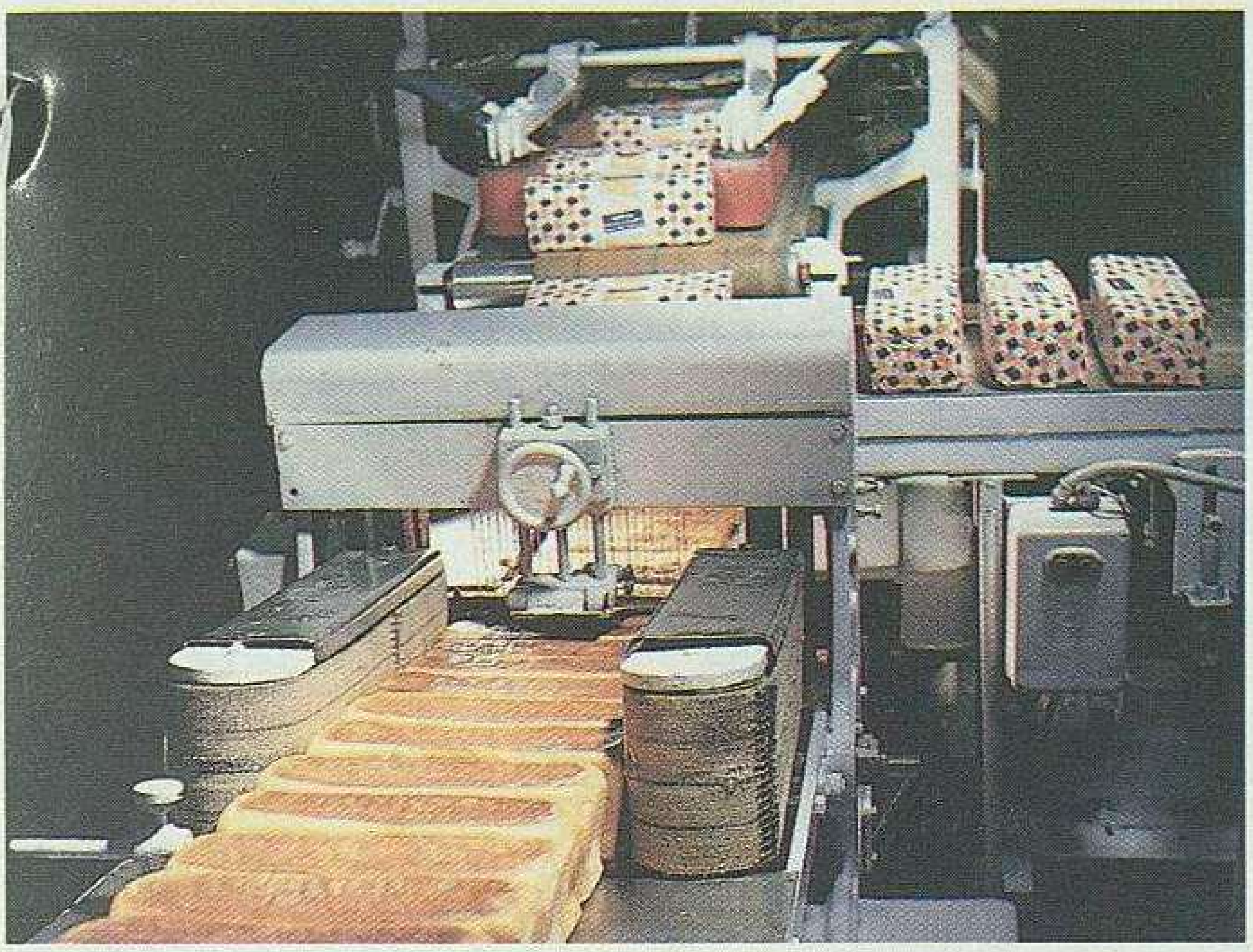

डबल-रोटी स्लाइसिंग और रैपिंग मशीन
Bread slicing and wrapping machine

under licence from Government of India having an estimated output of 4.33 lakh KL per annum. On the other hand, the production of alcoholic drinks from non-molasses sources is very small in the country compared to the total production of alcoholic drinks. However, with various foreign companies producing non-molasses alcoholic drinks such drinks are gaining popularity in the domestic market.

iii) Fruit & Vegetable Processing Industries

The estimated installed capacity of fruit and vegetable processing industries has increased from 20.4 lakh tonnes in 1997 to 20.8 lakh tonnes in 1998. The production of processed fruits and vegetables in the country has increased from 9.1 lakh tonnes in 1997 to 9.4 lakh tonnes in 1998. During the same period the number of licences issued under Fruit Product Order (FPO), 1955 has increased to 5112 from 4932.

iv) Milk & Milk Products

During the year 1998-99, dairying in India would achieve another milestone. With its milk production projected to be 74 million tonnes as against 71 million tonnes during 1997-98, India would become the largest milk producing country in the world.

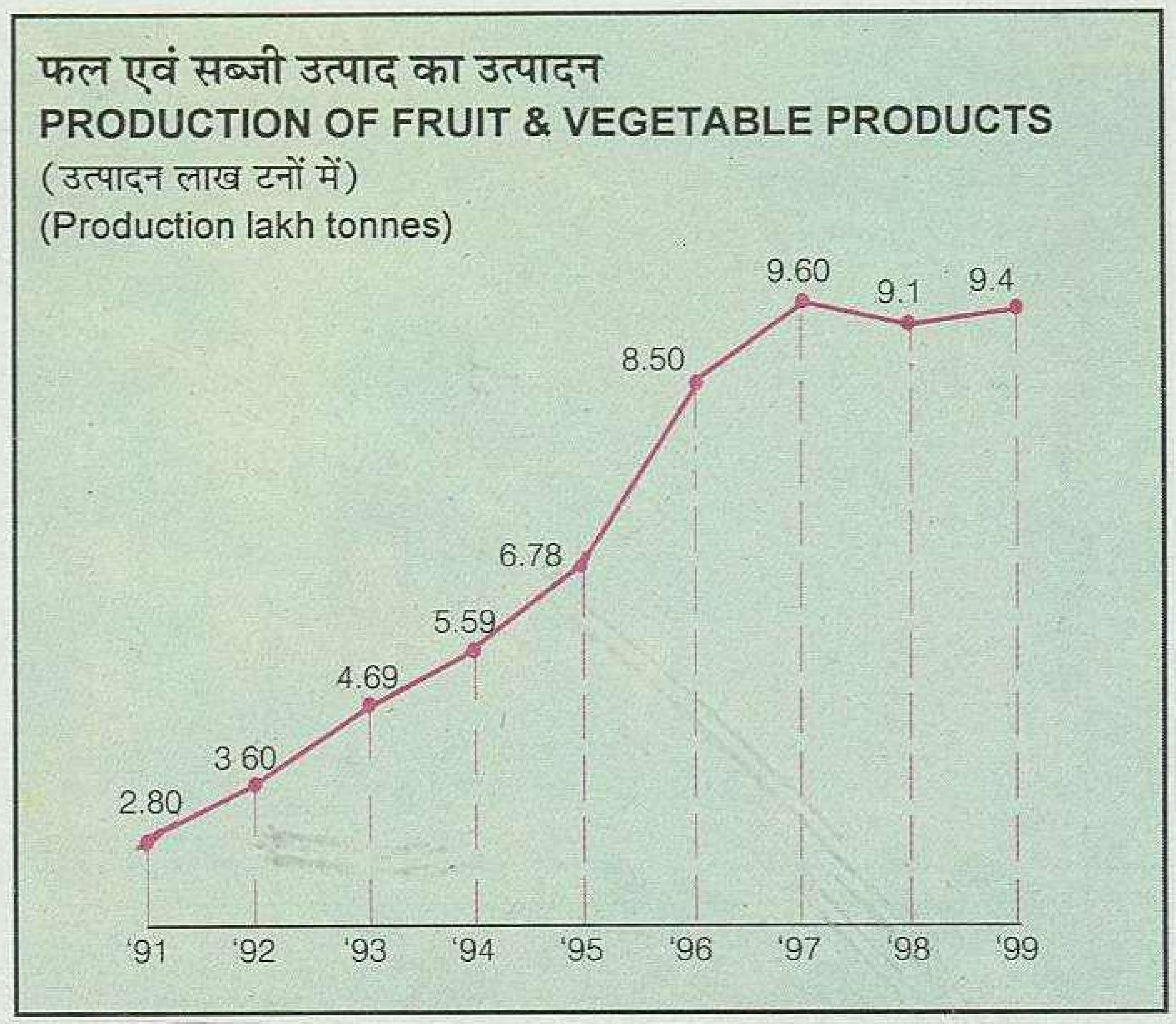

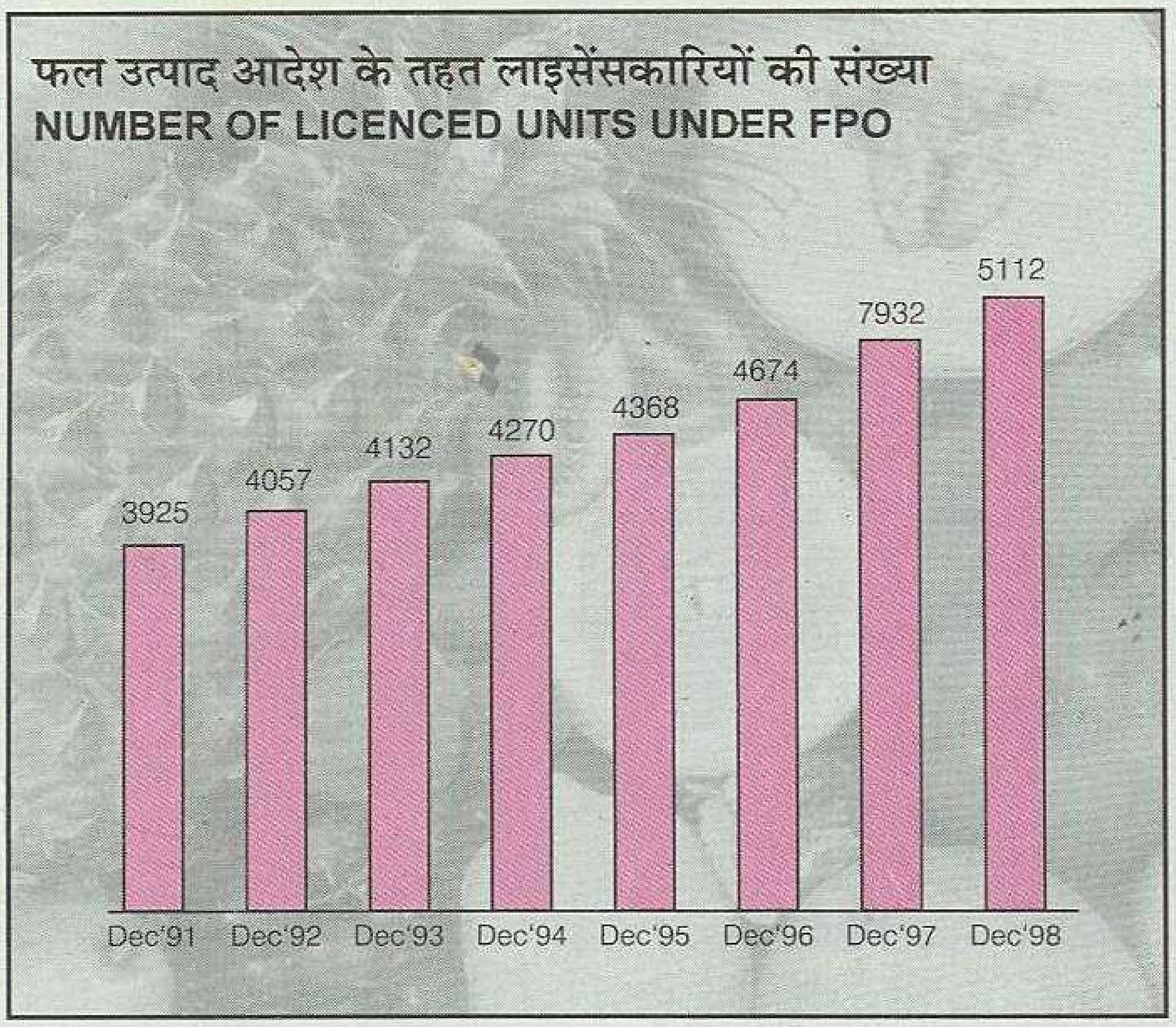

There has been increase in the estimated production of milk powder including infant milk food from 2.15 lakh tonnes in the year 1997 to 2.22 lakh tonnes in the year 1998 and the estimated production of malted food product has increased from 55,000 tonnes in the year 1997 to 65,000 tonnes in the year 1998. The production of cheese in the organised sector in the year 1998 has been estimated as 5,000 tonnes. The estimated production of condensed milk has increased from 7,800 tonnes in the year 1997 to 9,000 tonnes in the year 1998.

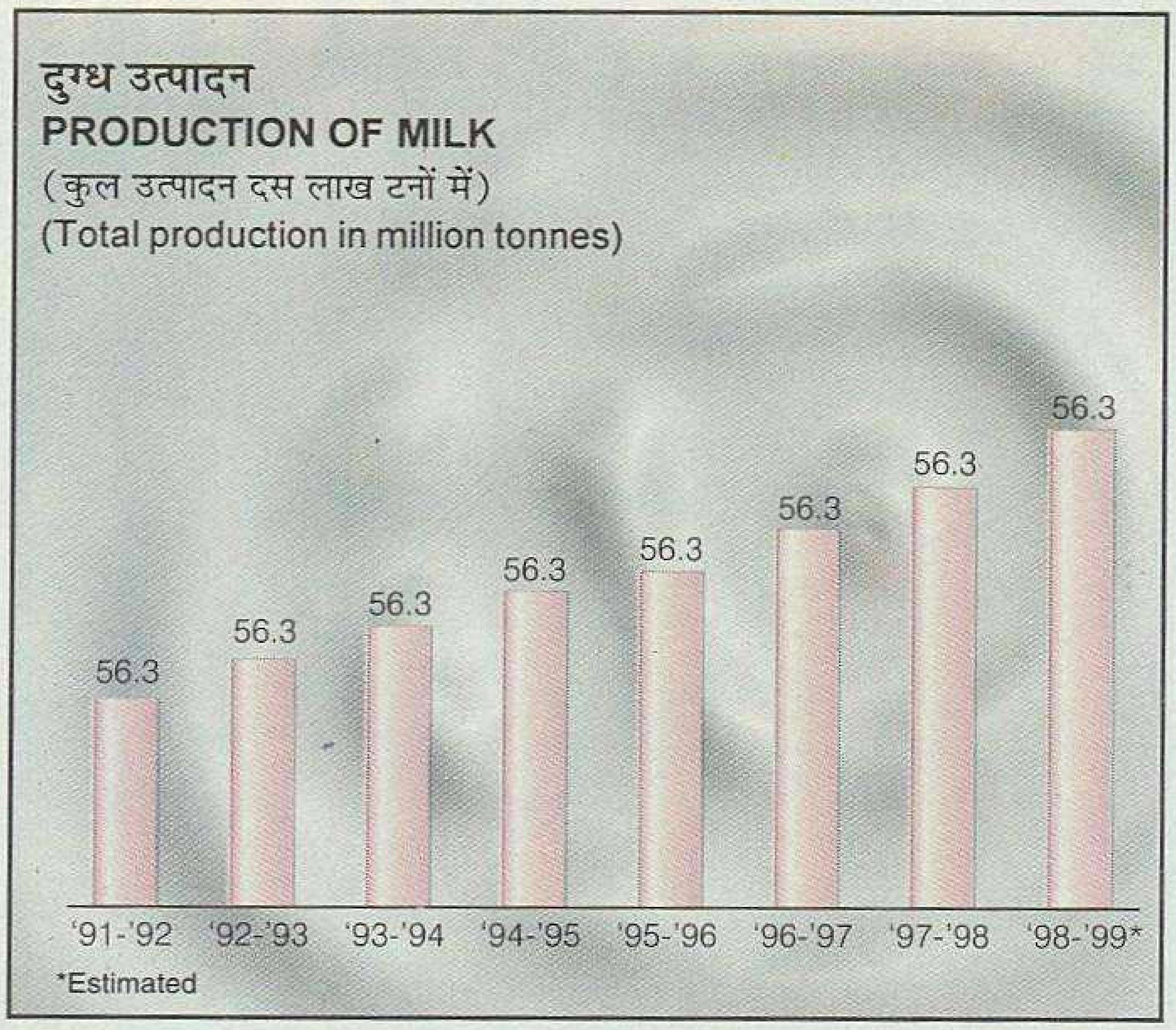

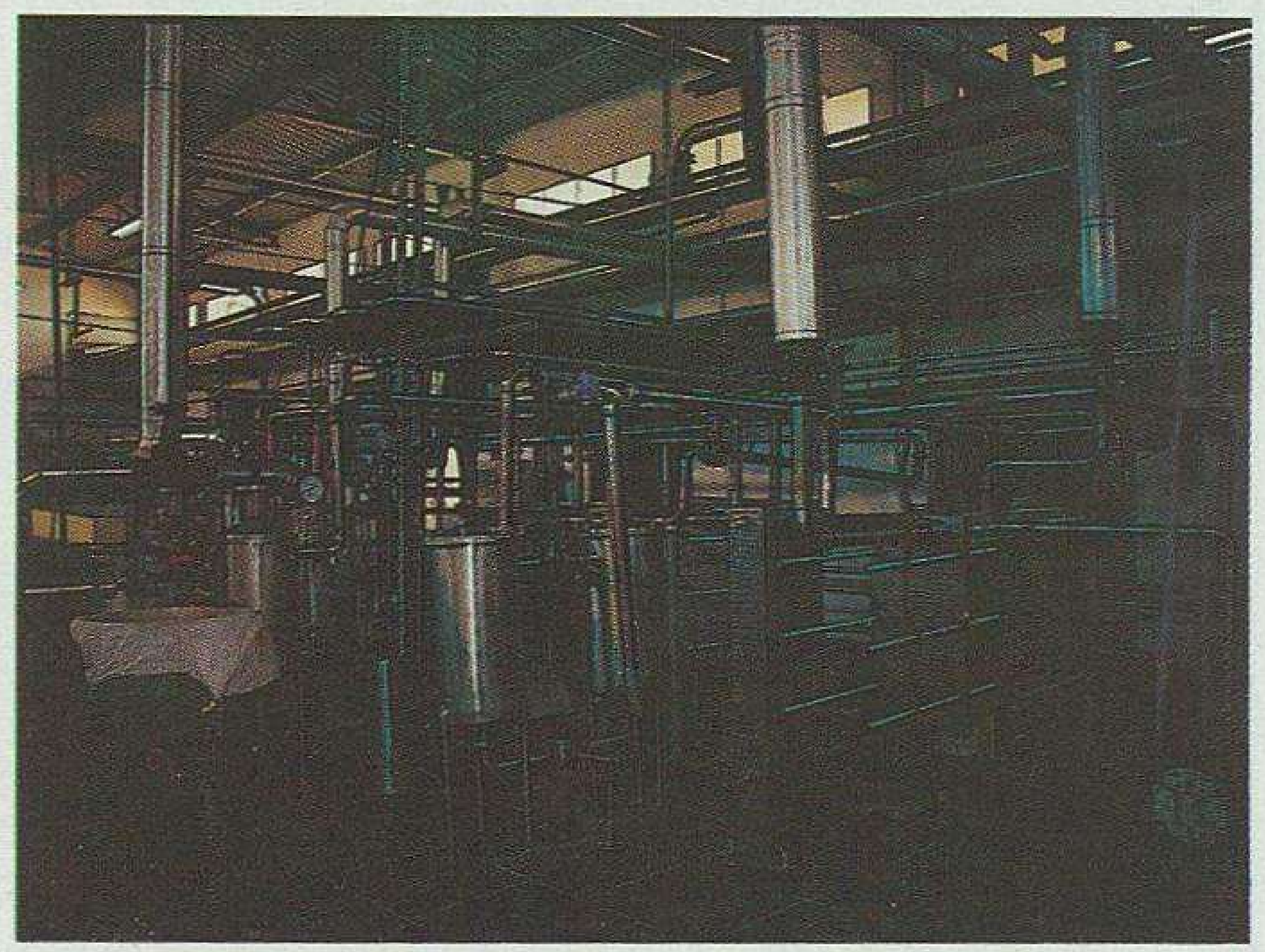

दूध प्रसंस्करण संयत्र।
A milk processing plant

(v) मांस और पॉल्ट्री प्रसंस्करण

मांस और मांस से बनी वस्तुओं के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। वर्ष 1993 से 1997 तक मांस और मांस से बनी वस्तुओं के उत्पादन के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :-

(हजार टन में)

	1993	1994	1995	1996	1997
मटन एवं बकरी मांस	623	636	647	669	670
सूअर मांस	366	366	420	420	420
चिकन (पॉल्ट्री मांस)	382	442	578	480	580
कैटल (गौ मांस)	1215	1290	1292	1292	1292
भैंस मांस	1182	1200	1204	1204	1205

देश में कुल 4.2 मिलियन टन मांस का वार्षिक उत्पादन किया जाता है। पशु तादाद की तुलना में लगभग 6% गायों का, 10% भैंसों का, 99% सुअरों का, 31% भेड़ों का और 39% बकरियों का वध किया जाता है।

(vi) मछली प्रसंस्करण

भारत में 60% मछली का उत्पादन समुद्री संसाधनों से प्राप्त होता है जिसमें से अधिकांश तटवर्ती मत्स्यन से प्राप्त होता है तथा केवल 2% गहरे समुद्र में पाए जाने वाले संसाधनों से प्राप्त होता है। समुद्री और अन्तर्देशीय दोनों संसाधनों से प्राप्त होने वाले

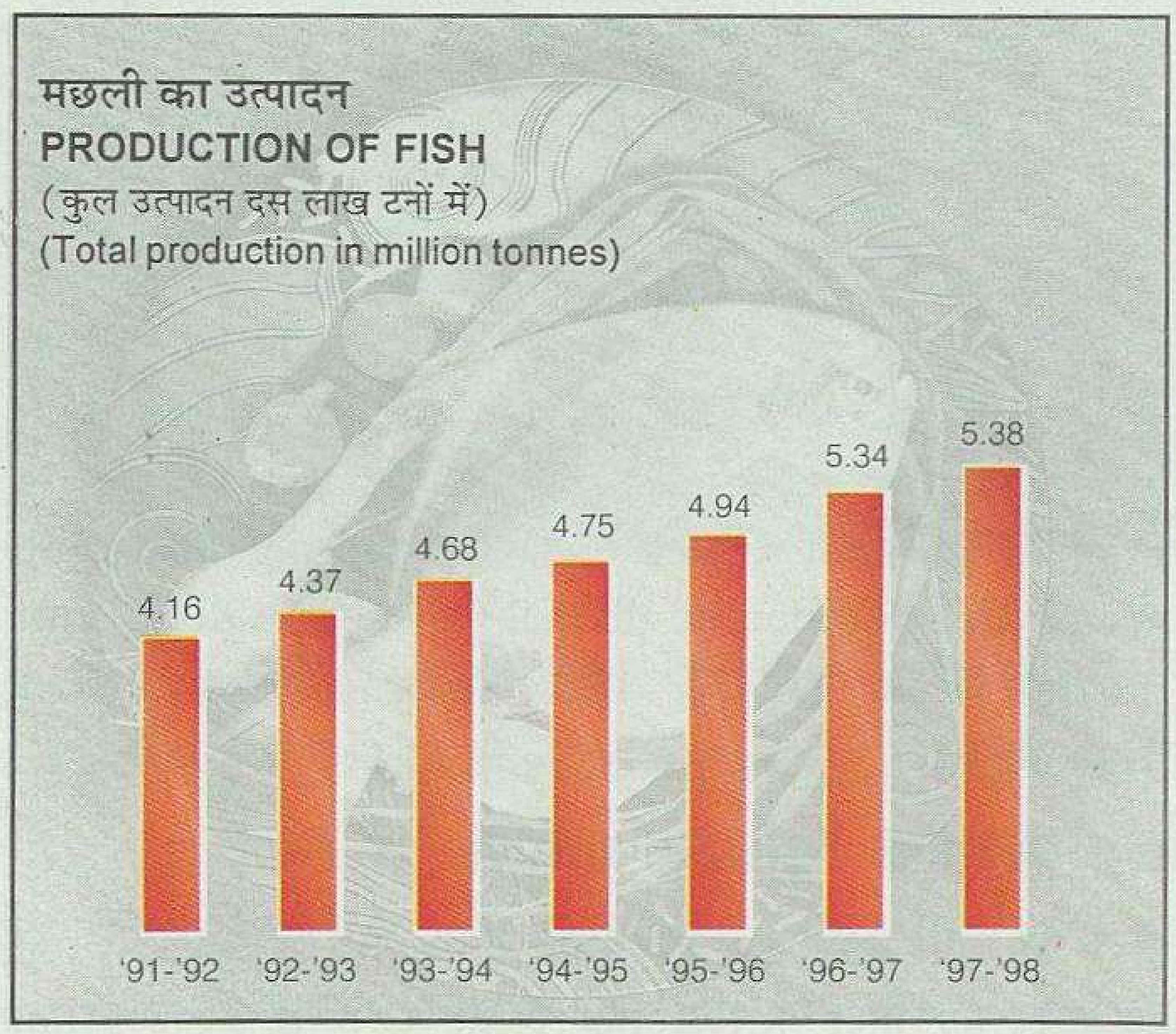

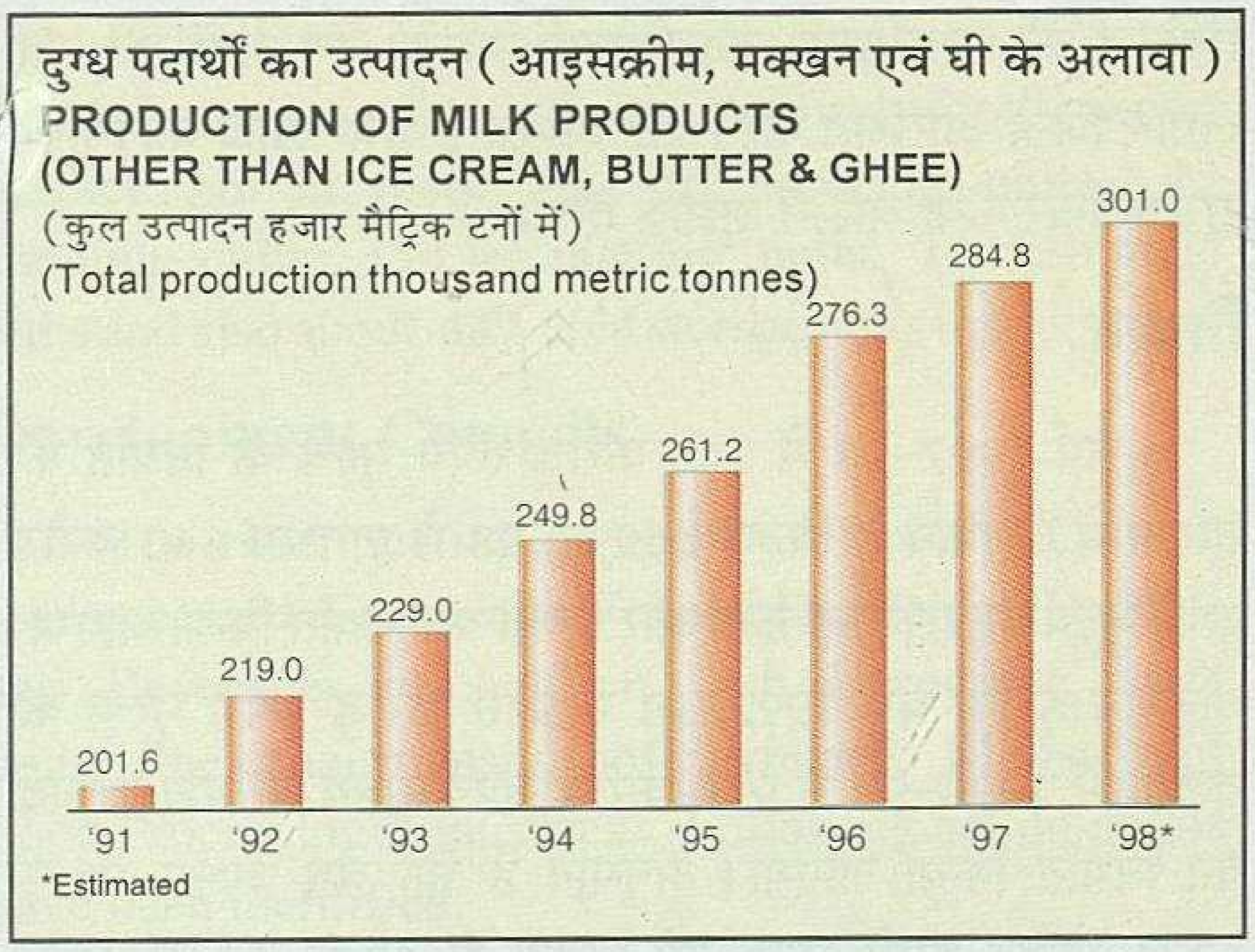

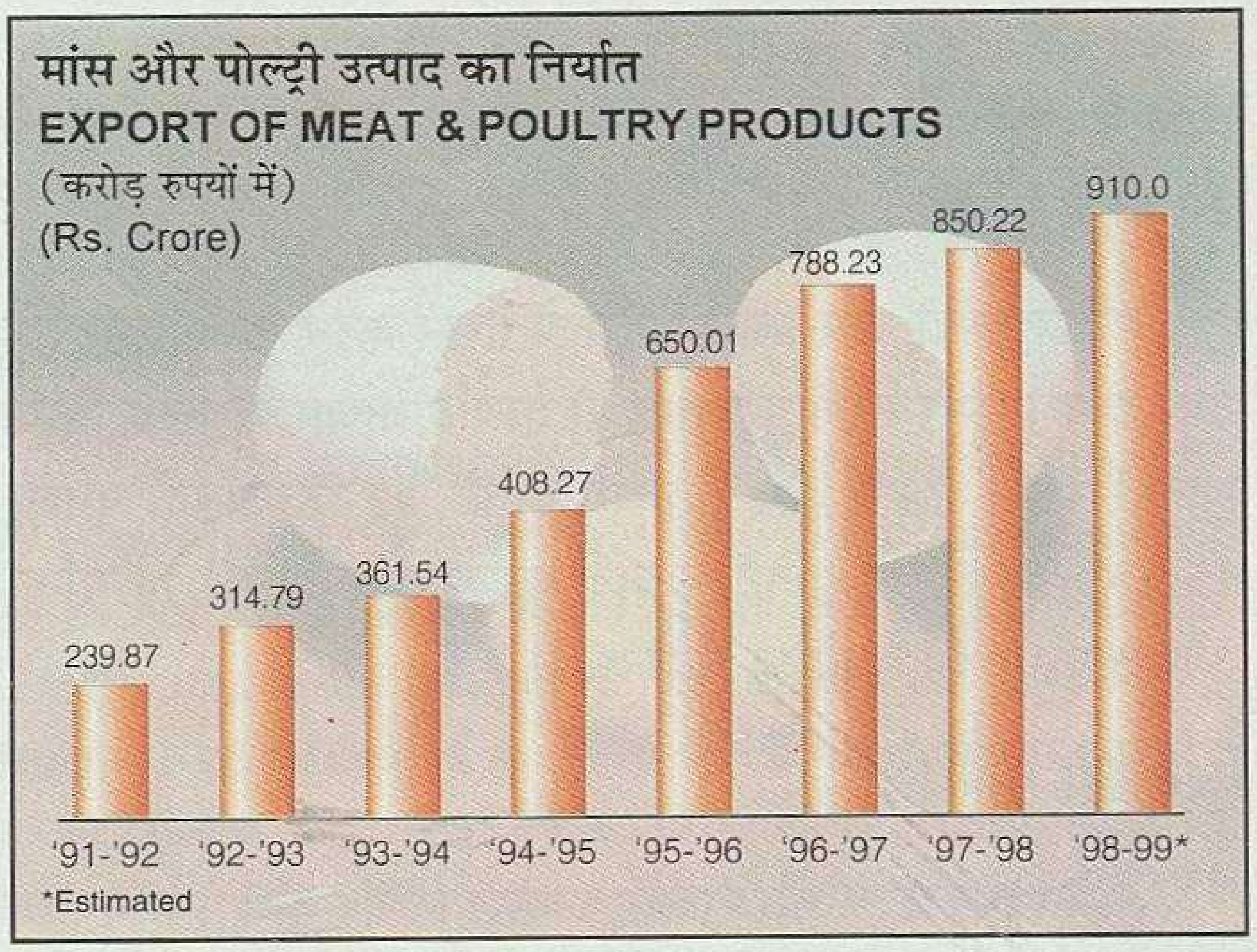

v) Meat and Poultry Processing

The production of meat and meat products has shown an impressive growth. The details of production of meat and meat products from 1993 to 1997 is as under:

(Thousand Tonnes)

	1993	1994	1995	1996	1997
Mutton & goat meat	623	636	647	669	670
Pork	366	366	420	420	420
Chicken (Poultry Meat)	382	442	578	480	580
Cattle (Beef)	1215	1290	1292	1292	1292
Buffalo (Meat)	1182	1200	1204	1204	1205

The total meat production in the country is of the tune of 4.2 million tonnes per annum. The slaughtered rate in relation to the population of animals is about 6% in the case of cattle, 10% in the case of buffalo, 99% in case of pigs, 31% in case of sheep and 39% in case of goat.

vi) Fish Processing

60% of the production of fish in India is from marine sources with coastal fishing constituting the bulk and only 2% comes from deep sea resources. Production of fish from both marine and inland sources has increased from 5.34 million tonnes in 1996-97 to 5.38 million tonnes in 1997-98.

मछली प्रसंस्करण यूनिट
A fish processing unit

मछली उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 1996-97 में यह 5.34 मिलियन टन था जबकि 1997-98 में यह बढ़कर 5.38 मिलिटन टन हो गया है।

डिब्बाबंदी और फ्रोजन रूप में तैयार करने के लिए समुद्री उत्पादों का प्रसंस्करण पूरी तरह से निर्यात बाजार के लिए किया जाता है। इस क्षेत्र में 407 फ्रिजिंग यूनिटें, 13 डिब्बाबंदी यूनिटें, 154 बर्फ बनाने की यूनिटें, मछली का चारा बनाने की 11 यूनिटें और लगभग 489 कोल्ड स्टोरेज भी हैं।

विकास परिषदें

प्रसंस्कृत फल और सब्जी, अनाज उत्पाद तथा पेय विकास परिषद की पहली बैठक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सचिव की अध्यक्षता में 14 दिसम्बर, 1998 को हुई। उसमें निम्नलिखित कार्य मुद्दों का पता लगाया गया :-

लघु अवधि

1. पोस्ट डब्ल्यू.टी.ओ. रेजिम की कठिनाइयों, प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र में उससे उत्पन्न हुए अवसरों और चुनौतियों का पता लगाने तथा मंत्रालय और उद्योग को इस मामले में क्या कार्रवाई करने की जरूरत है, के लिए एक अध्ययन किया जाए;

2. खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान उद्योग को अच्छी निर्माण प्रणालियों के मदवार मानक उपलब्ध कराए; तथा

3. फल तथा सब्जी परिरक्षण निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालयों की भूमिका का विस्तार विकासात्मक कार्यों को भी शामिल करने के लिए किया जाए। मंत्रालय इस पर कार्रवाई कर चुका है।

दीर्घ अवधि

प्रसंस्कृत खाद्य उद्योग के सामने आने वाली कठिनाइयों का पता लगाने और लघु तथा दीर्घकालीन कार्रवाई मुद्दे सुझाने के लिए एक कार्यदल का गठन किया जाए। अन्य मामलों के अलावा, यह कार्यदल आयात और निर्यात नीति में परिवर्तन करने, बैकवर्ड लिंकेज की अवधारणा का विस्तार करने, उन मदों का पता लगाने जिन्हें आरक्षित करने की जरूरत है तथा खाद्य कानूनों के सुसंगतीकरण के बारे में सुझाव देगा।

निर्यात

वर्ष 1997-98 में 745 करोड़ रुपये मूल्य के निर्यात की तुलना में अनुमान है कि वर्ष 1998-98 में लगभग 640 करोड़ रुपये मूल्य के प्रसंस्कृत फल और सब्जी का निर्यात किया जाएगा। अनुमान है कि वर्ष 1997-98 में 910 करोड़ रुपये मूल्य की तुलना में 1998-99 में 950 करोड़ रुपये मूल्य के पशु उत्पादों का निर्यात किया जाएगा। अनुमान है कि वर्ष 1997-98 में 6371 करोड़ रुपये मूल्य की तुलना में 1998-99 में 6900 करोड़ रुपये मूल्य के प्रसंस्कृत खाद्यों (अनाज आधारित उत्पाद समेत) का निर्यात किया जाएगा और इसी अवधि के दौरान समुद्री उत्पादों का निर्यात 4643 करोड़ रुपये मूल्य से बढ़कर 6300 करोड़ रुपये मूल्य तक होने की आशा है। समुद्री उत्पाद समेत खाद्य उत्पादों के वर्षवार ब्यौरे अनुलग्नक-V (पृ. 37) पर दिए गए हैं।

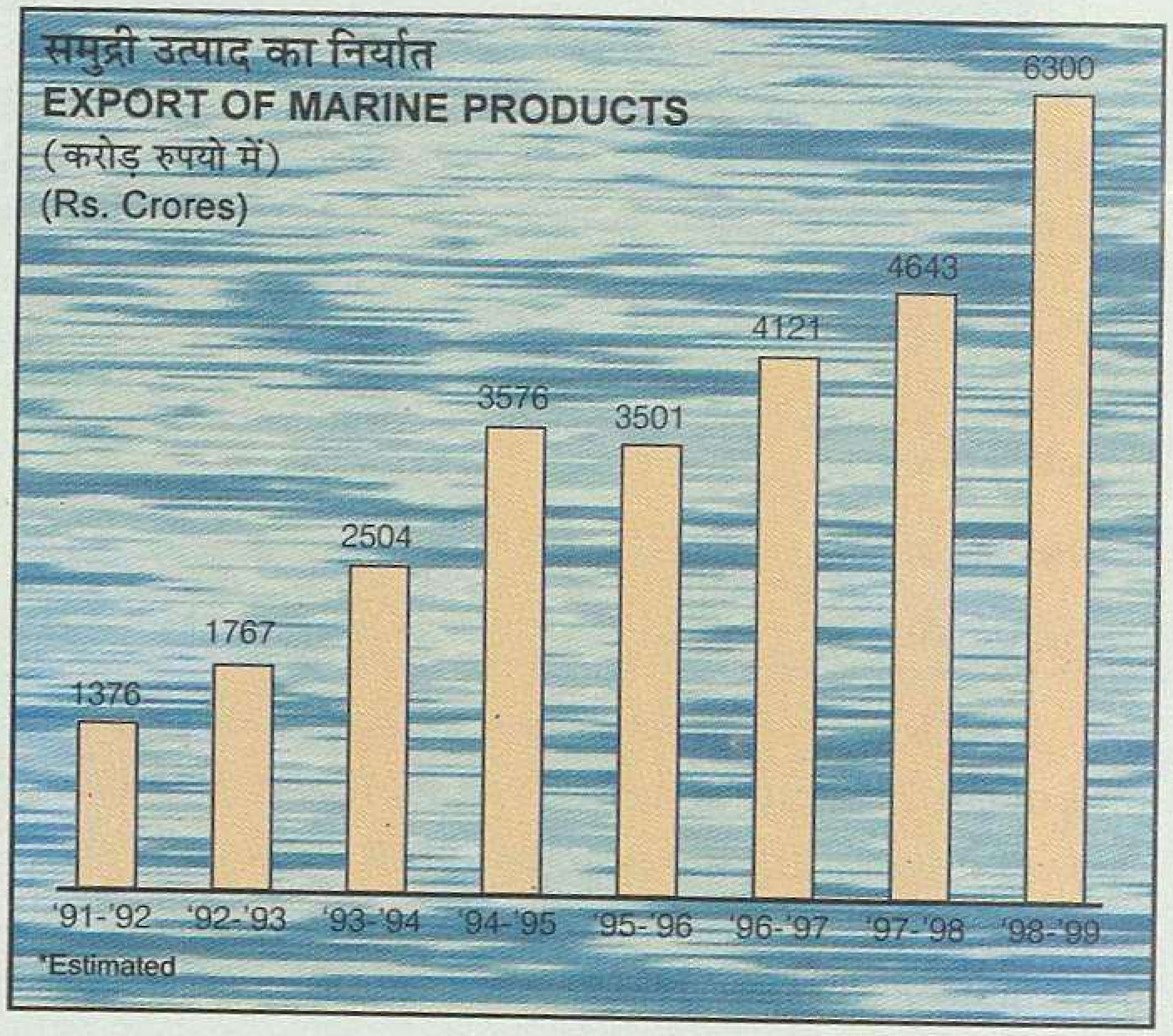

* * *

Processing of marine products into canned and frozen forms is carried out almost entirely for the export market. In all, there are 407 freezing units, 13 canning units, 154 ice-making units, 11 fish meal units and also about 489 cold storage units in this sector.

Development Councils

The first meeting of the Development Council for Processed Fruits and Vegetables, Cereal Products and Beverages was held on 14th December, 1998 under the chairmanship of Secretary, Ministry of Food Processing Industries. Following action points have been identified.

Short Term:

1. A study to be undertaken to find out the implications of post-WTO regime, opportunities and challenges emerging out of it in the processed food sector and the action needed on the part of the Ministry and the Industry;
2. CFTRI to make available item specific standards of Good Manufacturing Practices (GMP) to the industry; and
3. Role of Regional offices of F&VP Directorate to be expanded to cover extension of developmental activities also. The Ministry has already taken action on this.

Long Term:

A Task Force has been set up to identify the problems faced by processed food industry and to suggest short term and long term action points. Apart from other issues, the Task Force would suggest changes in export and import policy, identify items which require dereservation and suggest measures for harmonisation of food laws.

Exports

Exports of processed fruits and vegetables in 1998-99 is estimated to be around Rs.640 crores as against Rs.745 crores in 1997-98. Export of animal products is estimated to be around Rs.955 crores in 1998-99 as against Rs.910 crores in 1997-98. Export of processed foods (including cereal based products) is estimated to increase to Rs.6900 crores in 1998-99 from Rs.6371 crores in 1997-98 and export of marine products is expected to increase from Rs.4643 crores to Rs.6300 crores during the same period. Yearwise details of export of processed food products is at Annexure-V (p. 37).

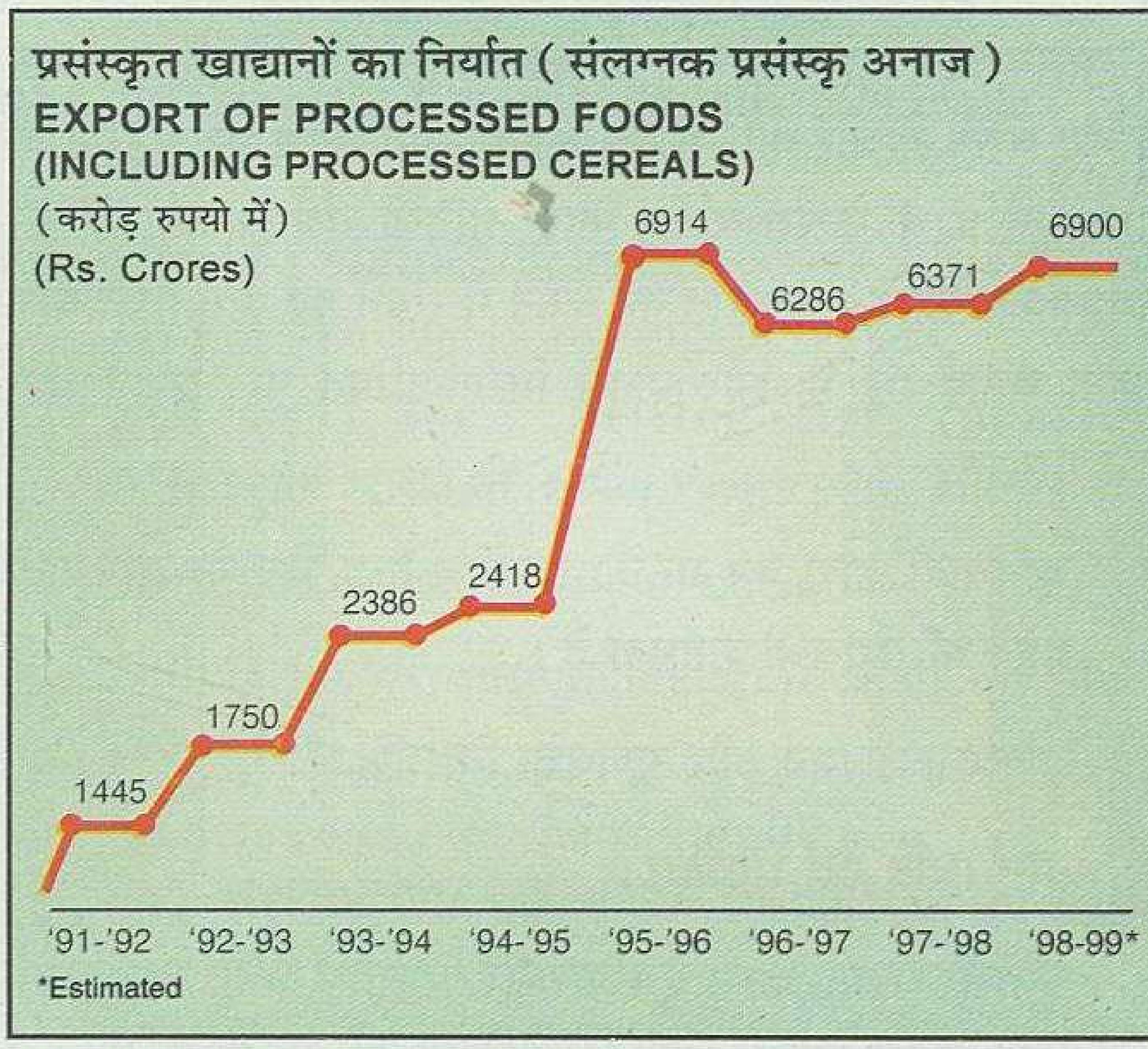

* * *

अध्याय 3

योजना स्कीमें, विशेष संघटक योजना एवं जनजातीय उप योजना

योजना स्कीमें

कृषि का विकास भारत की समग्र प्रगति में एक निर्णायक स्थान रखता है और इसे कृषि और संबद्ध कार्यकलापों को बढ़ावा देने के साथ-साथ कृषि के विविधीकरण एवं वाणिज्यिकरण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। एक मजबूत और प्रभावी खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र कृषि कार्यकलापों के विविधीकरण, कृषि उत्पाद के मूल्य को और बढ़ाने, रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने और कृषि आधारित खाद्य उत्पादों के निर्यात हेतु अधिशेष में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। लेकिन इसके लिए प्रौद्योगिकी के उन्नयन और गुणवत्ता मानकों को लागू करने, निर्यात पर बल देते हुए घरेलू बाजार को सक्रिय करने समेत खाद्य प्रसंस्करण के आधारभूत ढांचे में सुधार के लिए नीतियों एवं योजनाओं की आवश्यकता होगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए 9वीं पंचवर्षीय योजना बनाई गई है और उसमें निम्नलिखित पर विशेष बल दिया गया है:-

i. बुनियादी ढांचे का गठन। इसमें कोल्ड चेन के बुनियादी ढांचे की सुविधा शामिल है।

ii. गुणवत्ता उन्नयन और गुणवत्ता नियंत्रण।

iii. अनुसंधान एवं विकास।

iv. पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू एवं कश्मीर, पर्वतीय क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों समेत पिछड़े क्षेत्रों के लिए विशेष प्रोत्साहन।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 8वीं योजना के आरम्भ से ही देश में प्रसंस्कृत खाद्य के विकास के लिए विभिन्न योजना स्कीमें चला रहा है। योजना आयोग के कार्यदल की सिफारिशों, उद्योग के समक्ष पेश आने वाली कठिनाइयों, इस क्षेत्र की प्रगति को तेज करने की आवश्यकता और सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को उच्च प्राथमिकता वाले उद्योग का दर्जा दिए जाने के फलस्वरूप खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 9वीं योजना के दौरान निम्नलिखित योजना स्कीमें चला रहा है :-

1. बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए स्कीम

इस स्कीम के मुख्य उद्देश्य है :-

i. खाद्य प्रसंस्करण तथा खुम्बी, हॉप्स, गार्किन्स तथा बेबी कॉर्न की एकीकृत परियोजनाओं के लिए. फसलोत्तर बुनियादी सुविधाओं और कोल्ड चेन सुविधाओं की स्थापना करना।

ii. खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक एस्टेट/खाद्य पार्कों की स्थापना करना।

iii. मछली के प्रसंस्करण और परिरक्षण हेतु बुनियादी सुविधाओं की स्थापना करना।

2. खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए स्कीम

इस स्कीम के मुख्य उद्देश्य है :-

i. खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना/विस्तार/आधुनिकीकरण

ii. दाल मिलिंग यूनिटों का आधुनिकीकरण : इस स्कीम का उद्देश्य दालों को सुखाने/उत्पादकता और दक्षता को बढ़ाने के लिए प्रसंस्करण के दौरान धूल पर नियंत्रण हेतु ड्रायरों एवं धूल नियंत्रण प्रणालियों की स्थापना करना है।

iii. चलती-फिरती फल एवं सब्जी प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना : इस स्कीम का उद्देश्य ऐसी चलती-फिरती फल और सब्जी प्रसंस्करण सुविधाओं की अवधारणा का प्रसार करना है जो प्रसंस्करण की सुविधा को किसानों के घर तक ले जाती हैं।

iv. कम लागत वाली परिरक्षण प्रौद्योगिकी का प्रसार : इस स्कीम का उद्देश्य कम कीमत की परिरक्षण प्रौद्योगिकी का

Chapter - III

PLAN SCHEMES, SPECIAL COMPONENT PLAN & TRIBAL SUB PLAN

PLAN SCHEMES

Agricultural development is crucial to India's overall progress and this can be achieved by intensifying the agricultural and allied activities as well as by diversification and commercialization of agriculture. A strong and effective food processing sector plays a significant role in diversification of agricultural activities, improving value addition of agricultural produce, increasing employment opportunities and creating surplus for export of agro-food products. This would, however, require policies and plans for improvement of food processing infrastructure including upgradation of technology and enforcement of quality standards, activating domestic market with focus on exports. Taking this into account, the 9th Five Year Plan has been formulated with special emphasis on the following:

i. Creation of infrastructure including cold chain infrastructure

ii. Quality upgradation and quality control

iii. Research & development

iv. Special incentives for the North-Eastern States, Jammu and Kashmir, hilly areas, backward areas including tribal areas.

The Ministry of Food Processing Industries has been operating several plan schemes for the development of processed food industry since the inception of 8th plan period. Taking into account the recommendations of the Working Group of Planning Commission, the constraints faced by the industry, the need to accelerate growth of the sector and the priority status accorded to food processing industry by Government, the Ministry of Food Processing Industries is operating the following plan schemes during the 9th Plan:–

1. Scheme for Development of Infrastructural Facilities

The main objectives of the scheme is to:

i) Establish post-harvest infrastructure and cold chain facilities for food processsing as well as integrated projects of mushrooms,hops, gherkins and baby corn.

ii) Establish food processing industrial estates/ food parks.

iii) Create infrastructural facilities for preservation and processing of fish.

2. Scheme for Setting up/Expansion/ Modernization of Food Processing Industries

The main objective of the scheme is :–

i) Setting up/expansion/modernization of food processing units.

ii) Modernization of pulse milling units — The objective of this scheme is installation of dryers and dust control systems for drying of pulses & control of dust during processing for increasing productivity and efficiency.

iii) Setting up of mobile fruit & vegetable processing units — The objective of this scheme is propagation of the cocept of mobile fruit and vegetable processing facilities which takes the facility of processing to the doorsteps of the farmers.

iv) Dissemination of low cost preservation technology — The objective of this scheme is to

इस्तेमाल करने वाली यूनिटों की स्थापना को प्रोत्साहन देना है।

3. मांस प्रसंस्करण के विकास/आधुनिकीकरण के लिए स्कीम

इस स्कीम का उद्देश्य बढ़िया किस्म के और स्वास्थ्यकर परिस्थितियों में मांस और मांस उत्पादों की प्राप्ति के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का विकास करना तथा बूचड़खानों के आधुनिकीकरण के द्वारा, एचएसीसीपी और आइएसओ मानकों को अपनाकर अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों का विकास/प्रसार करना, तथा एक कारगर गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली का विकास करना है।

4. पॉल्ट्री और अंडा प्रसंस्करण विकास स्कीम

इस स्कीम का उद्देश्य आश्वासित गुणवत्ता और स्वास्थ्य मानकों सहित घरेलू और निर्यात बाजार के लिए प्रसंस्कृत पॉल्ट्री और अंडा उत्पादों का विकास करना और प्रसंस्कृत यूनिटों में आवश्यक प्रौद्योगिकी सुधार लाना भी है।

1. निम्नलिखित पर/से संबंधित विशिष्ट अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं शुरू की गई हैं :

(i) अनाज, दाल, मोटे अनाज और बाजरे का प्रसंस्करण और उनसे तैयार किए जाने वाले पारम्परिक/क्षेत्रीय खाद्यों में भी सुधार करना।

(ii) रागी, ज्वार और बाजरे जैसे खाद्यान्नों की फसलोत्तर प्रौद्योगिकी के लिए अध्ययन और उससे संबंधित यंत्रों में सुधार।

(iii) प्रोटोटाइप उपकरण/पायलट संयंत्रों के डिजाइन एवं निर्माण समेत मध्यवर्ती और तैयार खाद्य उत्पाद के उत्पादन हेतु प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी का विकास।

(iv) अपनी जनसंख्या विशेषकर महिलाओं और बच्चों के पौषणिक स्तर को बढ़ाने हेतु अनाज/अनाज उत्पादों को शक्तिवर्धक बनाना।

सौर गर्म हवा के इस्तेमाल से चाय पत्तियों का सूखाना
Withering of Tea Leaves using solar hot air

encourage setting up units using low cost preservation technology.

3. Scheme for Development/Modernization of Meat Processing

The objective of the scheme is development of meat processing industries to achieve good quality, hygienic production of meat and meat products, and development/propagation of international quality standards through modernization of abattoirs, adoption of HACCP & ISO standards, and evolving an effective quality assurance system.

4. Scheme for Development of Poultry & Egg Processing

The objective of the scheme is development of processed poultry and egg products for both domestic and export markets, with assured quality and health standards and also for effecting necessary technological improvement of processing units.

5. Scheme for Research and Development in Food Processing Industries

1. Undertake specific R&D Projects on/relating to:–

   i. Processing of cereals, pulses, coarse grains and millets and also for improving traditional/regional foods made from them.

   ii. Study of prevailing post-harvest technology of millets like ragi, jowar and bajra and devise improvements thereto.

   iii Development of processing technology for the production of intermediate and finished food products including design and building of prototype equipment/pilot plants.

   iv. Fortification of cereals/cereal products for enhancing the nutritional level of our population, especially women and children.

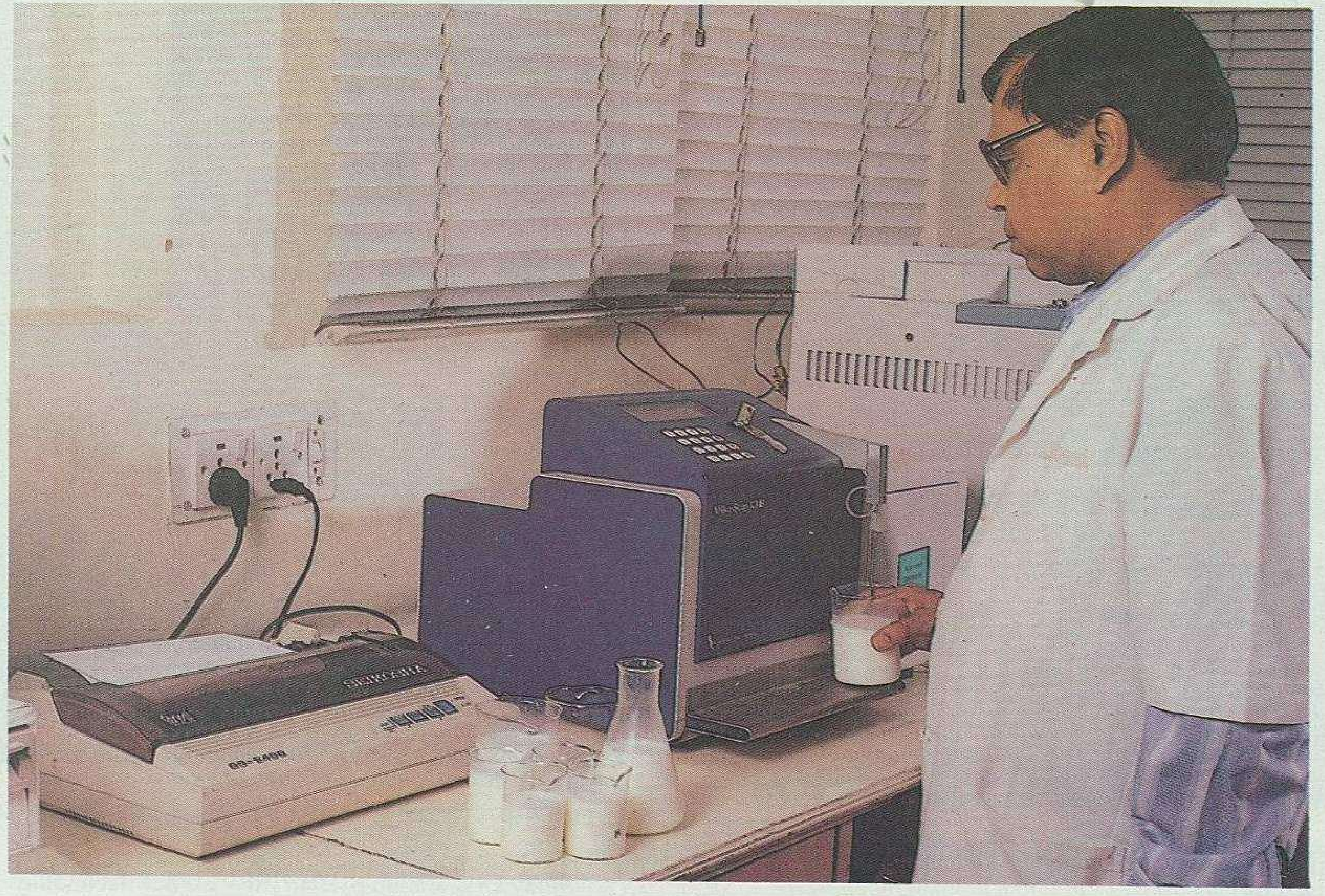

खाद्य अनुसंधान विश्लेषण केंद्र में मिल्कोस्कैनद्वारा दूध से बनी वस्तुओं की जांच

Analysis of milk products by Miloscan at Food Research Analysis Centre

(v) देश के विभिन्न क्षेत्रों के पारम्परिक खाद्य।

(vi) मूल खाद्य प्रसंस्करण के सह उत्पादों जैसे धान की भूसी, कीटाणु, धान के तिनके, पल्स-कार्न, पैरीकार्प ब्रोकन आदि का उपयोग।

2. सभी प्रमुख प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण पैकेजिंग और भंडारण प्रौद्योगिकियों को अद्यतन करना ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा कर सकें।

3. मांस एवं मांस उत्पादों के विभिन्न घटकों जैसे जीवाणु संबंधी मानकों, परिरक्षण मानकों के स्तर, योगजों, कीटनाशी अवशेषों आदि का मानकीकरण, वाणिज्यिक महत्व के मूल्यवर्धित उत्पादों का विकास।

4. दूध से बनी पारम्परिक वस्तुओं और दूध उत्पादों की पैकेजिंग के लिए अनुसंधान एवं विकास कार्य शुरू करना।

5. गैर परम्परागत समुद्री संसाधनों जैसे स्नैल, क्लाम्स, मस्सेल, ओएस्टर आदि के लिए प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी के मानकीकरण, उत्पाद विकास, कम लागत की मछली के इस्तेमाल से मूल्यवर्धित उत्पादों का विकास।

6. घरेलू एवं निर्यात दोनों उद्देश्यों के लिए पारम्परिक खाद्यों, सामान्य खाद्य, अनाज, डेरी उत्पादों आदि पर आधारित खाद्य उत्पादों के लिए नई लागत प्रभावी पैकेजिंग का विकास। इनके उत्पादन के लिए उपकरण के डिजाइन का विकास, नई सस्ती पैकेजिंग तकनीक और उपकरणों का विकास, मौजूदा पैकेजिंग पद्धतियों का विश्लेषण, सामग्री प्रक्रिया, आजकल इस्तेमाल में आ रही प्रणालियों में सुधार के संबंध में गुणवत्ता नियंत्रण मानक अध्ययन और नई पैकेजिंग संभावनाओं का अध्ययन।

7. सभी प्रसंस्कृत खाद्यों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला स्थापित करने के वास्ते वित्तीय सहायता भी उपलब्ध होगी।

6. खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में जनशक्ति के विकास के लिए स्कीम

इस स्कीम के निम्नलिखित छह भाग है :-

i) ग्रामीण क्षेत्रों में जनशक्ति का विकास (खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रशिक्षण केन्द्र)

इस स्कीम का उद्देश्य ग्रामीण उद्यम का विकास करना और स्थानीय रूप से उगाए जाने वाले कच्चे माल के इस्तेमाल से और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों और महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए इन उत्पादन सह प्रशिक्षण केन्द्रों में ''व्यावहारिक अनुभव'' प्रदान करते हुए खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण हेतु प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण करना है।

ii) अनाज प्रसंस्करण उद्योग में जनशक्ति का विकास

स्कीम का उद्देश्य गुणवत्ता नियंत्रण या कच्चे माल/तैयार उत्पादों, निवारक रखरखाव, स्वच्छता, स्वास्थ्यकर परिस्थितियों

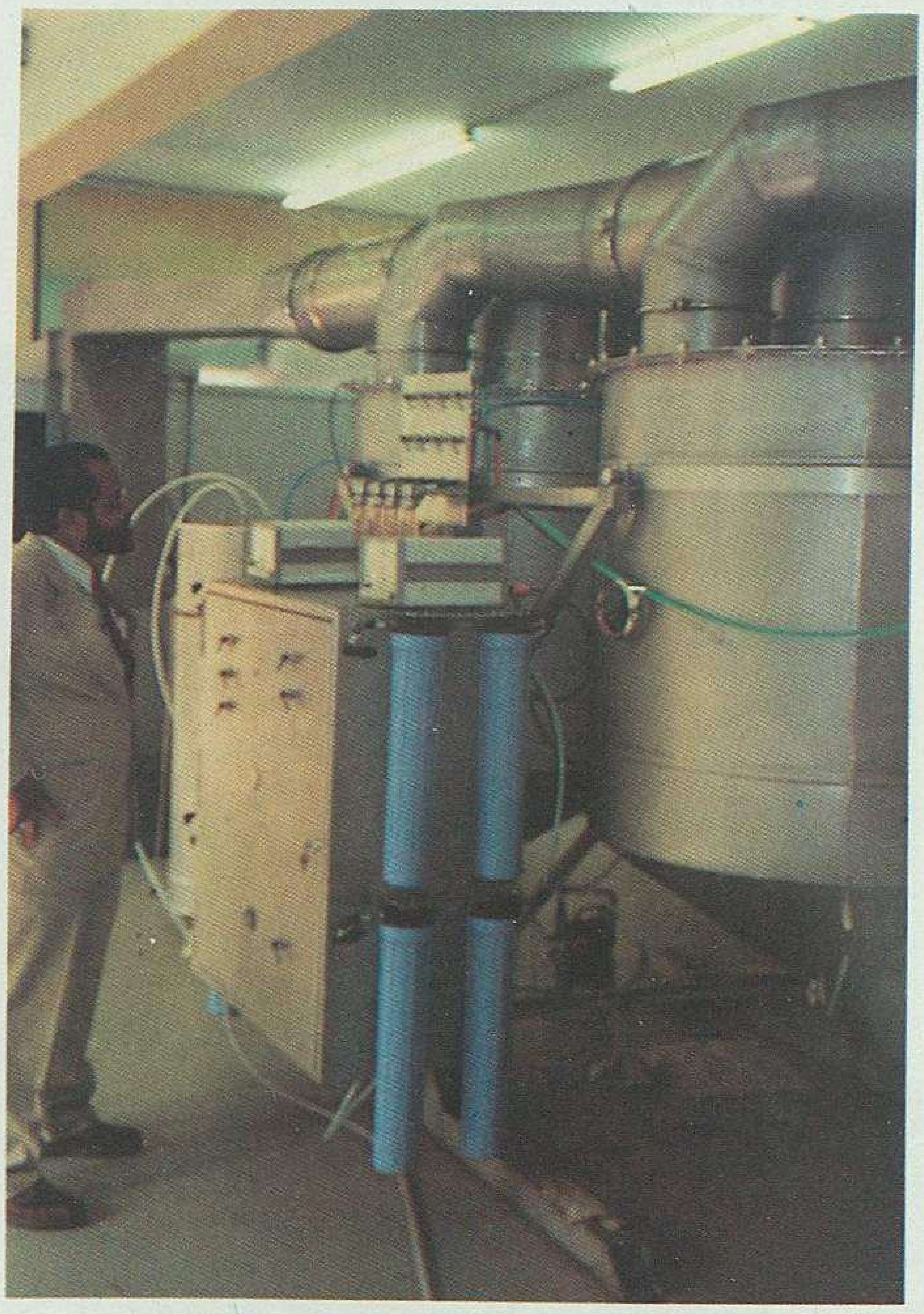

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में जर्मनी की एक नई प्रौद्योगिकी स्प्रे इवेपोरेशन सिस्टम

Spray Evaporation System (SPV), a new technology from Germany in food processing

v. Traditional foods of various regions of the country; and

vi. Utilization of by-products of primary food processing like paddy husk, germ, paddy-straw, pulse-corn, peri carp brokens etc.

2. Update processing, packing and storage technologies for all major processed food products so that they meet international standards.

3. Standardization of various factors such as bacteriological standards, level of preservatives, additives, pesticide residue etc. of meat and meat products, development of value added products of commercial importance.

4. Take up research & development work for traditional milk products and packaging of milk products.

5. Development of value added products using low value fish, product development, standardization of processing technology for non-conventional marine resources like snails, clams, mussels, oysters, etc.

6. Development of new cost effective packaging for food products based on traditional foods, common food grains, dairy products etc., for both domestic and export purposes. Development of design of equipment for manufacture of such products, development of new inexpensive packaging techniques and equipments, analysis of existing packaging methods, material processes, quality control norms studies about improvement in the currently used systems, studies about newer packaging possibilities.

7. Financial assistance would also be available for setting up of quality control laboratory for all processed foods.

6. Scheme for Personpower Development in Food Processing Industries

The scheme has the following six components:–

i) Personpower development in rural areas (Food Processing & Training Centres).

The objectives of this scheme is development of rural entrepreneurship and transfer of technology for processing of food products by utilizing locally grown raw materials and providing 'hands on' experience at such production-cum-training centres, while according priority to persons belonging to SCs/STs/OBCs and women.

ii) Personpower development in grain processing industries.

The objective of the scheme is imparting training in the flour milling technology for quality control

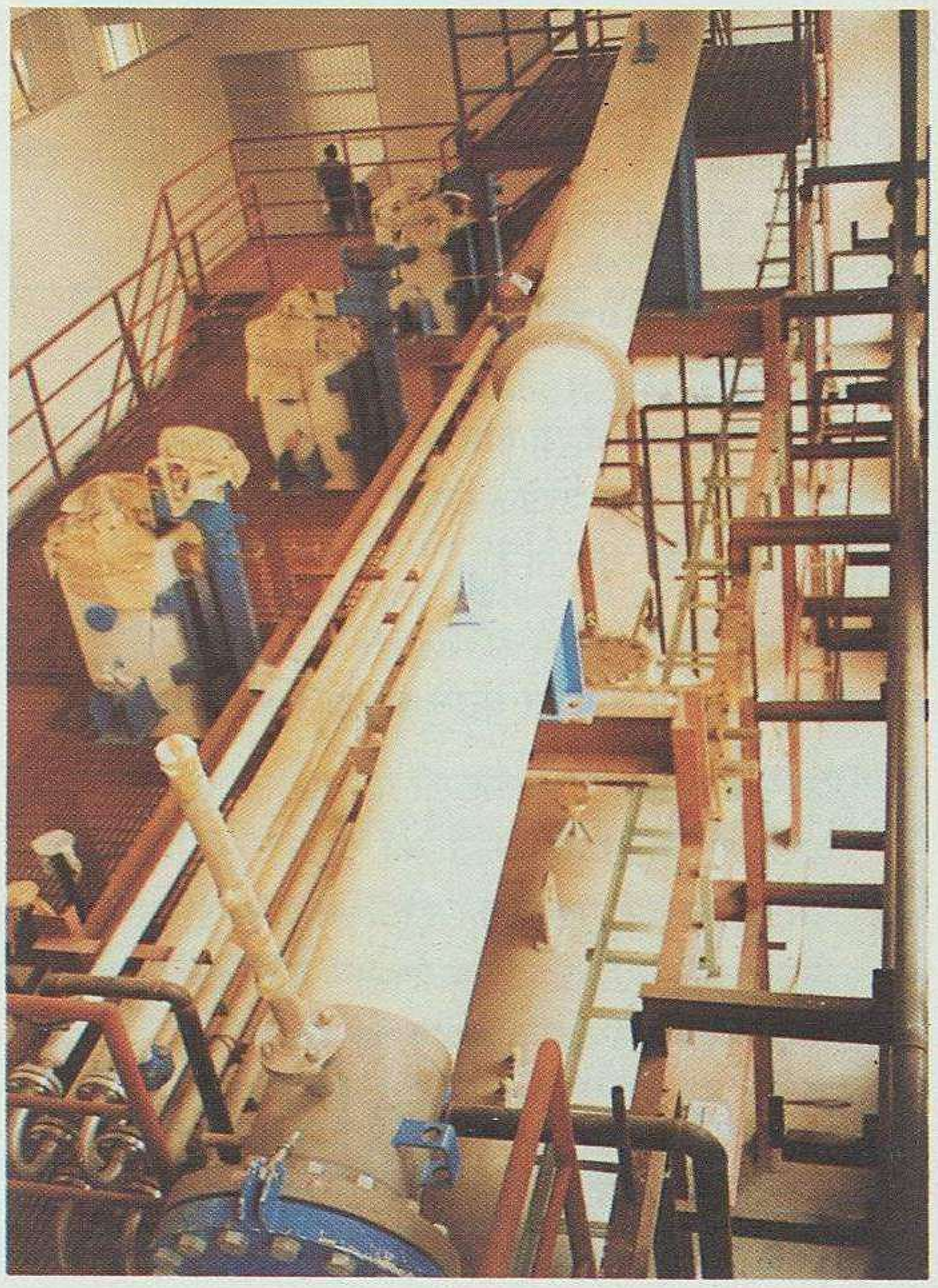

मंत्रालय द्वारा सहायता प्राप्त एक यूनिट में निस्सारण संयत्र
Extraction plant in a unit assisted by the Ministry

और संघटनात्मक एवं योजनागत योग्यताओं के विकास हेतु आटा मिलिंग प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण प्रदान करना है।

iii) मांस प्रसंस्करण में जनशक्ति को प्रशिक्षण

स्कीम का उद्देश्य पारम्परिक मांस प्रसंस्करण कार्य में लगे व्यक्तियों, सेवारत कामगारों और बेराजगारों व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान करना है।

iv) मछली प्रसंस्करण में दक्षता को बढ़ाने के लिए पारम्परिक मछुआरों को प्रशिक्षण इस स्कीम का उद्देश्य उत्पादों की गुणवत्ता को बेहतर बनाने और स्वास्थ्यकर परिस्थितियों में सुधार लाने के लिए मछली प्रसंस्करण यूनिटों में कार्यरत व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान करना है।

v) बुनियादी सुविधाओं का सृजन

स्कीम का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण के लिए डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के वास्ते बुनियादी सुविधाओं जैसे पुस्तकालय, प्रयोगशाला, पायलट संयंत्रों आदि की स्थापना करना है।

vi) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

इस स्कीम का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण के विभिन्न क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को चलाना है।

7. पारम्परिक मछली प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों एवं विपणन को मजबूत करने संबंधी स्कीम

इस स्कीम का उद्देश्य मछली को सुखाने हेतु कम लागत वाली घरेलू प्रौद्योगिकियों का प्रसार करना है जिसके परिणामस्वरूप मूल्यवर्धन होगा और घरेलू बाजार और निर्यात बाजार के लिए स्वास्थ्यकर परिस्थितियों में तैयार सूखी मछली उपलब्ध होगी।

8. मूल्यवर्धित उत्पाद तैयार करने के लिए कम मूल्य की मछली के इस्तेमाल के लिए स्कीम

इस स्कीम का उद्देश्य कम मूल्य की मछली के इस्तेमाल से प्रोटीन कंसन्ट्रेट, फिश वैफर्स, फिश सॉसेज, फिश सूप, फिश कटलेट, फिश वॉल्स, फिश फीड आदि मूल्यवर्धित उत्पादों के वाणिज्यिक उत्पादन हेतु यूनिटों की स्थापना करना है।

9. नई डेरी परियोजनाओं की स्थापना संबंधी स्कीम

इस स्कीम का उद्देश्य व्हे प्रोटीन, प्रोटीन कंसस्ट्रेट, खनिज निस्सारण, केसिन आदि जैसी ऐसी नई किस्म की डेरी मदों की शुरूआत को बढ़ावा देना है जिनमें नई प्रौद्योगिकी शामिल हो और अधिक मूल्यवर्धन होता हो।

10. मांस और मांस उत्पादों के विपणन, गुणवत्ता नियंत्रण, भंडारण और ढुलाई के विकास/सुधार संबंधी स्कीम

इस स्कीम का उद्देश्य मांस बाजारों और विपणन केंद्रों के विकास के लिए खुदरा दुकानों और विपणन परिसरों को डीप फ्रीजर/फ्रिज उपलबध कराना, मांस की ढुलाई के लिए इन्सुलेटरों, फ्रिज, चिल्ड वैन्स की व्यवस्था करना तथा गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना/उनका उन्नयन करना है।

11. प्रसंस्कृत खाद्यों और बाजार सहायता पर व्यापक सुधार सबंधी स्कीम

(i) इस स्कीम का उद्देश्य व्यापक विज्ञापन एवं प्रचार तथा (ii) नए उत्पाद मिक्स तथा ब्राण्ड नाम के समर्थन के लिए बाजार विस्तार अभियान के जरिए उपभोक्ताओं को प्रसंस्कृत खाद्यों और उनके गुणवत्ता आश्वासन तंत्र के बारे में जागरूक करना है।

12. खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में बैकवर्ड लिंकेज को मजबूत करने संबंधी स्कीम

इस स्कीम का उद्देश्य है :

(i) ठेके पर खेती द्वारा कच्चे माल की नियमित आपूर्ति को सुनिश्चित करके फल एवं सब्जी प्रसंस्करण यूनिटों के साथ-साथ अनाज एवं मोटे अनाज की प्रसंस्करण यूनिटों की उपयोग क्षमता को बढ़ाना;

(ii) किसान एवं प्रसंस्करणकर्ता के बीच सीधे संबंध स्थापित करके किसानों के लिए लाभकारी कीमत सुनिश्चित करना; और

of raw materials/finished products, preventive maintenance, sanitation, hygiene and development of organizational and planning abilities.

iii) Training of personpower in meat processing.

The objective of the scheme is training of persons engaged in traditional meat processing activity, in-service workers and unemployed persons.

iv) Training of traditional fisherpersons for skill upgradation in fish processing.

The objectives of the scheme is training of persons engaged in fish processing units for upgrading the quality of products and improving hygienic conditions.

v) Creation of Infrastructural facilities.

The objective of this scheme is to create infrastructural facilities like library, laboratories, pilot plants etc. for running Degree/diploma courses and training programmes for food processing.

vi) Training programmes sponsored by MFPI.

The objective of the scheme is to conduct training programmes sponsored by Ministry of food processing in various areas of food processing.

7. Scheme for Strengthening of Traditional Fish Processing Technologies and Marketing

This scheme aims at propagation of low cost indigenous technologies for drying of fish, which will result in value addition, and provide hygienically dried fish for domestic and export market.

8. Scheme for utilization of Low Value Fish to make Value Added Products

The objective of this scheme is establishment of units for commercial production of value added products like protein concentrates, fish wafers, fish sausages, fish soup, fish cutlets, fish balls, fish feed etc., using low value fish.

9. Scheme for Setting up of Innovative Dairy Projects

The objective of the scheme is to encourage introduction of innovative dairy items such as whey protein, protein concentrates, extraction of minerals, casein etc., where new technology and higher value addition is involved.

10. Scheme for Development/Improvement of Marketing, Quality Control, Storage & Transport of Meat & Meat Products

The objective of the scheme is to provide deep freezers/refrigerators to retail outlets, marketing complexes for development of meat markets and shopping centres, provision of insulators, refrigerated/chilled vans for transportation of meat, and establishment/improvement of quality control laboratories.

11. Scheme for Generic Advertisement on Processed Foods and Marketing Assistance

The objective of the scheme is to build awareness among consumers about the advantages of processed foods, and their quality assurance mechanism, both through (i) Generic Advertisement and Publicity and (ii) Market Promotion Campaign for new product mix and brand name support.

12. Scheme for Strengthening of Backward Linkages in Food Processing Industries

The objective of the scheme is to :–

i) Increase capacity utilization of fruit & vegetable processing units as well as grain and coarse grain processing units by ensuring regular supply of raw materials through contract farming;

ii) Ensure remunerative price to farmers by creating direct linkage between farmers and processors; and

(iii) प्रसंस्करणकर्ता के जरिए किसानों को तकनीकी जानकारी आदि के साथ-साथ बढ़िया किस्म के बीज, खाद, कीटनाशक और बुआई सामग्री उपलब्ध कराना।

13. खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास के लिए स्कीम

इस स्कीम का उद्देश्य है :

(i) फल एवं सब्जी प्रसंस्करण निदेशालय को सूचना, शिक्षा और गुणवत्ता प्रणाली की दृष्टि से मजबूत बनाना।

(ii) राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/मेलों में भाग लेना।

(iii) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अध्ययनों, सर्वेक्षणों आदि को बढ़ावा देना।

(iv) निष्पादन पुरस्कार।

14. नोडल एजेंसियों को मजबूत करने संबंधी स्कीम

इस स्कीम का उद्देश्य विस्तृत क्षेत्र सूचना एकत्र करने, डाटा बेस तैयार करने, सहायता प्राप्त परियोजनाओं पर नजर रखने, कृषि खाद्य व्यवसाय का समन्वय करने आदि के लिए कंप्यूटर प्रणाली और इंटरनेट समेत बेसिक ऑफिस हार्डवेयर लगाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करके खाद्य प्रसंस्करण के लिए नामित राज्य नोडल एजेंसियों को मजबूत करना है।

सहायता का स्वरूप :-

विभिन्न योजना स्कीमों के तहत सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों/संयुक्त क्षेत्र/सहायता प्राप्त क्षेत्र/गैर सरकारी संगठनों/सहकारिताओं को सहायता उपलब्ध है और निजी उद्यमियों को सहायता अनुदान तथा आसान शर्तों पर ऋण के रूप में सहायता उपलब्ध कराई जाती है। वैसे सरकारी संगठनों/सहकारिताओं को अधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू और कश्मीर, सिक्किम, द्वीप समूह क्षेत्रों तथा जनजातीय क्षेत्रों जैसे दुर्गम क्षेत्रों में परियोजनाओं की स्थापना हेतु विशेष प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

विशेष संघटक योजना और जनजातीय उप-योजना

मंत्रालय द्वारा तैयार की गई स्कीमों का लक्ष्य देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास हेतु सुविधाएँ तथा प्रोत्साहन देना है। इन स्कीमों में एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना क्षेत्रों समेत दुर्गम क्षेत्रों के लिए अधिक सहायता का उल्लेख है।

स्कीमें जिनमें योजनागत सहायता के लाभ जनजातीय क्षेत्रों एवं अनुसूचित/अनुसूचित जनजाति के समुदायों को प्राप्त हो सकते हैं, का ब्यौरा निम्नलिखित है :

(i) बुनियादी सुविधाओं के विकास संबंधी स्कीम

यह स्कीम सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/संयुक्त क्षेत्र/गैर सरकारी संगठनों एवं सहकारिताओं को उनके पूंजीगत उपकरण एवं तकनीकी सिविल कार्य की 50% लागत वित्तीय सहायता अनुदान के रूप में उपलब्ध कराती है। इसकी अधिकतम सीमा सामान्य क्षेत्रों के लिए 25 लाख रुपये है जबकि दुर्गम क्षेत्रों में सहायता की मात्रा 75% और उसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रुपये होगी। बहरहाल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और संयुक्त क्षेत्र की यूनिटों के मामले में ऋणों की मात्रा उनकी कुल इक्विटी के 50% तक होगी बशर्ते कि उसकी अधिकतम सीमा सामान्य क्षेत्रों में 150 लाख रुपये और दुर्गम क्षेत्रों में 200 लाख रुपये से अधिक न हो।

(ii) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/विस्तार/आधुनिकीकरण संबंधी स्कीम

इस स्कीम के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अपने पूंजीगत उपकरणों और तकनीकी सिविल कार्यों की 50% लागत तक ऋण लेने के पात्र हैं। इसकी अधिकतम सीमा सामान्य क्षेत्रों में 150 लाख रुपये और दुर्गम क्षेत्रों में 200 लाख रुपये है, या वे दुर्गम क्षेत्रों में पूंजीगत उपकरणों एवं तकनीकी सिविल कार्यों की लागत के 50% तक अनुदान लेने के पात्र हैं। इसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रुपये है। इसी प्रकार संयुक्त क्षेत्र की ऐसी यूनिटें अपने तकनीकी सिविल कार्यों की पूंजीगत लागत के 25% तक अनुदान प्राप्त कर सकती हैं। इसकी अधिकतम सीमा दुर्गम क्षेत्रों में 25 लाख रुपये है। निजी/सहायता प्राप्त क्षेत्र के मामले में सामान्य क्षेत्रों के लिए 50% तक ऋण दिया जाएगा जिसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रुपये है। जबकि दुर्गम क्षेत्रों के

iii) Provide high quality seeds/ fertilizers/ pesticides and planting materials to farmers along with technical know-how etc., through the processor.

13. Scheme for Promotion of Food Processing Industries:

The objective of the scheme is to :–

i) Strengthen the Directorate of Fruit & Vegetable Preservation for information, education and quality systems.

ii) Participation in national/international exhibitions/fairs.

iii) Promotion of studies, surveys etc., in the food processing sector.

iv) Performance awards.

14. Scheme for Strengthening of Nodal Agencies

The objective of the scheme is to strengthen the designated State Nodal Agencies for food processing by providing financial support for installation of basic office hardware including computer system and internet for collection of detailed field information, preparation of data base, monitoring of assisted projects, coordination of agro food business etc.

Nature of Assistance :–

The assistance under various plan schemes is available to PSUs/Joint Sector/Assisted Sector/NGOs/ Cooperatives and to private entrepreneurs in the form of grant-in-aid and soft loan. However, a higher level of assistance is provided to NGOs/Cooperatives. Special incentives are provided for projects in "difficult areas" like North-Eastern States, Jammu & Kashmir, and Sikkim, island areas and tribal areas.

SPECIAL COMPONENT PLAN & TRIBAL SUB-PLAN

The Schemes formulated by the Ministry are aimed at providing facilities and incentives for promotion of food processing industries in the country. These schemes envisage enhanced scale of assistance for "difficult" areas, including Integrated Tribal Development Project (ITDP) areas. The Schemes from which benefit of plan assistance may accrue to tribal areas and to SC/ST communities, are indicated below:

i) Scheme for Development of Infrastructural Facilities

This scheme envisages financial assistance in the form of grant to PSUs/joint sector/NGOs and cooperatives to the extent of 50% of the cost of capital equipment and technical civil works up to Rs.25 lakhs in general areas whereas in the case of difficult areas, assistance will be 75% up to Rs.50 lakhs. However, loans to PSUs and joint sector units would be 50% of the total equity subject to a maximum of Rs.150 lakhs in general areas and Rs.200 lakhs in difficult areas.

ii) Scheme for Setting up/Expansion/ Modernisation of Food Processing Industries

Under this scheme, PSUs are eligible to get loan upto 50% of cost of capital equipment and technical civil works upto Rs.150 lakhs in general areas and Rs.200 lakhs in difficult areas or grant upto 50% of cost of capital equipment and technical civil works upto Rs.50 lakhs in difficult areas would be available. Alternatively, such joint sector units can get grant upto 25% cost of capital cost of technical civil works upto Rs.25 lakhs in difficult areas. In the case of private/assisted sector, loan upto 50% and upto Rs.50 lakhs in general areas would be provided whereas in the case of difficult areas, they would be given upto Rs. 75 lakhs. For NGOs and cooperatives, financial assistance in the form of grant upto Rs.25 lakhs in general areas and 50% upto Rs.50 lakhs in difficult areas is provided.

मामले में इसकी अधिकतम सीमा 75 लाख रुपये होगी। गैर सरकारी संगठनों और सहकारिताओं के लिए सामान्य क्षेत्रों में 25 लाख रुपये तक और दुर्गम क्षेत्रों में 50% तक अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है। इसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रुपये है।

(iii) मांस प्रसंस्करण उद्योगों के विकास/आधुनिकीकरण संबंधी स्कीम

इस स्कीम के तहत गैर सरकारी संगठन, सहकारिताएँ, स्थानीय निकाय और सरकारी संगठन अपने पूंजीगत उपकरणों एवं तकनीकी सिविल कार्यों की 50% लागत तक अनुदान प्राप्त करने के पात्र हैं। सामान्य क्षेत्रों में इसकी अधिकतम सीमा 75 लाख रुपये है और दुर्गम क्षेत्रों में लागत का 75% है जिसकी अधिकतम सीमा 100 लाख रुपये है। दुर्गम क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और संयुक्त क्षेत्र की यूनिटों के मामले में उनके पूंजीगत उपकरणों और तकनीकी सिविल कार्यों की लागत के 75% तक अनुदान के रूप में सहायता दी जाएगी, जिसकी अधितकम सीमा 100 लाख रुपये है। लेकिन ऋण के रूप में सहायता पूंजीगत उपकरणों और तकनीकी सिविल कार्यों की लागत के 50% तक दी जाएगी। इसकी अधिकतम सीमा सामान्य क्षेत्रों में 150 लाख रुपये और दुर्गम क्षेत्रों में 200 लाख रुपये है। निजी/सहायता प्राप्त क्षेत्र के मामले में दुर्गम क्षेत्रों में सहायता पूंजीगत उपकरणों और तकनीकी सिविल कार्यों की लागत के 50% तक अनुदान के रूप में दी जाएगी। इसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रुपये है। दुर्गम क्षेत्रों में इसकी अधिकतम सीमा 75 लाख रुपये होगी।

(iv) पाल्ट्री एवं अंडा प्रसंस्करण के विकास संबंधी स्कीम

इस स्कीम में गैर सरकारी संगठनों एवं सहकारिताओं को पूंजीगत उपकरणों और तकनीकी सिविल कार्यों की लागत के 50% तक सहायता अनुदान के रूप में सहायता उपलब्ध है। इसकी अधिकतम सीमा सामान्य क्षेत्रों 75 लाख रुपये है। दुर्गम क्षेत्रों में लागत का 75% तक अनुदान के रूप में सहायता उपलब्ध है और इसकी अधिकतम सीमा 100 लाख रुपये है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और संयुक्त

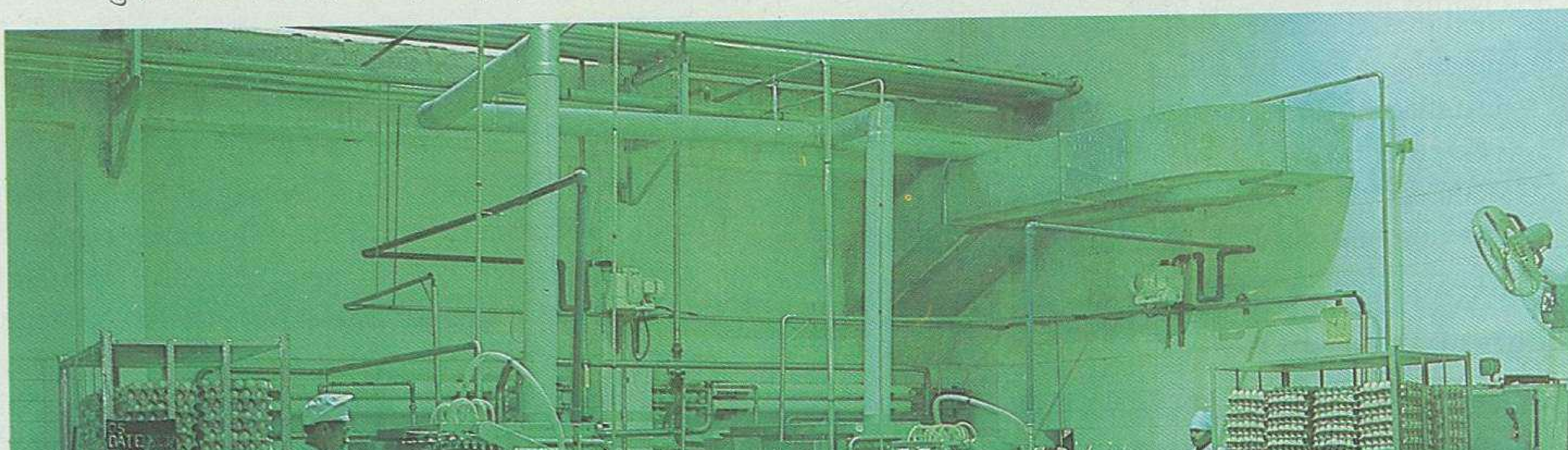

मंत्रालय द्वारा सहायता प्राप्त एक यूनिट में अण्डा उत्पादों की पैकेजिंग
Packaging of egg products in a unit assisted by the ministry

iii) Scheme for Development/Modernization of Meat Processing Industries

Under this scheme, NGOs, cooperatives, civic bodies and Government organizations are eligible to get grant upto 50% of cost of capital equipment and technical civil works upto Rs.75 lakhs in general areas and 75% of such cost upto Rs.100 lakhs in difficult areas. In the case of PSUs and joint sector units, assistance will be in the form of grant of upto 75% of cost of capital equipment and technical civil works upto Rs.100 lakhs in difficult areas. However, assistance in the form of loan would be limited to 50% of cost of capital equipment and technical civil works upto Rs.150 lakhs in general areas and upto Rs.200 lakhs in difficult areas. In the case of private/ assisted sector, assistance will be in the form of grant upto 50% cost of capital equipment and technical civil works upto Rs.50 lakhs in difficult areas. For difficult areas, it will be upto Rs.75 lakhs.

iv) Scheme for Development of Poultry & Egg Processing

This scheme envisages financial assistance to NGOs and cooperatives in the form of grant upto 50% of the cost of capital equipment and technical civil works upto Rs.75 lakhs in general areas and 75% of such cost upto Rs.100 lakhs in difficult areas. PSUs and joint sector units are entitled to grant upto 75% of cost of capital equipment and technical civil works upto Rs.100 lakhs in difficult areas. Assistance in the form of loan would however be limited to 50% of cost of capital equipments and technical civil works upto Rs.150 lakhs in general areas and upto Rs.200 lakhs in difficult areas. Private and assisted sector units would be eligible to get loan upto 50% of the cost of capital equipments and technical civil works upto Rs.50 lakhs for general

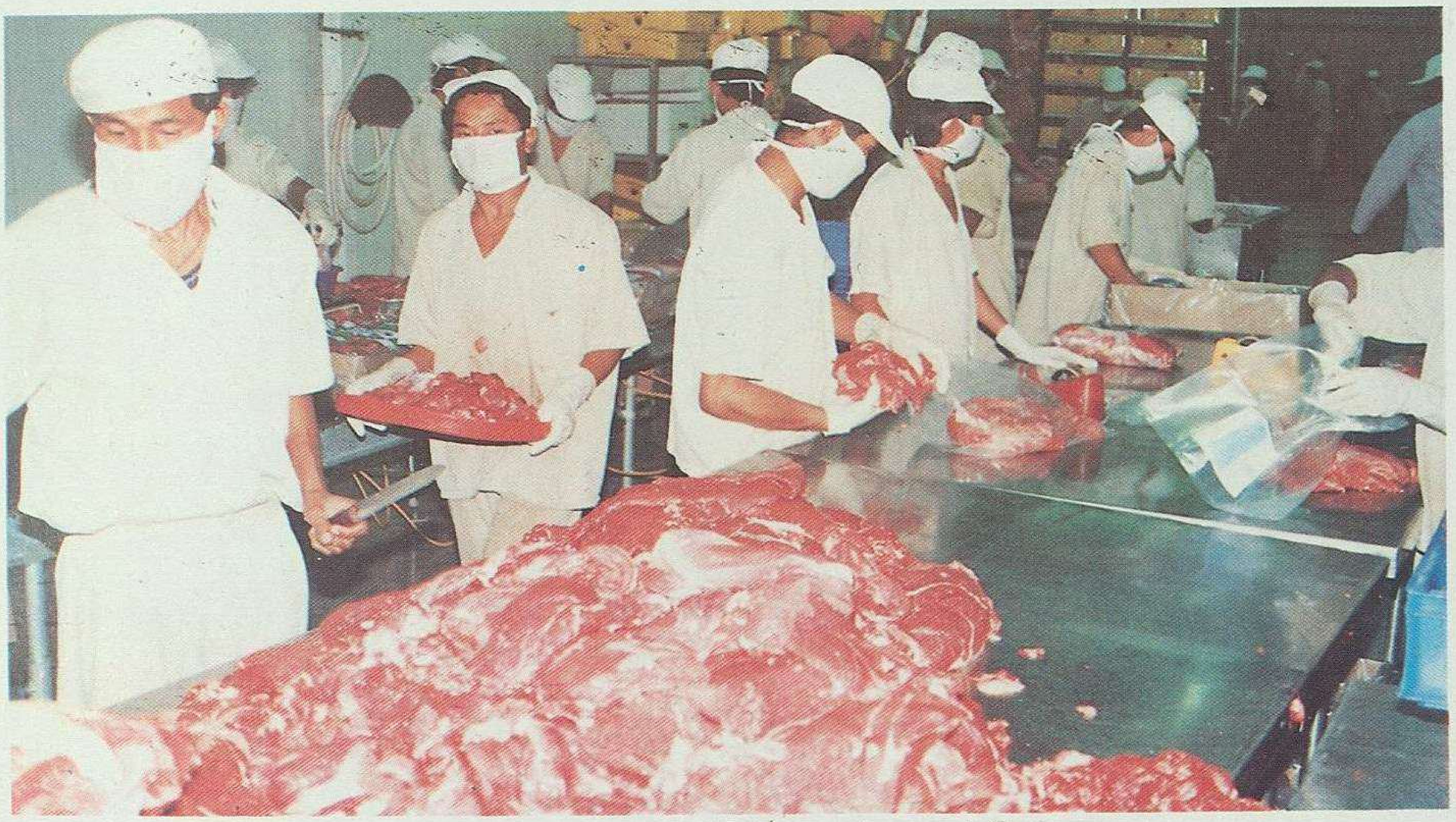

मंत्रालय द्वारा सहायता प्राप्त एक यूनिट में हड्डी-रहित मांस की पैकेजिंग

Packaging of boneless meat in a unit assisted by the Ministry

क्षेत्र की यूनिटें दुर्गम क्षेत्रों में अपनी पूंजीगत उपकरणों और तकनीकी सिविल कार्यों की लागत के 75% तक अनुदान प्राप्त करने के पात्र हैं जिसकी अधिकतम सीमा दुर्गम क्षेत्रों में 100 लाख रुपये है। लेकिन ऋण के रूप में सहायता पूंजीगत उपकरणों और सिविल कार्यों की लागत के 50% तक दी जाएगी जिसकी अधिकतम सीमा सामान्य क्षेत्रों में 150 लाख रुपये और दुर्गम क्षेत्रों में 200 लाख रुपये है। सामान्य क्षेत्रों में निजी और सहायता प्राप्त क्षेत्र के यूनिट अपने पूंजीगत उपकरणों और तकनीकी सिविल कार्यों की लागत के 50% तक ऋण प्राप्त करने के हकदार होंगे। लेकिन दुर्गम क्षेत्रों में इसकी अधिकतम सीमा 75 लाख रुपये है।

(v) पारम्परिक मछली प्रसंस्करण और विपणन को मजबूत करने संबंधी स्कीम

इस स्कीम में गैर सरकारी संगठनों/सहकारिताओं/संयुक्त/सहायता प्राप्त/निजी क्षेत्रों/सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों को सामान्य क्षेत्रों में उनकी पूंजीगत लागत के 50% तक और अधिकतम 10 लाख रुपये तक तथा दुर्गम क्षेत्रों में पूंजीगत लागत के 75% तक और अधिकतम 10 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता अनुदान के रूप में उपलब्ध है।

(vi) कम मूल्य की मछली के उपयोग संबंधी स्कीम

इस स्कीम में गैर सरकारी संगठनों/सहकारिताओं को सामान्य क्षेत्रों में उनकी पूंजीगत लागत के 50% तक और अधिकतम 10 लाख रुपये तक तथा दुर्गम क्षेत्रों में पूंजीगत लागत के 75% तक और अधिकतम 10 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता अनुदान के रूप में उपलब्ध है।

वैसे हमारी स्कीमों की मुख्य अवधारणा परियोजना आधारित है फिर भी हमारी योजना निधि का करीब 20% अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित समुदायों को लाभ पहुँचाने वाली स्कीमों को दिया जाएगा।

* * *

areas however in difficult areas,it will be upto Rs.75 lakhs.

v) Scheme for Strengthening of Traditional Fish Processing and Marketing

This scheme envisages financial assistance in the form of grant to NGOs/ Cooperatives/ joint/ assisted/ private sector/ PSUs upto 50% of the capital cost upto Rs.10 lakhs in general areas and 75% of the capital cost upto Rs.10 lakhs in difficult areas.

vi) Scheme for Utilisation of Low Value Fish:

This scheme envisages financial assistance in the form of grant to NGOs/ Cooperatives upto 50% of the capital cost upto Rs.10 lakhs in general areas and 75% of the capital cost upto Rs.10 lakhs in difficult areas.

Though the main concept of our scheme is based on project approach, yet about 20% of our plan funds may get apportioned to the schemes benefiting SC/ST communities.

* * *

अध्याय -4

बुनियादी सुविधाओं और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का विकास

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का विकास

मंत्रालय दाल मिलिंग यूनिटों के आधुनिकीकरण समेत खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना, विस्तार, और आधुनिकीकरण हेतु सहायता प्रदान करता है।

फल एवं सब्जी प्रसंस्करण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान मंत्रालय ने प्रसंस्कृत फल और सब्जियां तैयार करने के लिए उड़ीसा राज्य के जिला खुरदा में कंटाबाड़ा में एक यूनिट की स्थापना हेतु मैसर्स एरेन फूड प्राइवेट लि. भुवनेश्वर को 20 लाख रु. का ऋण दिया।

मंत्रालय ने गांव काची, जिला उखरूल (मणिपुर) में एक फल और सब्जी प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना के वास्ते पीयूपल एक्शन फार रूरल डवलपमेंट एसोसिएशन को 8.51 लाख रु. की वित्तीय सहायता दी।

मंत्रालय ने विष्णपुर जिले में एक फल और सब्जी प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना के वास्ते मालाम तुलियेमा डवलपमेंट एसोसिएशन, मणिपुर को 11.2 लाख रु. का अनुदान दिया।

तामेंगलोंग जिले में न्यू लुखाम्बी (नोने) स्थित बम्बू शूट प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना के वास्ते रूरल एरिया डवलपमेंट एसोसिएशन, मणिपुर को 10.7 लाख रु. की सहायता दी गई।

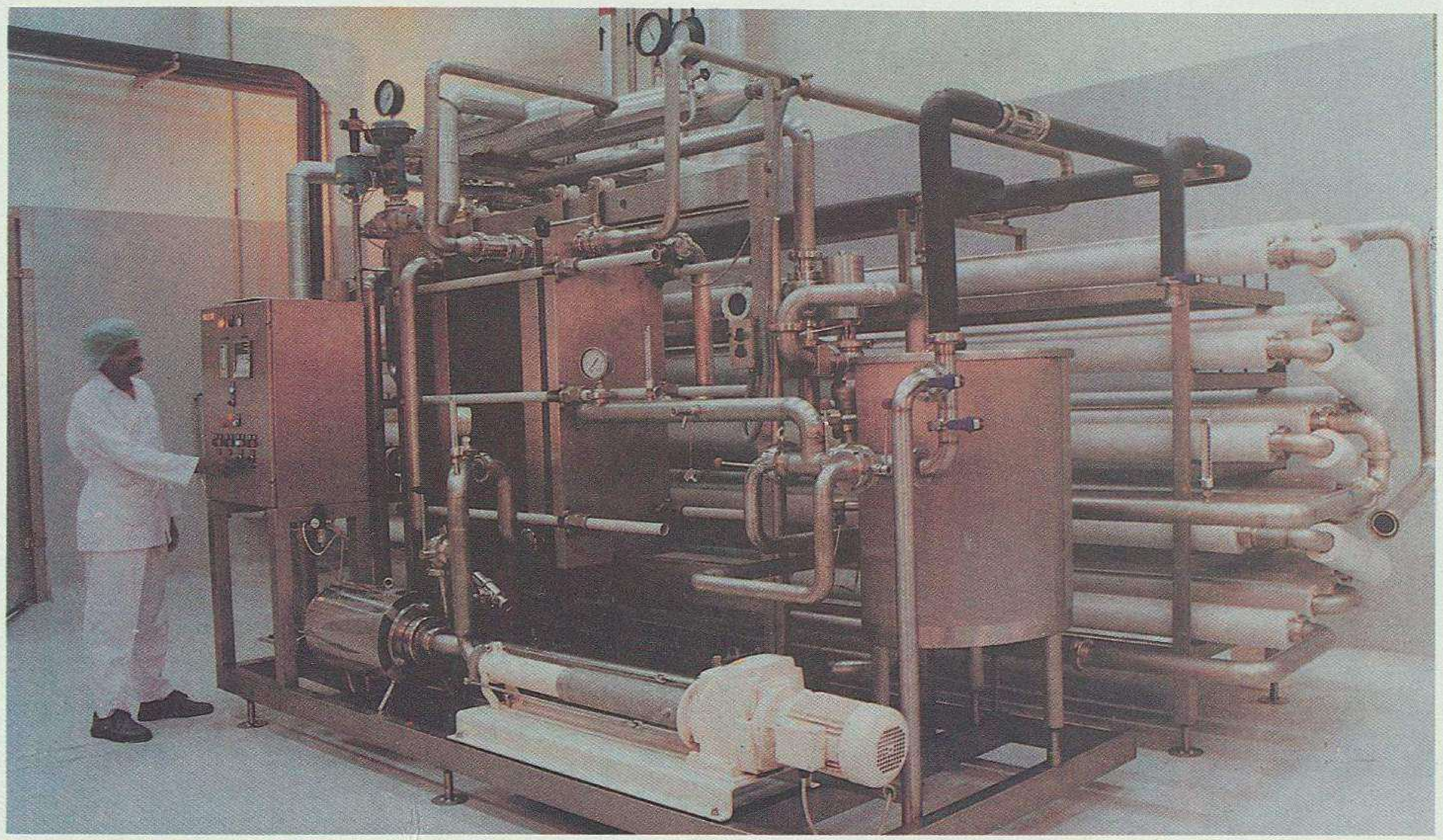

एक आधुनिक अंडा प्रसंस्करण संयंत्र
A modern egg processing plant

Chapter - IV

PROMOTION OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES & DEVELOPMENT OF INFRASTRUCTURE FACILITY

PROMOTION OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

The Ministry provides assistance for setting up, expansion and modernisation of food processing units including modernisation of pulse milling units.

Fruit & Vegetable Processing

During the period under review the Ministry provided loan of Rs.20 lakhs to M/s. Aaren Food Private Ltd., Bhubaneshwar for setting up of a unit at Kantabada in Khurda District in the State of Orissa for manuufacture of processed fruits and vegetables.

The Ministry provided financial assistance of Rs.8.51 lakhs to People Action For Rural Development Association (PARDA) for setting up of fruit & vegetable processing unit at Kachi Village in Ukhrul District of Manipur.

The Ministry provided a grant of Rs.11.2 lakh to Malom Tuliyaima Development Association, Manipur for setting up of a fruit and vegetable processing unit in Bishnupur District.

An assistance of Rs. 10.7 lakh was provided to Rural Areas Development Association, (RADA), Manipur for setting up of bamboo shoot processing plant at New Lukhambi (Noney) in Tamenglong district.

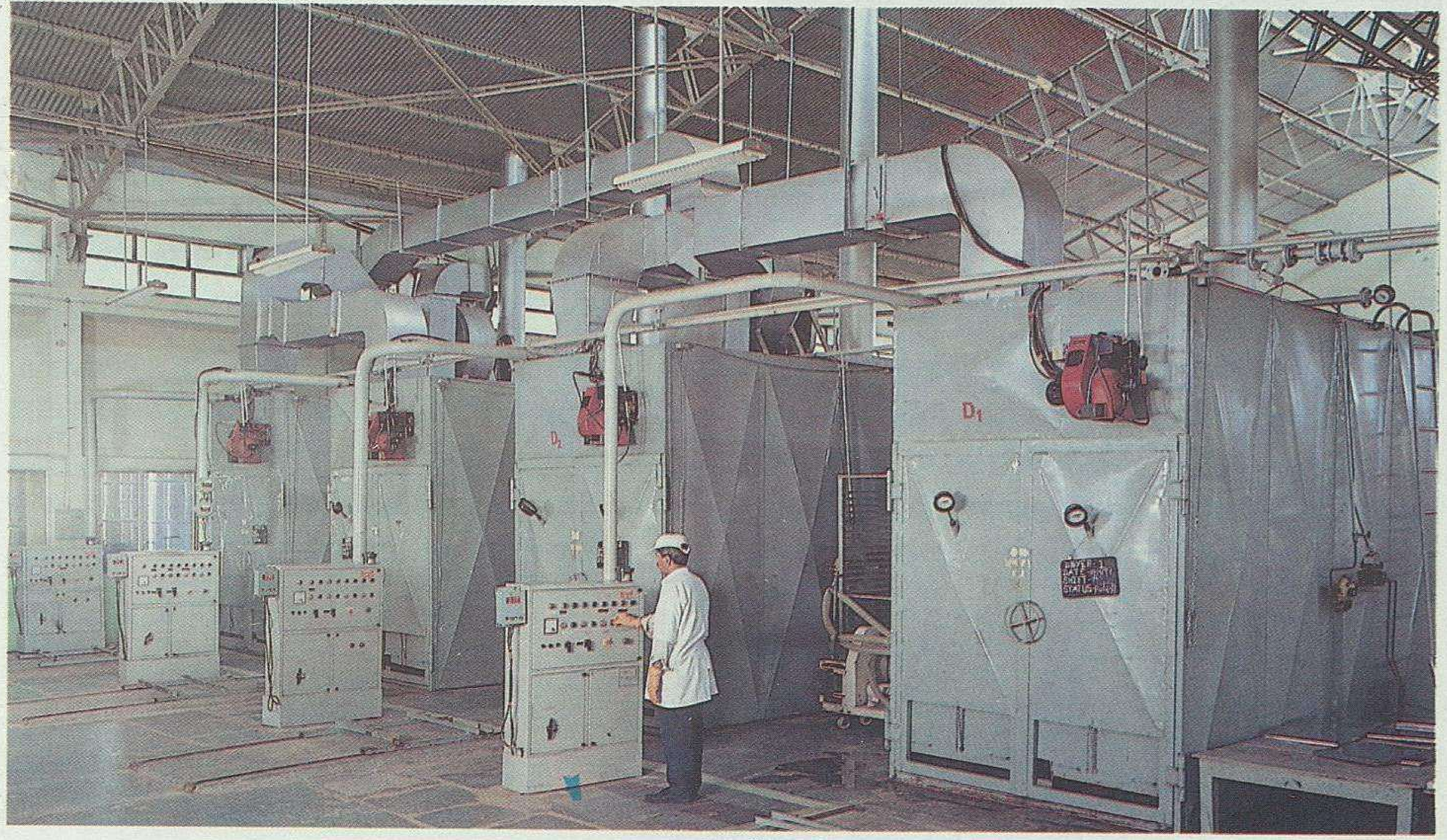

फ्रूट बार संयत्र में ड्रायर।
Drier in a fruit bar plant.

मिजोरम में एक फल रस संयत्र
A fruit juice plant in mizoram

सुअर माँस प्रसंस्करण

मंत्रालय ने मेडजिफेमा दीमापुर में एकीकृत सुअर मांस प्रसंस्करण परियोजना की स्थापना के वास्ते स्टेट फेडरेशन ऑफ पिगरि फारमर्स, नागालैंड को 298 लाख रु. की सहायता को मंजूरी दी। इसमें से 99 लाख रु. की सहायता समीक्षाधीन अवधि के दौरान दी गई। यूनिट निर्माणाधीन है।

असम पशुधन तथा कुक्कुट निगम को नजीरा में एक एकीकृत सूअर माँस प्रसंस्करण परियोजना की स्थापना के वास्ते 175 लाख रु. के अनुदान की भी मंजूरी दी गई। परियोजना कार्यान्वयन की अन्तिम अवस्था में है।

उड़ीसा राज्य में एकीकृत सूअर माँस प्रसंस्करण की एक परियोजना को मंजूरी दी गई और इसके वास्ते 100 लाख रु. का सहायता अनुदान भी अनुमोदित किया गया। इसमें से समीक्षाधीन अवधि के दौरान 33 लाख रु. की सहायता दी गई।

मंत्रालय ने एम.ए.एफ.सी.ओ., कारेगांव, महाराष्ट्र को मांस प्रसंस्करण संयत्र के आधुनिकीकरण के लिए 65 लाख रु. के सहायता अनुदान की मंजूरी दी। इस राशि में से वर्तमान वर्ष के दौरान 32.5 लाख रु. जारी किए गए।

अनाज आधारित उत्पाद

मैसर्स नार्थ लखीमपुर फूड प्रोसेसर प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी, नार्थ लखीमपुर, असम को बिस्कुट उत्पादन यूनिट की स्थापना हेतु 25 लाख रु. की राशि अनुदान के रूप में दी गई।

बुनियादी सुविधा का विकास

खाद्य प्रसंस्करण की बुनियादी सुविधाओं का विकास एक मजबूत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास के लिए जरूरी है। मंत्रालय फसलोत्तर बुनियादी सुविधाओं और कोल्ड चेन तथा खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना और खुम्बी, हॉप्स, गारकिन्स आदि के उत्पादन और प्रसंस्करण के लिए एकीकृत परियोजनाओं, खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक संपदा और खाद्य पार्कों की स्थापना, तथा मछली के परिरक्षण और प्रसंस्करण की बुनियादी सुविधाओं के वास्ते वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता हैं। फसलोत्तर बुनियादी सुविधाओं की स्थापना करने और उन्हें सुदृढ़ बनाने से कृषि कच्चे माल की बरबादी को कम करने में सहायता मिलती है तथा कृषि उत्पाद प्रसंस्करण यूनिट के साथ-साथ घरेलू खपत के लिए साल भर उपलब्ध रहते हैं।

मंत्रालय ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान मैसर्स बंदनमाडू डवलपमेंट सोसायटी, केरल (गैर सरकारी संगठन) को केरल राज्य में इडुक्की में एक स्पॉन प्रयोगशाला की स्थापना के वास्ते 14.97 लाख रु. का अनुदान दिया।

वर्ष के दौरान मैसर्स खम्डेरया ग्रेप ग्रोवर्स सहकारी समिति को महाराष्ट्र राज्य में सांगली में एक कोल्ड स्टोरेज की स्थापना के वास्ते 15.22 लाख रु. का अनुदान दिया गया।

मैसर्स ख्याति कोल्ड स्टोरेज लिमिटेड को गुजरात राज्य में एक कोल्ड स्टोरेज की स्थापना के वास्ते वर्ष के दौरान 25 लाख रु. का ऋण दिया गया।

* * *

प्रशीतिल मटरों की एकमुश्त पैकेजिंग
Bulk packaging of frozen peas

Pork Processing

Ministry approved an assistance of Rs.298 lakhs to State Federation of Piggery Farmers, Nagaland for establishment of Integrated Pork Processing Project in Medzifema, Dimapur. Out of this assistance of Rs. 99 lakhs was provided during the period under review. The unit is under construction.

The Assam Livestock and Poultry Corporation was also approved a grant of Rs. 175 lakhs for establishment of an Integrated Pork Processing Project at Nazira. The project is in the final stages of implementation.

In the state of Orissa, a project on Integrated Pork Processing was sanctioned and grant-in-aid of Rs.100 lakhs has been approved. Out of this, an assistance of Rs.33 lakhs has been provided during the period under review.

The Ministry has approved a grant-in-aid of Rs. 65 lakhs to MAFCO, Koregaon, Maharashtra for modernisation of meat processing plant. Out of this amount, Rs.32.5 lakhs has been released during the current year.

Cereal Based Products

An amount of Rs. 25 Lakhs has been provided to Messrs. North Lakhimpur Food Processors Pvt. Ltd. Co., North Lakhimpur, Assam as grant for setting up of a biscuit manufacturing unit.

DEVELOPMENT OF INFRASTRUCTURE FACILITY

Development of food processing infrastructure is essential for growth of a strong food processing sector. The Ministry provides financial assistance for establishment of post-harvest infrastructure and cold chain facilities and food processing and for integrated projects of mushrooms, hops, gherkins, etc., setting up of food processing industrial estates and food parks; and infrastructure facilities for preservation and processing of fish. Establishment and strengthening of post harvest infrastructure helps in reducing wastage of agriculture raw material and ensures availability of agro products throughout the year for the processing unit as well as for direct consumption.

During the year under review Ministry provided a grant of Rs.14.97 lakhs to M/s. Vandanmadu Development Society, Kerala (Non-Government Organisation) for setting up of a spawn lab at Idukki in the State of Kerala.

During the year M/s. Khamderaya Grape Growers Cooperative Society have been provided a grant of Rs.15.22 lakhs for setting up of a cold storage at Sangli in the State of Maharashtra.

M/s. Khyati Cold Storage Limited have been provided a loan of Rs.25 lakhs during the year for setting up of a cold storage in the State of Gujarat.

* * *

अध्याय-5

प्रोत्साहनात्मक समर्थन

''खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का संवर्धन'' संबंधी योजना स्कीम के तहत मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के बारे में सूचना के प्रसार, मौजूदा और भावी उद्यमियों को उत्पादन और पैकेजिंग की आधुनिक्र तकनीकों से परिचित कराने, बाजार का विकास और उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से प्रदर्शनियों, कार्यशालाओं, सेमिनारों, सम्मेलनों, विचारगोष्ठियों का आयोजन करने के लिए सरकारी विभागों, सरकारी उपक्रमों/संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों तथा उद्योग संघों को सहायता देता है। मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की खण्डीय और क्षेत्रीय आधार पर संभावनाओं के मूल्यांकन के लिए अध्ययन और सर्वेक्षण करने के लिए भी सहायता देता है। स्कीम में उद्यम विकास कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता भी शामिल है।

वर्ष 1998-99 के दौरान मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित मुख्य प्रदर्शनियों, कार्यशालाओं, सेमिनारों सम्मेलनों, अध्ययनों, उद्यम विकास कार्यक्रमों को प्रायोजित किया गया/सहायता दी गई।

प्रदर्शनियां

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए 6-9 नवम्बर, 98 के दौरान महाराष्ट सरकार द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी ''एग्रो-एडवान्टेज महाराष्ट्र '99'' का प्रायोजन किया। यह एक्सपोजिशन पूरे संसार में कृषि खाद्य सेक्टर के क्षेत्र में अद्यतन प्रौद्योगिकी के

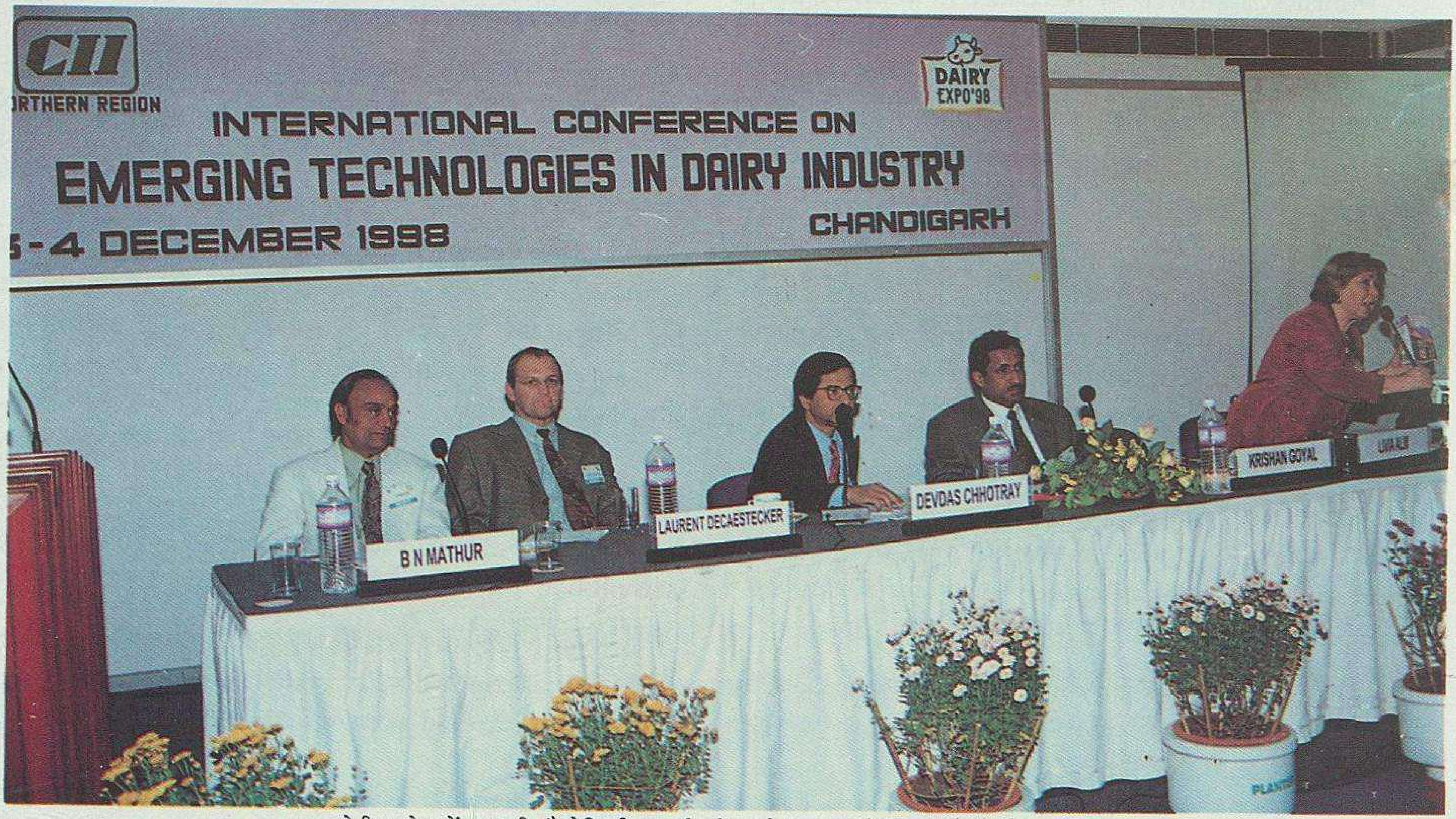

डेरी उद्योग में उभरती प्रौद्योगिकी पर सी.सी.आई. द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन
International conference organised by CII on emerging technologies in dairy industries

Chapter - V

PROMOTIONAL SUPPORT

Under the plan scheme for "Promotion of Food Processing Industries", the Ministry provides assistance to Government Departments, Government Undertakings/Organisations, Non-Government Organisations and Industry Associations for organising exhibitions, workshops, seminars, conferences, symposium with the objective of dissemination of information regarding food processing industries, familiarizing the existing and prospective entrepreneurs with modern techniques of production and packaging, development of market and popularization of products,. It also provides assistance for undertaking studies and surveys for assessment of potential for food processing industries on sectoral and regional basis. The scheme also envisages financial assistance for Entrepreneurial Development Programmes (EDP).

During the year 1998-99, following major exhibitions, workshops, seminars, conferences, studies, entrepreneurial development programmes have been sponsored/assisted by this Ministry.

EXHIBITIONS

The Ministry of Food Processing Industries sponsored the international exposition "Agro-Advantage Maharashtra'98" organised by Government of Maharashtra, during November 6-9, 98 at Mumbai,

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् द्वारा आयोजित ''नेतृत्व में गुणवत्ता-भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के समक्ष चुनौतियां'' नामक सेमिनार
Seminar organised by NPC on "Quality for leadership-challenge before Indian food processing industries"

प्रदर्शन का एक जरिया था। इसने कृषि-उत्पाद के मूल्यवर्धन संबंधी प्रयत्नों को बढ़ावा दिया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने प्रदर्शनी में सक्रिय रूप से भाग लिया। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सचिव तथा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इसमें भाग लिया। प्रदर्शनी में 800 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस अवसर पर अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समूहों ने खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं में निवेश के लिए निश्चित रूचि प्रकट की जिसका निवेश परिव्यय 2000 करोड़ रुपये से ज़्यादा है। महाराष्ट्र सरकार इस संबंध में आगे कार्रवाई कर रही होगी।

मंत्रालय ने बाजार अर्थव्यवस्थाओं के उदारीकरण और भूमंडलीकरण के परिप्रेक्ष्य में देश को पेश आ रही नई समस्याओं पर बहस और विचार के लिए खाद्य उद्योग के प्रमुखों, विश्वविद्यालयों और प्रमुख अनुसंधान संस्थानों के अनुसंधान वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों तथा दूसरे खाद्य व्यवसायियों को एक मंच पर लाने के लिए 24-27 नवम्बर, 1998 के दौरान केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान कैम्पस, मैसूर में खाद्य वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीविद संघ द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सम्मेलन (इफ्कॉन '98) का प्रायोजन किया। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सचिव तथा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इसमें भाग लिया। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सचिव ने फूड एक्सपो '98 के उद्घाटन और शुरूआत की अध्यक्षता की। उन्होंने ''भारतीय खाद्य उद्योग का भूमंडलीकरण-समस्याएँ और परिदृश्य'' पर भी एक व्याख्यान दिया।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने भारतीय उद्योग परिसंघ, उत्तरी क्षेत्र द्वारा 2-6 दिसम्बर, 1998 को चण्डीगढ़ में आयोजित प्रदर्शनी ''एग्रो-टैक 98'' में भाग लिया। प्रदर्शनी ने ''दक्षेस'' देशों के उच्चाधिकार प्राप्त प्रतिनिधि मंडल समेत आगन्तुकों को पारस्परिक बातचीत और व्यापारिक लेन-देन का मौका दिया। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सचिव और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी प्रदर्शनी में भाग लिया। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सचिव ने अंतर्राष्ट्रीय फल और सब्जी प्रसंस्करण सम्मेलन का उद्घाटन किया जिसका आयोजन 2 दिसम्बर, 1998 को हुआ।

द बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गुवाहाटी चैप्टर ने गुवाहाटी में 5-15 दिसम्बर, 1998 के दौरान ''एक्सपो-नार्थ ईस्ट 98'' पर एक प्रदर्शनी और सेमिनार का आयोजन किया। मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम - पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम ने मंत्रालय की ओर से उपर्युक्त आयोजन में भाग लिया। मंत्रालय ने खाद्य प्रसंस्करण पर प्रदर्शनी और सेमिनार आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता दी।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने 5 से 15 अगस्त, 1998 तक नई दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में आयोजित भविष्य के लिए भारत की दृष्टि और पिछले 50 सालों की उपलब्धियों पर एक प्रदर्शनी में भाग लिया। 15 अगस्त, 1998 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा पिछले 50 सालों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत की उपलब्धियों को दर्शाने वाला एक 30 मिनट का दृश्य-श्रव्य प्रदर्शन भी किया गया।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने भारतीय उद्योग संघ जो उत्तर प्रदेश राज्य में लघु उद्योगों का शीर्ष निकाय है, द्वारा मुजफ्फरनगर में 4-5 अक्टूबर, 1998 को आयोजित औद्योगिक प्रदर्शनी में भाग लिया। प्रदर्शनी का उद्घाटन माननीय कृषि राज्य मंत्री श्री सोमपाल ने किया।

सेमिनारें और कार्यशालाएँ

मंत्रालय ने बंगलौर में 27-28 अप्रैल, 1998 के दौरान आयोजित ''मोडिफायड ऐटमॉस्फियर पैकेजिंग एंड कन्ट्रोल्ड ऐटमॉस्फियर स्टोरेज'' पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित करने में प्रसंस्कृत खाद्य केंद्र, बंगलौर को भी सहायता दी।

मंत्रालय ने भारतीय रोलर फ्लोर मिल्स संघ द्वारा 19 जून, 1998 को नई दिल्ली में पैकेजिंग पद्धतियों को बेहतर बनाने में उत्पादकों की मदद करने और उनके उत्पादों के लिए विश्व बाजार तलाशने के लिए ''गेहूँ के आटे की पैकेजिंग'' पर एक कार्यशाला में भाग लिया। कार्यशाला का उद्घाटन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सचिव ने किया।

विश्व लघु एवं मध्यम उद्यमी संघ, नई दिल्ली ने राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के सहयोग से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग तथा दूसरे चुने हुए औद्योगिक क्षेत्र में भारत और दक्षिण एशियाई क्षेत्र के अन्य देशों के बीच प्रौद्योगिकीय व्यापार एवं आर्थिक

to attract investment in the food processing sector.

The exposition was a show-window for display of the latest technology in the field of agro food sector from all over the world. The Ministry of Food Processing Industries took active part in the exposition. Secretary(FPI) and other senior officers of the Ministry also participated in the convention, which attracted over 800 delegates. On this occasion, definitive interests have been shown by many national and international groups for investment in food processing projects with investment outlay exceeding Rs.2000 crores. The Government of Maharashtra will be taking follow up action in this regard.

The Ministry sponsored the International Food Convention (IFCON'98) organised by Association of Food Scientists and Technologists (India), at CFTRI, Mysore during November 24-27, 1998 to bring on a common platform the captains of food industry, research scientists and technologists from universities and premier research institutions and other food professionals to debate and deliberate upon the emerging issues confronting the country in the face of liberalisation and globalisation of market economies. Secretary(FPI) and other senior officers of the Ministry also attended the convention. Secretary(FPI) presided over the inauguration & opening of Food Expo' 98. He also made a a presentation on "Globalisation of Indian Food Industry -Problems & Perspective". The event was attended by a large number of national and international scientists and technologists.

The Ministry of Food Processing Industries participated in the exhibition "Agro-Tech' 98" organised by the Confederation of Indian Industry, Northern Region, at Chandigarh from December 2-6, 1998. The exhibition provided opportunities for interaction and transaction of business to visitors including high-power delegation from SAARC nations. Secretary(FPI) and other senior officers of the Ministry also attended the exhibition. Secretary(FPI) inaugurated the International Conference on Fruit & Vegetable Processing which was held on December 2, 1998. This Ministry provided financial assistance for the event.

The Bengal Chamber of Commerce & Industry Guwahati Chapter, organised an exhibition and a seminar "Expo-North East' 98" at Guwahati from 5-15 December, 1998. NERAMAC, a public sector undertaking under the administrative control of this Ministry, participated in the above event on behalf of the Ministry. The Ministry provided financial assistance for holding this exhibition and seminar on food processing.

The Ministry of Food Processing Industries participated in an exhibition on India's Vision for Future and Achievements of the past 50 years, organised at National Stadium, New Delhi from 5-15th August, 1998. A 30 minute audio visual display, highlighting India's achievements in science and technology over the last 50 years was also shown in the Central Hall of the Parliament House on 15th August, 1998 by the Department of Science & Technology.

The Ministry of Food Processing Industries participated in the Industrial Exhibition organised by Indian Industries Association, which is the APEX body of Small Industries in the State of Uttar Pradesh, at Muzaffarnagar from 4-5th October, 1998. The exhibition was inaugurated by Shri Sompal, Minister of State for Agriculture.

SEMINARS & WORKSHOPS

The Ministry assisted the Centre for Processed Food, Bangalore in organising an international seminar on 'Modified Atmosphere Packaging & Controlled Atmosphere Storage, during April 27-28, 1998 at Bangalore.

This Ministry participated in a "workshop on Packaging of Wheat Flours" organised by the Roller Flour Mills Federation of India at New Delhi on June 19, 1998 to help the manufacturers to improve the packaging methods and explore world market for their products. The workshop was inaugurated by Secretary(FPI).

अखिल भारतीय खाद्य प्रसंस्करणकर्ता संघ का वार्षिक सम्मेलन
Annual conference of All India Food Processors' Association

सहयोग संवर्धन के लिए 27 से 30 जुलाई, 1998 के दौरान एशिया-चीन प्रौद्योगिकी एवं आर्थिक सहयोग एक्सपो '98 (स्टैक्स '98) का नई दिल्ली में आयोजन किया। सम्मेलन में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सचिव ने मुख्य भाषण किया। मंत्रालय ने आयोजन के लिए वित्तीय सहायता भी दी।

किसान शिक्षा एवं कल्याण सोसाइटी द्वारा नई दिल्ली में 20-21 अगस्त, 1998 को फल-सब्जी के विपणन में छोटे और सीमान्त किसानों की समस्याओं पर एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। मंत्रालय ने उक्त सेमिनार के आयोजन के लिए सहायता दी।

मंत्रालय ने भारत निर्यात एवं आर्थिक प्रतिष्ठान द्वारा अखिल भारतीय खाद्य परिरक्षक संघ के सहयोग से 21-22 अगस्त, 1998 को बंगलौर में आयोजित ''प्रसंस्कृत फल और सब्जी उद्योग का भविष्य-शिखर सम्मेलन '98'' पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन को प्रायोजित किया। सम्मेलन का उद्देश्य कृषि और उद्योग के बीच एक मजबूत संबंध बनाने के लिए निर्यातकों, उद्यमियों, सलाहकारों, प्रौद्योगिकीविदों, सांविधिक प्राधिकरणों तथा नीति-निर्माताओं के बीच सूचना का प्रसार तथा प्रसंस्कृत फल और सब्जियों के निर्यात की समस्याओं और संभावनाओं को उजागर करना था।

आई एल एस आई - इंडिया, नई दिल्ली ने ''दक्षेस'' के सदस्य देशों के भीतर खाद्य विनियमनों के सुसंगतीकरण के लिए वैज्ञानिक निवेश उपलब्ध कराने के लिए ''दक्षेस'' क्षेत्र में विनियामक खाद्य गुणवत्ता तथा सुरक्षा उपायों के लिए विज्ञान आधारित उपागम पर कार्यशाला आयोजित की। कार्यशाला का उद्घाटन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सचिव ने किया।

भारत में प्रौद्योगिकी, विपणन और सप्लाई चेन, विदेशी भागीदारी आदि के संबंध में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के अध्ययन

आई.एल.एस.आई. इंडिया द्वारा ''माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिफिकेशन आफ फूड'' पर आयोजित कार्यशाला
Workshop organised by ILSI-India on micronutrients fortification of food

The World Association for Small & Medium Enterprises, New Delhi in collaboration with National Research Development Corporation organised the Asia-China Technology & Economic Cooperation Expo' 98 (SATAX' 98) at New Delhi from 27-30 July, 1998 to promote technological trade & economic cooperation between India and other countries in South Asian Region in FPI & other selected industrial sector. Secretary(FPI) delivered a key note address at the convention. The Ministry also provided financial assistance to the event.

A national seminar on Problems of Small & Marginal Farmers in Marketing of Fruits and Vegetables was organised by the Farmers Education & Welfare Society at New Delhi on the 20th & 21st August 1998. The Ministry provided assistance for holding of this seminar.

The Ministry sponsored a national conference on " The Future of Processed Fruit And Vegetable Industry - Summit '98" hosted by the India Export & Economic Foundation in coordination with All India Food Preservers' Association at Bangalore on August 21-22, 1998. The objective of the conference was dissemination of information amongst the exporters, entrepreneurs, consultants, technologists, statutory authorities and policy makers to build a strong interface between agriculture and industry and to highlight the problems and prospects of exporting processed fruits and vegetables.

ILSI-INDIA, New Delhi, organised a workshop on Science Based Approaches to Harmonisation of Regulatory Food Quality and Safety Measures in SAARC Region to provide scientific inputs for harmonisation of food regulations within member countries of SAARC. The Workshop was inaugurated by Secretary (FPI).

को बढ़ावा देने हेतु दिल्ली विश्वविद्यालय के व्यवसायिक अर्थशास्त्र विभाग ने दिनांक 27 अक्तूबर, 1998 को एक औद्योगिक सेमिनार का आयोजन किया।

मंत्रालय ने भारतीय खाद्य व्यापार एवम् उद्योग परिसंघ, नई दिल्ली को भूमंडलीयकरण की चुनौतियाँ, आत्मविश्लेषण का समय पर दिनांक 14 नवम्बर, 1998 को नई दिल्ली में एक खाद्य प्रसंस्करण शिखर सम्मेलन 98 का आयोजन करने हेतु सहायता दी। सेमिनार का उद्घाटन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सचिव द्वारा किया गया।

अगरतला में 16 नवम्बर, 1998 को पूर्वोत्तर विशेष त्रिपुरा में ''खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की सम्भावना'' पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार का आयोजन इस मंत्रालय की पहल से त्रिपुरा सरकार ने किया। इसका उद्घाटन त्रिपुरा के मुख्य मंत्री द्वारा किया गया और इसमें केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड के प्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में उद्यमियों के अलावा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सचिव और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों, संसद सदस्यों, त्रिपुरा सरकार के मंत्रियों ने भाग लिया। त्रिपुरा में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की सम्भावना पर प्रकाश डालने की दृष्टि से यह सेमिनार बहुत उपयोगी रहा। सेमिनार के आयोजन के लिए आयोजकों को वित्तीय सहायता दी गई।

आई.एल.एस.आई. इंडिया और माइक्रो न्यूट्रिएंट इनिशिएटिव साऊथ एशियन के क्षेत्रीय कार्यालय देश में अधिक मात्रा में कुपोषण जिसका मुख्य कारण विटामिन ''ए'', आयोडीन और ऑयरन की कमी है, से निपटने हेतु 8 से 9 फरवरी 1999 को जयपुर में माइक्रो न्यूट्रिएंट फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहे है। सम्मेलन में भारत और विश्व के विशेषज्ञों ने भारत में खाद्य का माइक्रो-न्यूट्रिएंट शक्तिवर्धन, सुरक्षा, खाद्य शक्तिवर्धन कार्यक्रम के नियामक तथा शैक्षिक समर्थन पहलुओं से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों पर विचार-विमर्श किया।

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, नई दिल्ली फरवरी 1999 के दौरान ''खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों समेत बाजार नेतृत्व की गुणवत्ता'' पर एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन कर रही है। प्रस्तावित सेमिनार भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए बहुत उपयोगी होगा। मंत्रालय ने इस सेमिनार का प्रायोजन किया।

अध्ययन

मंत्रालय ने राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 5 लाख रु. की लागत वाले एक एकीकृत नारियल प्रसंस्करण परिसर की स्थापना हेतु पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन काम सौंपा है। मंत्रालय ने इन द्वीप समूहों में नारियल प्रसंस्करण की सुविधाओं का विकास करने की शुरूआत की है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने तीन राज्यों में कोल्ड चेन लिन्केज पर तकनीकी व्यवहार्यता अध्ययन शुरू करने के कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के प्रस्ताव को सहायता देने के लिए सैद्धान्तिक रूप से मंजूरी दे दी है। यह अध्ययन कृषि मंत्रालय, नीदरलैंड सरकार के अधीन एक अनुसंधान संगठन ए.टी.ओ.डी.एल.ओ. द्वारा किया जा रहा है। संबंधित राज्यों में तकनीकी व्यवहार्यता अध्ययन में फसलोत्तर नुकसान में कमी को सुनिश्चित करने हेतु कुछ विशिष्ट वस्तुओं की पायलेट परियोजना के वास्ते आपूर्ति चेन ग्रिड की एक रूपरेखा हेतु व्यूह रचना तैयार करना शामिल होगा। यह अध्ययन आपूर्ति, वितरण भंडारण और मांग के बीच संतुलन बनाने का एक प्रयास होगा। कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण वित्तीय कठिनाइयों का आंकलन कर रहा है।

मंत्रालय ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए एकीकृत मास्टर प्लान और इस संदर्भ में पूर्वोत्तर कृषि विपणन निगम लिमिटेड की भूमिका पर पूर्वोत्तर औद्योगिक और तकनीकी परामर्शदात्री संगठन लिमिटेड द्वारा एक अध्ययन को प्रायोजित किया है। अध्ययन में इस क्षेत्र में कच्चे माल की उपलब्धता, मौजूदा बुनियादी सुविधा और उपभोक्ता मांग को देखते हुए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास और रणनीति पर बल दिया जाएगा। इससे यह भी पता चलेगा कि उक्त कंपनी को किस प्रकार की भूमिका निभाने की जरूरत है।

The Department of Business Economics, University of Delhi organised an industrial seminar on 27 October 1998 to promote the study of food processing industries in India in regard to technology, marketing and supply chains, foreign participation etc.

The Ministry provided assistance to Confederation of Indian Food Trade & Industry, New Delhi to organise "Food Processing Summit '98" on 14th November 1998 at New Delhi on "Challenges of Globalisation, Time for Introspection". The seminar was inaugurated by Secretary (FPI).

A one-day seminar on "Potential of Food Processing Industries in North-East with Special reference to Tripura" was held on 16th November 1998 in Agartala. The seminar was organised by the Government of Tripura at the initiative of this Ministry. It was inaugurated by the Chief Minister of Tripura and was attended by Ministers of the Government of Tripura, Members of Parliament, Secretary (FPI) and other senior officers of this Ministry besides representatives of CFTRI, NERAMAC and a large number of entrepreneurs. The seminar was very useful in highlighting the potential of food processing industries in Tripura. Financial assistance was provided for organisation of the seminar.

ILSI-INDIA and Micro-nutrient Initiative, South Asian Regional Offices have organised a national conference on 'Micro-nutrient Fortification of Food' at Jaipur from 8-9 Feb.'99 against the background of high incidence of malnutrition in the country particularly resulting from vitamin A, iodine and iron deficiencies. The conference was attended by experts from India and abroad to discuss important issues relating to micro-nutrient fortification of food and safety, regulatory & educational advocacy aspects of food fortification programme in India.

The National Productivity Council, New Delhi is organised a national seminar on "Quality for Leadership-challenges for Indian Food Industry" during February, 1999. The proposed seminar will be very useful for food processing industries in India. This Ministry sponsored this seminar.

STUDIES

This Ministry has entrusted the National Research Development Corporation to conduct a pre-feasibility study for setting up an integrated coconut processing complex in Andaman & Nicobar Islands at a cost of Rs.5.00 lakhs. This Ministry has taken initiative to develop coconut processing facilities in these Islands.

The Ministry of Food Processing Industries has given, in principle, approval to support APEDA's proposal to undertake a techno-feasibility study on cold chain linkages in three States. This study is being done by ATO-DLO, a research organisation under the Ministry of Agriculture, Government of Netherlands. The techno-feasibility exercise in respective states will evolve a strategy for designing a supply chain grid leading to a pilot project for a few specific commodities for ensuring reduction in post-harvest losses and wastage. The study would be an attempt to strike a balance between supply, distribution, storage and demand. The financial implications are being worked out by APEDA.

The Ministry has sponsored a study by the North-Easter Industrial and Technical Consultancy Organisation Ltd. (NEITCO), Guwahati on Integrated Master Plan for food processing industry in the North-Eastern region and also the role of NERAMAC in this context. The study would focus on the strategy for developing the food processing sector in the region after taking into account the availability of raw material, existing infrastructure and consumer demand. This will also bring out the role which needs to be played by North-Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation Ltd. (NERAMAC).

उद्यमी विकास कार्यक्रम

उत्तर प्रदेश कंसलटैंट लिमिटेड, कानपुर आँवला प्रसंस्करण और अमरूद प्रसंस्करण विषय पर क्रमश प्रतापगढ़ और इलाहाबाद में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों पर दो उद्यमी विकास कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। इस कार्यक्रम में राज्य में स्वरोजगार/उद्यमशीलता के सृजन को सहायता मिलेगी। मंत्रालय दोनों कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता दे रहा है।

हरियाणा - दिल्ली औद्योगिक परामर्श लिमिटेड, नई दिल्ली प्रभावी उद्यमियों के साथ-साथ निवेश के भावी अवसरों का पता लगाने हेतु मार्च 1999 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में एक उद्यमी विकास कार्यक्रम का आयोजन करेगा। इस कार्यक्रम से भावी उद्यमियों को लघु यूनिटें स्थापित करने में मदद मिलेगी। मंत्रालय इसके लिए वित्तीय सहायता दे रहा है।

संवर्धनात्मक आदान-प्रदान

मंत्रालय ने जनवरी, 1998 में जर्मनी में आयोजित इंटरनेशनल ग्रीन वीक फेयर 1998 में भाग लिया। इंटरनेशनल ग्रीन वीक फेयर खाद्य उत्पादों हेतु यूरोप का एक प्रमुख उपभोक्ता मेला है और पिछले 6 दशकों से जर्मनी में प्रतिवर्ष इसका आयोजन किया जाता है। इसमें मंत्रालय की भागीदारी पिछली बार की तुलना में इसलिए अधिक थी क्योंकि इस बार कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने इस मंत्रालय के सहयोग से 10 दिन की इसकी सम्पूर्ण अवधि हेतु इस मेले में एक स्टाल लगाया।

मंत्रालय के एक प्रतिनिधि ने मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किए जा रहे एक दिवसीय ''भारत-फ्रांस निवेश मंच'' नामक सम्मेलन के सिलसिले में 20-26 सितम्बर 1998 को फ्रांस गए एक संवर्धन मिशन के एक सदस्य के रूप में भाग लिया। इस मिशन का नेतृत्व उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने किया। इस मिशन का उद्देश्य फ्रांस की मझौले आकार की कुछ कम्पनियों के समक्ष खंडवार प्रतिनिधित्व करना था और उसके बाद प्रत्येक के साथ अलग-अलग बैठके करनी थी। पैकेजिंग समेत खाद्य प्रसंस्करण, सम्मेलन हेतु चुने गए मुख्य क्षेत्रों में से एक है।

भारत की ओर से मंत्रालय में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रभाग के प्रभारी संयुक्त सचिव और इटली की ओर से ए.एन.आई.सी.ए.वी. के अध्यक्ष और फैडरलिमेन्टेरे (इटली खाद्य संघ) के उपाध्यक्ष डा. पास्कुआले डी एक्नजी की सह-अध्यक्षता में मंत्रालय द्वारा 1998 में खाद्य प्रसंस्करण पर भारत-इटली संयुक्त कार्यकारी दल गठित किया गया था। नोडल मंत्रालय होने के कारण मंत्रालय कार्यकारी दल को सचिवालय भी उपलब्ध कराता है। कार्यकारी दल का पहला सत्र 15 और 16 दिसम्बर, 1998 को रोम में बुलाया गया था। दोनों प्रतिनिधि मंडलों ने सहयोग हेतु विभिन्न परियोजनाओं पर सहमति व्यक्त की है।

मंत्रालय ने संबंधित विषय हेतु आयोजित विभिन्न संयुक्त आयोगों/संयुक्त कार्यकारी दलों की बैठकों और अन्य महत्वपूर्ण अंतर मंत्रालय बैठकों में भी भाग लिया और जर्मनी, फिलीपीन्स, वियतनाम, फ्रांस, पौलेंड, बेलारूस, साऊदी अरब, बुल्गारिया, यगोस्लाविया, यूनान, इटली और रूस के विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों के साथ भी विचार विमर्श किया।

* * *

ENTREPRENEURIAL DEVELOPMENT PROGRAMME

Uttar Pradesh Consultants Limited, Kanpur will be organising two Entrepreneurial Development Programmes in Food Processing Industries at Pratapgarh and Allahabad on the subject of Aonwla processing and guava processing respectively. This programme will help in generating self-employment/ entrepreneurship in the State. This Ministry is providing financial assistance for the two events.

Haryana-Delhi Industrial Consultancy Limited, New Delhi will conduct an Entrepreneurial Development Programme in food processing industries in March, 1999 to identify the prospective entrepreneurs as well as potential investment opportunities. The programme will help in setting up of small units by the prospective entrepreneurs. This Ministry is providing financial assistance for this purpose.

PROMOTIONAL INTERACTIONS

The Ministry participated in the International Green Week Fair (IGW) 1998 held in Germany in the month of January 1998. The IGW Fair is a major consumer fair of Europe for food products and is held every year in Germany for the last six decades. The Ministry's participation this time was at a scale larger than that of the previous year, with Agricultural Products Export Development Authority (APEDA) in association with this Ministry having put up a stall for all the 10 days of the fair.

A representative of the Ministry participated as a member in the Promotion Mission led by a senior officer of the Ministry of Industry, Department of Industrial Policy & Promotion, which visited France from 20th to 26th September, 1998. This was in connectiuon with a one day event called "Indo-French Investment Forum" being organised by that Ministry in New Delhi to make a sectoral representation to some of the French medium-sized companies followed by one-to-one meetings. Food processing including packaging is one of the thrust areas selected for the event.

Indo-Italian Joint Working Group on Food Processing was constituted in 1998 by the Ministry under the co-chairmanship of Joint Secretary in charge of International Cooperation Division in the Ministry from Indian side and Dr. Pasquale D' Acunzi, President of ANICAV and Vice-President of Federalimentare (Italian Food Federation) from the Italian side. This Ministry, being the nodal Ministry also provides secretariat to the Working Group. The first session of the Working Group was held in Rome on 15th and 16th December, 1998. The two delegations agreed upon various projects for cooperation.

The Ministry also participated in various Joint Commissions'/Joint Working Groups' meetings and other important inter-ministerial meetings held in connection therewith, and also interacted with various foreign delegations from Germany, Phillipines, Vietnam, France, Poland, Belarus, Saudi Arabia, Bulgaria, Yugoslavia, Greece, Italy and Russia.

* * *

अध्याय - 6

अनुसंधान और विकास तथा मानव संसाधन विकास

अनुसंधान और विकास

मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में सहायक अनुसंधान और विकास कार्यों पर खास जोर देता है विभिन्न अनुसंधान और विकास संस्थानों और प्रयोगशाला / उद्योग परियोजनाओं को धनराशि उपलब्ध कराकर खाद्य प्रसंस्करण में अनुसंधान और विकास का अधार बढ़ाने की कोशिश की जाएगी मंत्रालय अनुसंधान और विकास परियोजनाओं खास तौर पर जिनका संबंध पारम्परिक खाद्यों, नए किस्म के उत्पाद, प्रक्रिया और पैकेजिंग के विकास तथा मूल खाद्य उत्पादन प्रणाली के साथ-साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के सह उत्पादों के इस्तेमाल से हो, के लिए अनुदान देता है।

धान प्रसंस्करण अनुसंधान केन्द्र

तंजावुर स्थित धान प्रसंस्करण अनुसंधान केन्द्र मंत्रालय के नियंत्रणाधीन एक स्वायत्त निकाय है और वहां खाद्य प्रसंस्करण और सह उत्पादों के इस्तेमाल के विभिन्न व्यावहारिक पहलुओं जैसे सुखाने, भंडारण, सेलीकरण, मिलिंग, चौकर स्थिरीकरण और तेल-निस्सारण आदि पर मूल अनुसंधान का काम किया जा रहा है। इस समय इस केन्द्र में निम्नलिखित परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है :-

(क) चावल की क्यूरिंग के लिए मानदंडों को इष्टतम करना।

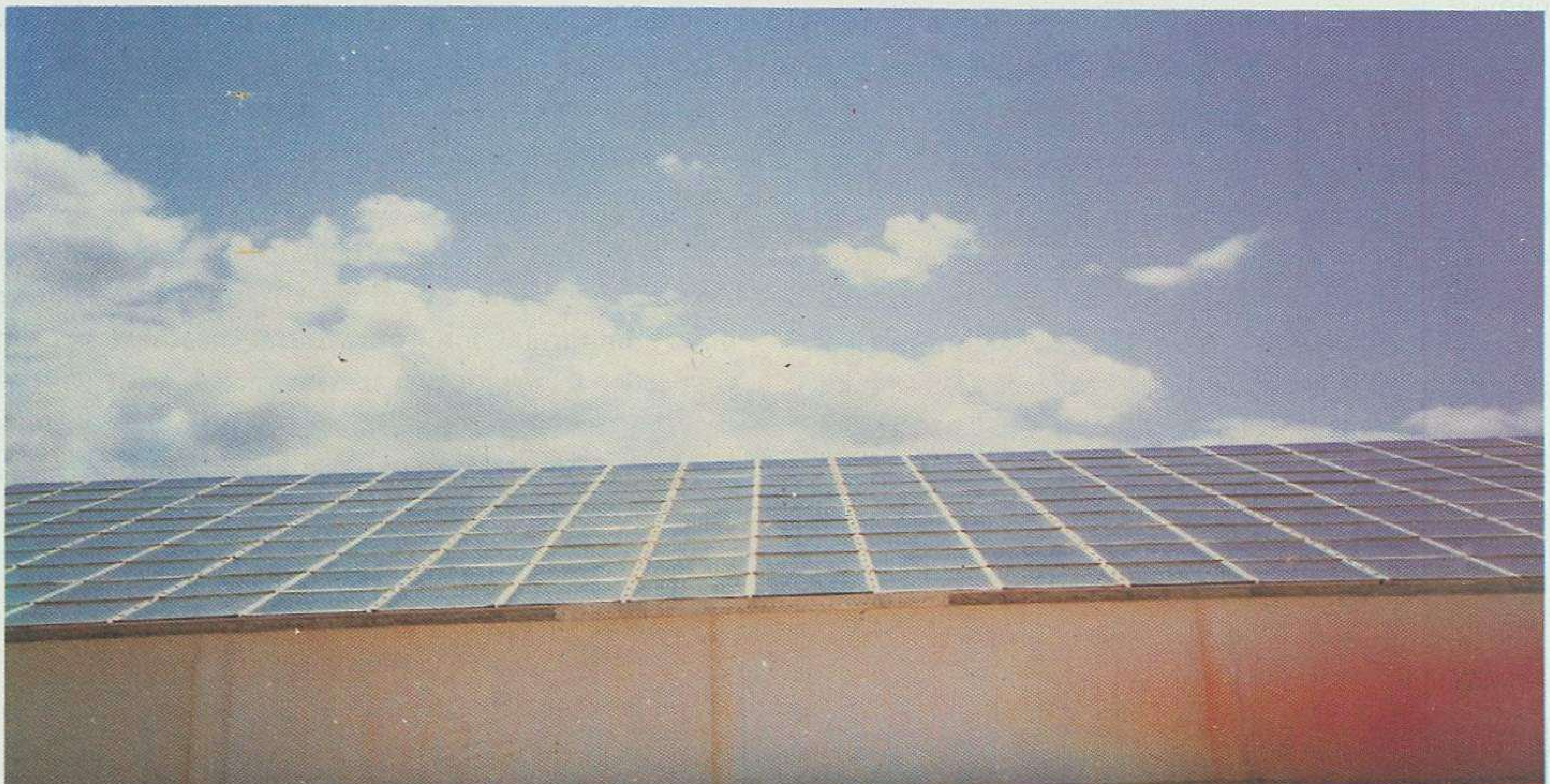

प्रसंस्कृत मिर्च, धनिया बीजों के व्रास्ते गर्म हवा पैदा करने के लिए सौर संग्राहक
Solar Collector for hot air production of processed chillies, corriander seeds

Chapter - VI

R&D AND HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

RESEARCH & DEVELOPMENT

The Ministry gives special emphasis on supporting Research & Development (R&D) activities in the food processing sector. Efforts have been made to widen the R&D base in food processing by involvement of various R&D institutions and by funding of laboratory/industry projects as well as purely industry projects. The Ministry provides grant for R&D projects specially for development of traditional foods, for product, process and packaging innovations, and utilisation of by products of the primary food production system as well as of the food processing industry.

PADDY PROCESSING RESEARCH CENTRE

The Paddy Processing Research Centre(PPRC) at Thanjavur, an autonomous body under the administrative control of the Ministy, is carrying out basic research work on different applied aspects of rice processing and by-products utilisation like drying, storage, parboiling, milling, bran stabilisation and oil extraction, etc. Currently the projects being handled at the Paddy Processing Research Centre(PPRC), Thanjavur are:–

(a) Optimization of parameters for curing of rice.

एक खाद्य प्रसंस्करण यूनिट में गुणवत्ता नियंत्रण विश्लेषण

Quality control analysis in a food processing unit

(ख) ब्राउन राइस के थरमिक प्लूड सेलीकरण का मानकीकरण।

(ग) वाइट कोर सेलीकृत चावल के उत्पादन पर पानी में घुलनशील क्लोराइड का असर।

उक्त केन्द्र के कार्यों का विस्तार अनुसंधान और विकास, प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण, प्रशिक्षण तथा मानव संसाधन विकास, और प्रशासन के लिए किया जा रहा है तथा इसमें प्रौद्योगिकी को बेहतर बनाने तथा विविधीकरण की जरूरत है इसके अलावा, गुणवत्ता नियंत्रण प्रणालियों के प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित जनशक्ति की जरूरत होगी।

अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को सहायता

मंत्रालय ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली को ''हॉप्स निस्सारण के लिए प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी का विकास'' नामक एक अनुसंधान परियोजना शुरू करने के लिए 3.22 लाख रुपये की सहायता दी है। परियोजना का मूल उद्देश्य हॉप्स यानि पत्तों और निस्सारण से मूल्यवर्धित उत्पाद तैयार करने की प्रसंस्करण सुविधा की स्थापना करना है।

वर्ष के दौरान मंत्रालय ने भारतीय पैकेजिंग संस्थान, मुम्बई में ''दूधी हलवा की पैकेजिंग'' और ''केले के चिप्स की पैकेजिंग'' नामक अनुसंधान परियोजना शुरू करने के लिए सहायता दी। इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य इन वस्तुओं की शैल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए उपयुक्त पैकेजिंग प्रणाली का विकास करना है ताकि उनका ठीक तरह से विपणन और वितरण किया जा सके।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान मंत्रालय ने प्लैन्टेरस एनर्जी नेटवर्क, मदुरै को उनकी चालू परियोजना के लिए एक लाख रुपये की सहायता दी। यह परियोजना भावी खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की हॉट एअर की जरूरत, ऊर्जा की मौजूदा खपत का पता लगाने और विशिष्ट ऊर्जा इस्तेमाल प्रक्रिया के सर्वेक्षण से संबंधित है ताकि सौर ऊर्जा के भावी इस्तेमाल पर विचारर किया जा सके।

मानव संसाधन विकास

आशा है कि नौवीं योजना अवधि के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग बहुत तेजी से विकास करेगा। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में जनशक्ति की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए प्रशिक्षित जनशक्ति की मांग भी बहुत बढ़ जाएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि मौजूदा खाद्य उद्योग को प्रौद्योगिकियों को बेहतर बनाने और विविधीकरण की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा, गुणवत्ता नियंत्रण की प्रणाली के प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित जनशक्ति अनिवार्य होगी। संगठित खाद्य उद्योग को तो प्रशिक्षित जनशक्ति की जरूरत होगी लेकिन कुछ मात्रा में दक्षता रखने वाले ऐसे उद्यमियों को भी तैयार करने की जरूरत है जो अपने मौजूदा कार्यों को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का विस्तार कर सकें और उन्हें खपा सकें। दूरदराज के इलाकों में जहां कच्चा माल पास में ही मिल जाता है, खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों के विस्तार को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में प्रसंस्कृत खाद्य वस्तुओं के उत्पादन, पैकेजिंग और वितरण के लिए उद्यमशीलता का विकास करने की जरूरत होगी।

मानव संसाधन विकास संस्थानों को सहायता देने संबंधी स्कीम

वर्ष 1998 - 99 के दौरान मंत्रालय ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में जनशक्ति के विकास संबंधी एक स्कीम शुरू की है जिसके तहत मानव संसाधन विकास संस्थानों को सहायता दी जाती है। इस स्कीम के तहत कालेज, विश्वविद्यालयों, तकनीकी संस्थानों, प्रबंध संस्थानों आदि को खाद्य प्रसंस्करण के डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए लाईब्रेरी, प्रयोगशालाओं आदि जैसी बुनियादी सुविधाओं की स्थापना के लिए 50 लाख रु. तक का अनुदान दिया जा सकता है।

खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रशिक्षण केन्द्र

फल और सब्जी प्रसंस्करण में खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में, दक्षता और उद्यमशीलता के विकास के लिए मंत्रालय ने आठवीं योजना में अधिकांशतः सभी राज्यों में 231 खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिए सहायता दी है। प्राप्त सूचना के अनुसार 123 ऐसे केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है और उनमें लगभग 6,163 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। पता चला है कि कुछ प्रशिक्षुओं ने छोटे/लघु उद्योग क्षेत्र में अपनी खुद की प्रसंस्करण यूनिटें लगा ली हैं। समीक्षाधीन

(b) Standardisation of thermic fluid parboiling of brown rice.

(c) The influence of water soluble chlorides on the production of white core parboiled rice.

The activities of PPRC are being expanded in the field of research & development, transfer of technology, training & human resource development, & administration & require technology upgradation and diversification.

Assistance to R&D Projects

The Ministry has provided assistance of Rs. 3.22 lakhs to Indian Institute of Technology (IIT) Delhi for undertaking a research project entitled "Development of Process Technology for Hops Extraction". The project is basically aimed at setting up of processing facilities to manufacture value added products from hops i.e. pellets and extracts.

During the year, Ministry provided an assistance of Rs. 2.77 lakhs to Indian Institute of Packaging, Mumbai for undertaking research projects entitled "Packaging of Doodhi Halwa" and "Packaging of Banana Chips". The main objective of the projects is to develop appropriate packaging system for increasing shelf life of the products for appropriate marketing and distribution.

During the period under review, the Ministry provided further assistance of Rs. 1 lakh to Planters Energy Network, Madurai for their ongoing project of survey of the potential food processing industries with hot air requirements, working out present energy consumption and specific energy utilisation process in order to arrive at the potential for utilisation of solar energy.

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

During the IXth Plan period, the food processing industry is expected to grow rapidly. The demand for trained manpower to man the growing needs of the food processing industry will also become tremendous. This is more so because the existing food industry will also require technology upgradation and diversification. Besides, for management of quality control systems trained manpower will be essential. While the organised food industry will require formally trained manpower, there will also be need for developing entrepreneurs with certain amount of skill so that they can extend and absorb technologies for upgrading their existing operations. With a view to extend the spread of food processing units in the remote areas closer to the raw material sources, there will be need for developing entrepreneurship in such areas for production, packaging and distribution of processed food products.

Scheme for Assistance to HRD Institutions

During the year 1998-99, the Ministry launched a Scheme for Person Power Development in food processing industries under which assistance is available to HRD Institutions. As per the scheme, a grant upto Rs.50 lakhs can be given to HRD Institutions such as Colleges, Universities, Technical Institutions, Management Institutions etc. to create infrastructural facilities like libraries, laboratories, etc. for running degree/diploma courses and training programmes for food processing.

Food Processing Training Centres

In order to develop skill and entrepreneurship in fruit and vegetable processing, specially in rural areas, Ministry has provided assistance for setting up 231 food processing training centre in the 8th Plan in almost all the states. As many as 123 such training centres are reported to have already been established and training imparted to almost 6,163 trainees. Some of the trainees are reported to have already established their own processing units in tiny/small scale sector. During the period under review (upto 25.2.1999), similar assistance has also been extended for setting up of 31 food processing training centres in various locations in the country.

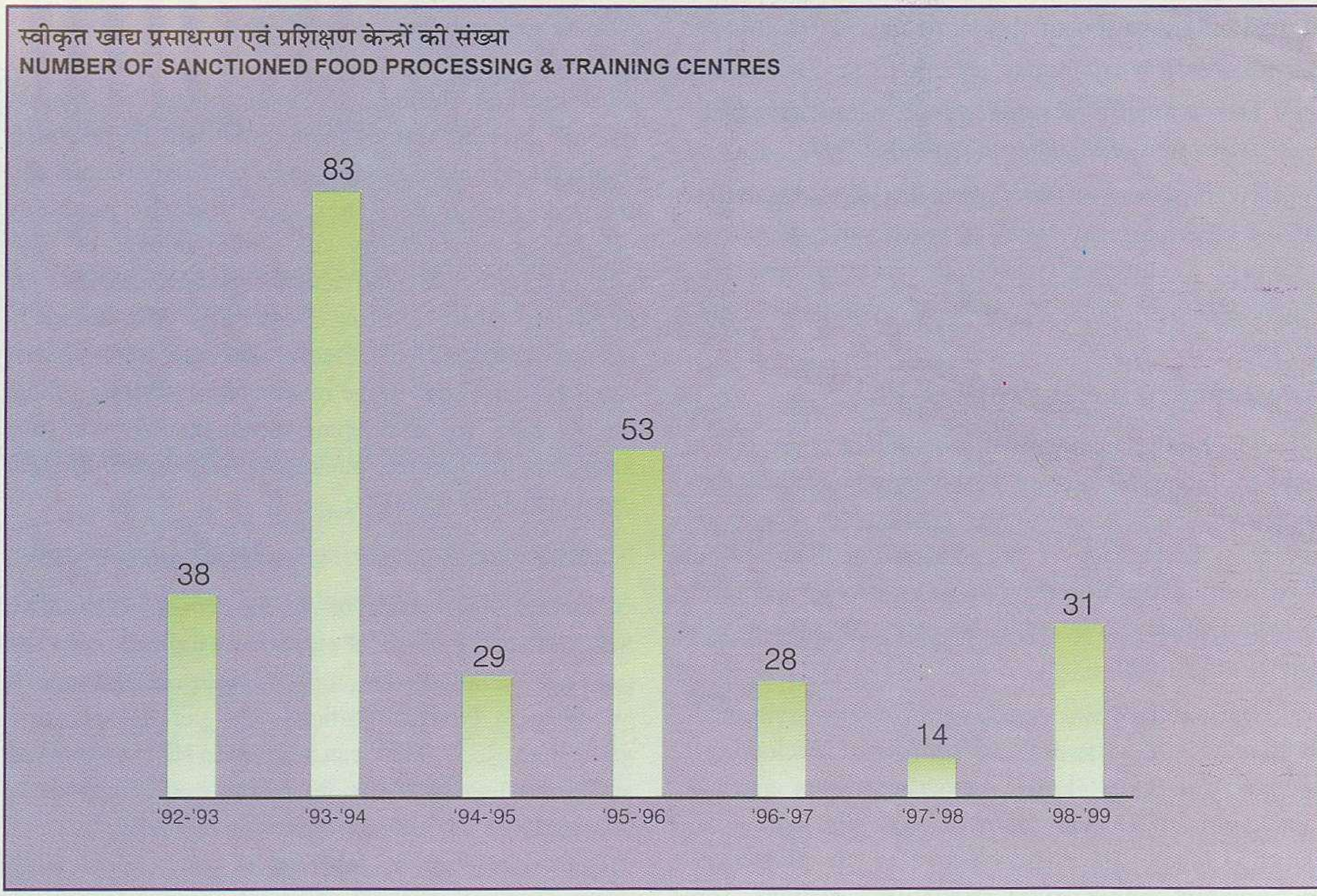

अवधि के दौरान देश में विभिन्न स्थानों पर 31 खाद्य प्रसंस्करण और प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिए भी उक्त सहायता दी गई है।

मंत्रालय ने मांस उद्योग के कामगारों और व्यावसायिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी प्रायोजित किए हैं। आंध्रप्रदेश, असम, मणिपुर, उत्तरप्रदेश, मैसूर, कर्नाटक और तमिलनाडु में मांस और पाल्ट्री प्रसंस्करण में लगभग 1400 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया गया है।

* * *

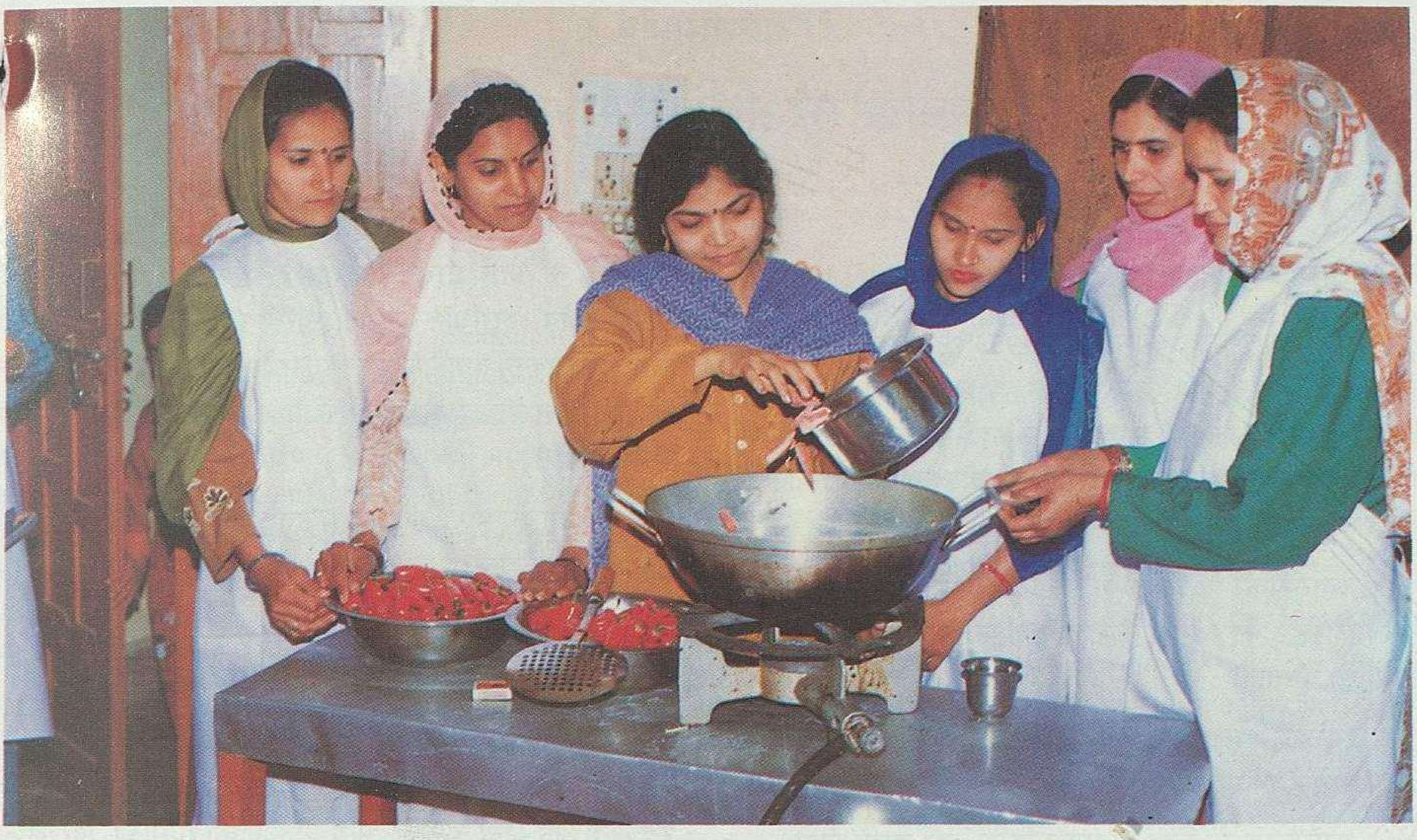

एक खाद्य प्रसंक्करण यूनिट
A Food Processing Training Centre (FPTC)

Ministry has also sponsored training courses for the workers and professionals of meat industry. About 1400 candidates have been trained in meat and poultry processing in the states of Andhra Pradesh, Assam, Manipur, UP, Mysore, Karnataka and Tamilnadu.

* * *

अध्याय - 7

खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता

फल उत्पाद आदेश (एफ पी ओ), 1955

आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 के खंड 3 के तहत प्रख्यापित फल उत्पाद आदेश 1955 का लक्ष्य फल और सब्जी उत्पाद तैयार करने में स्वच्छ और स्वास्थ्यकर दशाओं को विनियमित करना है। सभी फल एवं सब्जी उत्पाद के उत्पादकों को इस आदेश के तहत लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है।

स्वास्थ्यकर परिस्थितियों में बढ़िया किस्म के उत्पाद तैयार करने के लिए यह आदेश निम्नलिखित के वास्ते न्यूनतम जरूरते निर्धारित करता है :-

1. परिसर, वातावरण और कर्मचारियों की स्वच्छ और स्वास्थ्यकर स्थितियां।
2. प्रसंस्करण के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पानी।
3. मशीनरी और उपकरण।
4. उत्पाद मानक।

इसके अतिरिक्त, विभिन्न उत्पादों के लिए परिरक्षकों, योगजों और संदूषकों की अधिकतम सीमाएँ भी विनिर्दिष्ट की गई हैं।

यह आदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली स्थित फल एवं सब्जी परिरक्षण निदेशालय और उसके दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता तथा चेन्नई स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों के द्वारा तथा लखनऊ और गुवाहाटी स्थित उसके उप-कार्यालयों के जरिए भी कार्यान्वित किया जाता है। निदेशालय के अधिकारी उत्पादक यूनिटों का अक्सर निरीक्षण करते हैं और उत्पादकों एवं बाजार से उत्पादों के यादृच्छिक नमूने इकट्ठे करते हैं और फल उत्पाद आदेश के तहत निर्धारित विनिर्देशों के अनुरूप वे हैं या नहीं यह जांचने के लिए उनका प्रयोगशालाओं में विश्लेषण किया जाता है।

केंद्रीय फल सलाहकार समिति जिसमें संबंधित सरकारी विभागों के अधिकारी, तकनीकी विशेषज्ञ, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान, भारतीय मानक ब्यूरो, फल एवं सब्जी उत्पादक तथा प्रसंस्करण उद्योग के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, फल उत्पाद आदेश में संशोधन की सिफारिश के लिए जिम्मेदार हैं।

उद्योग की मांगों और उदारीकृत आर्थिक माहौल को देखते हुए 1997 के दौरान फल उत्पाद आदेश में प्रमुख संशोधन किए गए हैं।

मांस खाद्य उत्पाद आदेश (एमएफपीओ)

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के उपबंधों के तहत लागू मांस खाद्य उत्पाद आदेश, 1973 मांस उत्पादों के लिए स्वच्छता और अन्य जरूरतों, भारी धातुओं की सीमाओं, परिरक्षकों कीटनाशकों, अवशेष इत्यादि का प्रावधान करता है। यह आदेश ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा लागू किया जा रहा था। 31 मार्च, 1998 तक मांस खाद्य उत्पाद आदेश, 1973 के तहत 128 लाइसेंस जारी किए गए थे। कार्य - आबंटन में हाल ही में किए गए संशोधन के अनुसार अब इस आदेश के लिए कृषि मंत्रालय (कृषि तथा सहकारिता विभाग) प्रशासनिक मंत्रालय होगा।

दूध और दूध उत्पाद आदेश (एमएमपीओ)

कृषि मंत्रालय के अधीन पशुपालन तथा डेरी विभाग द्वारा नियंत्रित दूध और दूध उत्पाद आदेश, 1992 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के खण्ड 3 के उपबंध के तहत आम जनता को वांछित गुणवत्ता वाले तरल दूध की बढ़ी हुई सप्लाई बनाए रखने के लिए 9 जून, 1992 को लागू किया गया था। इस आदेश का उद्देश्य डेयरी, मशीनरी और परिसरों के लिए स्वच्छता जरूरतों के अनुपालन तथा दूध और दूध उत्पादों के गुणवत्ता नियंत्रण मानकों को सुनिश्चित करना है। अब तक पशुपालन

Chapter - VII

FOOD SAFETY & QUALITY

Fruit Products Order (FPO), 1955

Fruit Products Order - 1955, promulgated under Section 3 of the Essential Commodities Act - 1955, aims at regulating sanitary and hygienic conditions in manufacture of fruit, vegetable products. It is mandatory for all manufacturers of fruit & vegetable products to obtain a licence under this Order. To ensure good quality products, manufactured under hygienic conditions, the Fruit Product Order lays down the minimum requirements for:

1. Sanitary and hygienic conditions of premises, surroundings and personnel.
2. Water to be used for processing.
3. Machinery and equipment.
4. Product standards.

Besides this, maximum limits of preservatives, additives and contaminants have also been specified for various products.

This order is implemented by Ministry of Food Processing Industries through the Directorate of Fruit & Vegetable Preservation at New Delhi.The Directorate has four regional offices located at Delhi, Mumbai, Calcutta and Chennai, as well as sub-offices at Lucknow and Guwahati. The officials of the Directorate undertake frequent inspections of the manufacturing units and draw random samples of products from the manufacturers and markets which are analyzed in the laboratories to test their conformity with the specifications laid under FPO.

The Central Fruit Advisory Committee comprising of the officials of concerned Government Departments, technical experts, representatives of Central Food Technology Research Institute, Bureau of Indian Standards, Fruit and Vegetable Producers and Processing Industry, is responsible for recommending amendments in the Fruit Product Order. In view of the demands of the industry, and the liberalised economic scenario, major amendments were made in FPO during 1997.

Meat Food Products Order (MFPO)

Meat Food Products Order, 1973 (MFPO) promulgated under the provisions of Essential Commodities Act, 1955 provides for sanitary and other requirements, limits of heavy metals, preservatives, insecticides, residue, etc., for meat food products. This Order was being implemented by Department of Rural Development in the Ministry of Rural Area & Employment. As on 31st March, 1998 there were 128 licences issued under MFPO 1973. As per the recent amendment to the Allocation of Business, Ministry of Agriculture (Deptt. of Agriculture & Cooperation) would now be the Administrative Ministry for this Order.

Milk & Milk Products Order(MMPO)

Milk and Milk Products Order, 1992 administered by the Department of Animal Husbandry & Dairying under Ministry of Agriculture was promulgated on 9th June, 1992 under the provision of Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 with a view to maintain an increased supply of liquid milk of desired quality to the general public. This Order regulates production, supply and distribution of milk and milk products throughout the country. The Order also seeks to ensure the observance of sanitary requirements for dairies, machinery and premises, and quality control standards for milk and milk products. So far, 254

और डेयरी विभाग द्वारा दूध और दूध उत्पाद आदेश 1992 के तहत 254 पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी किए गए हैं।

कोडेक्स एलिमेन्टेरियस

कोडेक्स एलिमेन्टेरियस शब्द लैटिन से लिया गया है। इसका अर्थ खाद्य कोड होता है। खाद्य उत्पादन और व्यापार के लिए मानक विकसित करने में सहायता देने के वास्ते कोडेक्स एलिमेन्टेरियस सभी पक्षों - वैज्ञानिकों, तकनीकी विशेषज्ञों, सरकारों, उपभोक्ताओं और उद्योग प्रतिनिधियों को इकट्ठा करता है। ये मानक, दिशानिर्देश और सिफारिशें उपभोक्ता को बचाने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आसान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए पूरे विश्व में जाने जाते है। वैज्ञानिकों और तकनीकी आधारित मानकों का प्रतिनिधित्व करने वाले कोडेक्स एलिमेन्टेरियस पूरे संसार के खाद्य और व्यापार विशेषज्ञों की सर्वसम्मति का प्रतिनिधित्व करते हैं इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों तथा विश्व व्यापार संगठन द्वारा विवादों के निपटान में इनका अधिकाधिक इस्तेमाल किया जा रहा है।

भारत में कोडेक्स संपर्क स्थल स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, स्वास्थ्य मंत्रालय है फिर भी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय कोडेक्स एलिमेन्टेरियस के कार्यकलापों से निकटता से जुड़ा हुआ है। योजना स्कीमों के तहत विशेषज्ञों के साथ विभिन्न स्तरों के तकनीकी परीक्षण, डेटा बेस सृजन के लिए मंत्रालय में एक कोडेक्स मॉनिटरिंग सेल स्थापित करने के वास्ते 1998-99 में एक स्कीम तैयार की गई है। इसके लिए आबंटित राशि 58.00 लाख रु. है।

25 से 29 मई, 1998 तक ओटावा (कनाडा) में आयोजित खाद्य लेबलिंग पर कोडेक्स समिति की बैठक में मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने भाग लिया।

मंत्रालय के एक अन्य अधिकारी पेरिस (फ्रांस) में 7 से 11 सितम्बर, 1998 तक आयोजित सामान्य सिद्धान्तों पर कोडेक्स समिति की बैठक के लिए भारतीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य थे।

खाद्य गुणवत्ता

मंत्रालय ने खाद्य अनुसंधान तथा विश्लेषण केंद्र, नई दिल्ली को खाद्य उत्पादों के विश्लेषण के लिए इसकी खाद्य विश्लेषण और गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला के उन्नयन के वास्ते 59.2 लाख रु. जारी करने संबंधी एक प्रस्ताव को मंजूरी दी। प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य मौजूदा विश्लेषणात्मक प्रयोगशाला का उन्नयन करना और इसे देश में किसी दूसरी आधुनिक विश्लेषणात्मक प्रयोगशाला के बराबर लाना है।

मंत्रालय ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सी.सी.एस. हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार को विश्वविद्यालय के खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के गुणवत्ता नियंत्रण तथा खाद्य विश्लेषण प्रयोगशाला के उन्नयन के लिए 12.32 लाख रु. जारी करने के एक प्रस्ताव को सिद्धान्त रूप में स्वीकृति दी। प्रस्ताव के मुख्य उद्देश्य विभिन्न पैथोजेन तथा माइक्रोटॉक्सिन्स के सूक्ष्म जैविक परीक्षण करने तथा खनिज, विटामिन, कैलोरी में खाद्य मान, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि समेत पोषणात्मक मापदंडों का आकलन करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की गुणवत्ता आश्वासन और विश्लेषणात्मक सेवाएं उपलब्ध कराना है।

हैजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल प्वाइंट (एचएसीसीपी)

हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल प्वाइंट एक महत्वपूर्ण गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली है। यह प्रणाली सुनिश्चित करती है कि उत्पाद सुरक्षित और अच्छी गुणवत्ता के हों। यह प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बदलते माहौल में नितांत वांछनीय है। मंत्रालय हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल प्वाइंट तथा आई एस ओ 9000 प्रमाणन समेत कुल गुणवत्ता प्रबंधन कार्यान्वयन की लागत का 50% अनुदान देता है जिसकी अधिकतम सीमा 10 लाख रु. है।

मंत्रालय ने एन एस एफ - इंटरनेशनल स्ट्रैटजिक रजिस्ट्रेशन लिमिटेड, यू एस ए, जो एच ए सी सी पी - 9000 प्रमाणित करने वाला मुख्य प्राधिकरण है, के सहयोग से 30 नवम्बर से 5 दिसम्बर, 1998 तक कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा आयोजित एक दिवसीय सेमिनार तथा पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रायोजन किया। एच ए सी सी पी स्वास्थ्य और सुरक्षा की दृष्टि से उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण अपेक्षा और निर्यात के लिए निर्णायक है।

* * *

registration certificates under MMPO, 1992 has been issued by Department of Animal Husbandry and Dairying.

Codex Alimentarius

The term Codex Alimentarius is taken from Latin and means food code. Codex Alimentarius brings together all the interested parties - scientists, technical experts, governments, consumers and industry representatives to help develop standards for food manufacturing and trade. These standards, guidelines and recommendations are recognized worldwide for their vital role in protecting the consumer and facilitating international trade. As Codex Alimentarius represent scientifically and technically based standards that represent a consensus of food and trade experts from around the world, these standards are more and more being used in international trade negotiations and also for settling of disputes by WTO.

The Codex Contact Point in India is the Directorate General of Health Services (DGHS) in the Ministry of Health; however, the Ministry of Food Processing Industries is closely associated with the activities of Codex Alimentarious. Under the Plan schemes, a scheme for setting up of Codex Monitoring Cell in the Ministry with the allocations of Rs.58.00 lakhs in 1998-99 has been formulated for creating data base, technical examination of various standards in association with experts.

A delegation led by a senior officer of this Ministry participated in the meeting of the Codex Committee on Food Labelling at Ottawa from 25th to 29th May, 1998.

Another Officer from this Ministry was Member of the Indian delegation for the meeting of the Codex Committee on General Principles held at Paris, France from 7th to 11th September, 1998.

Food Quality

The Ministry cleared a proposal for release of Rs.59.2 lakhs to Food Research and Analysis Centre, New Delhi for upgradation of its Food Analysis and Quality Control Laboratory for analysis of food products. The main objective of the proposal is to upgrade the existing analytical laboratory and bring it on par with any other modern analytical laboratory in the country.

During the year under review, the Ministry cleared a proposal in principle for release of 12.32 lakhs to CCS Haryana Agricultural University, Hissar for upgradation of quality control and food analysis laboratory of the Department of Food Science and Technology of the University. The main objectives of the proposal are to provide quality assurance and analytical services to the food processing industries, to undertake micro biological examination of various pathogen and mycotoxins and to estimate nutritional parameters including minerals, vitamins, food value in calories, protein carbohydrates, fats etc.

Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)

Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) is an important quality assurance system. This system ensures that the products are safe and of good quality. The system is extremely desirable in view of the changing scenario in the international trade. The Ministry provides grant of 50% subject to a limit of Rs.10 lakhs towards the cost of implementing Total Quality Management (TQM) including HACCP and ISO-9000 certifications.

This Ministry sponsored a one-day seminar and five day training programme organised by APEDA from 30th November to 5th December 1998 in collaboration with NSF-International strategic Registration Limited, USA, which is the main authority for certifying HACCP-9000. HACCP is an important requirement for ensuring the quality of products from health and safety aspects and is crucial for exports.

* * *

अध्याय - 8

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

माडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड

माडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड की स्थापना माडर्न बेकरीज (इं.)लि. के नाम से वर्ष 1965 में हुई थी। कंपनी की विविध गतिविधियों को दर्शाने के लिए इसका मौजूदा नाम नवम्बर, 1982 में अपनाया गया था।

1. पूंजीगत संरचना

31.12.1998 की स्थिति के अनुसार कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 15 करोड़ रु. और प्रदत्त पूंजी 13.01 करोड़ है। कंपनी द्वारा भारत सरकार को अदा की जाने वाली ऋणों की बकाया धनराशि 31.12.97 को 4.73 करोड़ रु. की तुलना में 31.12.1998 को 5.20 करोड़ रु. थी।

2. वास्तविक कार्य निष्पादन

(1) डबलरोटी

कंपनी ने सफेद सैंडविच डबलरोटी, स्वीट ब्रेड, मिल्क ब्रेड, फ्रूटी ब्रेड, ब्राउन ब्रेड और स्पेशन ब्रेड जैसी विभिन्न किस्मों की डबलरोटियों का उत्पादन और विपणन अपनी अहमदाबाद, बंगलौर, मुम्बई, कलकत्ता, चण्डीगढ., कोचीन, दिल्ली (2 यूनिटें), हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, कानपुर, चैन्नई और रांची स्थित 14 ब्रेड बनाने वाली यूनिटों के मार्फत जारी रखा। पिछले वर्ष की अनुरूप अवधि के दौरान 14.37 करोड़ मानक डबलरोटियों (400 ग्राम) की तुलना में अप्रैल 1998 से दिसम्बर 98 के दौरान कुल 12.10 करोड़ मानक डबलरोटियों की बिक्री हुई।

बेकरी वस्तुओं के उत्पादन और विपणन को पहले से अधिक बढ़ाने तथा उचित मूल्य पर पौष्टिक और स्वच्छ परिस्थितियों में तैयार की गई डबलरोटी देश में और अधिक उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने के लिए कंपनी ने विशेषाधिकार प्राप्त कंपनियों के मार्फत डबलरोटी के उत्पादन और बिक्री की अवधारणा विकसित की है। 31.12.1998 को कंपनी की देश के विभिन्न भागों में 22 विशेषाधिकार प्राप्त यूनिटें हैं। कंपनी ने अप्रैल 98 से दिसम्बर 98 के दौरान विशेषाधिकार प्रबंधों के मार्फत 490.20 लाख मानक डबलरोटियों का उत्पादन और बिक्री की। यह ऊपर दी गई कंपनी के द्वारा की गई स्वयं की बिक्री के अलावा है। इससे अप्रैल-दिसम्बर 1997 के दौरान 40 लाख रू की रॉयल्टी राशि की तुलना में कंपनी ने 47.72 लाख रु. रॉयल्टी के रूप में कमाए।

(2) ऊर्जा खाद्य

(क) फल रस बॉटलिंग संयत्र, दिल्ली

संयत्र ने रसिका फल रस पेय के उत्पादन और बिक्री का काम जारी रखा। पिछले वर्ष की अनुरूप अवधि के दौरान 0.76 लाख क्रेटों (200 मि.ली. की 24 बोतलें) की तुलना में अप्रैल से दिसम्बर 98 के दौरान 0.52 लाख क्रेटों की बिक्री हुई।

अप्रैल से दिसम्बर 1998 के दौरान बाटलिंग के काम के अलावा यूनिट ने पिछले साल की अनुरूप अवधि के दौरान 20137 मीट्रिक टन ऊर्जा खाद्य की तुलना में उत्तरप्रदेश सरकार को उनके समाज कल्याण कार्यक्रमों के लिए 22264.625 मीट्रिक टन ऊर्जा खाद्य की भी सप्लाई की। ऊर्जा खाद्य के विकल्प के रूप में कंपनी ने पिछले वर्ष की अनुरूप अवधि के दौरान 44.90 मीट्रिक टन न्यूट्रो बिस्कुटों की तुलना में उक्त अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार को 4707.082 मीट्रिक टन न्यूट्रो बिस्कुटों की भी सप्लाई की।

(ख) रोलर फ्लोर मिल, फरीदाबाद

यूनिट ने अप्रैल से दिसम्बर 98 के दौरान उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों को उनके विभिन्न पोषाहार कार्यक्रमों के लिए पिछले वर्ष की अनुरूप अवधि के दौरान 11543 मीट्रिक टन ऊर्जा खाद्य की तुलना में 10638 मीट्रिक टन ऊर्जा खाद्य की सप्लाई की।

Chapter - VIII

PUBLIC SECTOR ENTERPRISE

MODERN FOOD INDUSTRIES (INDIA) LIMITED

Modern Food Industries (I) Limited was incorporated in 1965 under the name of Modern Bakeries (I) Limited. The present name was adopted in November, 1982 in order to reflect its diversified activities.

1. CAPITAL STRUCTURE

The authorised share capital of the Company is Rs.15.00 crores and the paid up capital is Rs.13.01 crores as on 31.12.1998. The outstanding loans repayable by the Company to the Government of India stood at Rs.5.20 crores as on 31.12.1998 against Rs.4.73 crores on 31.12.1997.

2. PHYSICAL PERFORMANCE

(i) Bread

The Company continued to produce and market different varieties of bread like white sandwich bread, sweet bread, milk bread, fruity bread, brown bread and special bread at its 14 bread manufacturing units located at Ahmedabad, Bangalore, Mumbai, Calcutta, Chandigarh, Cochin, Delhi (2 units), Hyderabad, Indore, Jaipur, Kanpur, Chennai & Ranchi. The total sale of bread during the period April,1998 to December, 1998 was 12.10 crore standard loaves of 400 gms (SL) as compared to 14.37 crores SL during the corresponding period of last year.

For further growth in production and marketing of bakery products and to provide wholesome and hygienically produced bread at reasonable prices to greater number of consumers in the country, the company developed the concept of production and marketing of bread through franchisees. As on 31.12.1998 the company had 22 operating franchisee units in various parts of the country. The company produced and sold 490.20 lakhs SL of breads through franchisee arrangements during April to December, 1998. This is over and above company's own sales reported above. This also brought income to the company in the shape of royalty amounting to Rs.47.72 lakhs as compared to a royalty amount of Rs.40.00 lakhs during the period April to December, 1997.

(ii) Energy Food

(a) Fruit Juice Bottling Plant, Delhi :

The plant continues to produce and market Rasika Fruit Drinks. The sale of Rasika during April to December, 1998 was 0.52 lakh crates (of 24 bottles of 200 ml. each) against 0.76 lakh crates during the corresponding period last year.

During the period April to December,1998, apart from the bottling activity the unit has also supplied 22264.625 MT of Energy Food to UP Government for their Social Welfare Programmes as compared to 20137 MT of Energy Food during the corresponding period of last year. As an alternate item of Energy Food, the unit also supplied 4707.082 MT of Nutro-Biscuits to UP Government during the above period, as compared to 4490 MT during corresponding period of previous year.

(b) Roller Flour Mill, Faridabad

During the period April to December,1998 the unit has supplied 10638 MT of Energy Food to the

(ग) भागलपुर यूनिट

अप्रैल से दिसम्बर 98 के दौरान इस यूनिट ने बिहार सरकार को उनके विभिन्न समाज कल्याण कार्यक्रमों के तहत 1558 मीट्रिक टन ऊर्जा खाद्य की सप्लाई की है जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 2312 मीट्रिक टन ऊर्जा खाद्य की सप्लाई की गई थी।

(घ) कानपुर यूनिट

डबलरोटी तैयार करने के अलावा इस यूनिट ने उत्तर प्रदेश सरकार को उनके विभिन्न समाज कल्याण कार्यक्रमों के लिए अप्रैल से दिसम्बर 1998 के दौरान 6893 मीट्रिक टन ऊर्जा खाद्य की सप्लाई की है जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 4287 मीट्रिक टन ऊर्जा खाद्य की सप्लाई की थी।

(ङ) एक्सट्रूडर खाद्य संयंत्र, जयपुर

यूनिट ने अप्रैल से दिसम्बर 1998 के दौरान राजस्थान सरकार को उनके विभिन्न कल्याण कार्यक्रमों के लिए 2311 मीट्रिक टन एक्सट्रूडिड खाद्य की सप्लाई की थी जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 2689 मीट्रिक टन एक्सट्रूडिड खाद्य की सप्लाई की थी।

3. अनुसंधान और विकास

कंपनी के पास अपनी अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला है। यह प्रयोगशाला वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है। इस प्रयोगशाला की अनुसंधान सुविधाओं का इस्तेमाल बाजार के वास्ते नए उत्पाद विकसित करने और कंपनी द्वारा फिलहाल तैयार की जाने वाली डबलरोटी की किस्मों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कतिपय ब्रेड इम्प्रूवर्स और अन्य सामग्री का पता लगाने और विकास करने के लिए भी किया जाता है।

4. नई परियोजनाएं / कार्यकलाप अथवा उनका विस्तार

कंपनी ने केक के उत्पादन के लिए मुम्बई में अपनी उत्पादन सुविधाएं स्थापित की हैं और कोचीन में एक और केक संयंत्र के वास्ते काम प्रगति पर है।

कंपनी ने पटना में ऊर्जा खाद्य संयंत्र की स्थापना के लिए भूमि और शेड का स्वामित्व ले लिया है।

5. वित्तीय कार्य निष्पादन

कारोबार

कंपनी ने अप्रैल से दिसम्बर 98 के दौरान 11972.23 लाख रु. का कारोबार किया जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 12584.47 लाख रु. का कारोबार किया गया था। 1996-97 में 16682.25 लाख रु. की तुलना में 1997-98 के दौरान 18151.70 लाख रु. का कारोबार किया गया।

कार्यनिष्पादन

कंपनी ने 1997-98 के दौरान 7.64 करोड़ रु. का लाभ कमाया जबकि 1996-97 के दौरान 16.45 करोड़ रु. का लाभ कमाया था। लेकिन कंपनी को पेश आ रही विभिन्न समस्याओं के कारण अप्रैल, 1998 से दिसम्बर 1998 की अवधि के दौरान कोई लाभ नहीं हुआ है। वैसे कंपनी स्थिति को सुधारने के लिए प्रयास कर रही है।

लाभांश

कम्पनी ने वर्ष 1997-98 के लिए इक्विटी के 8.5% की दर से 97.56 लाख रु. के लाभांश का भुगतान किया।

वास्तविक बिक्री

अप्रैल से दिसम्बर, 1997 की तुलना में अप्रैल से दिसम्बर, 1998 की अवधि के दौरान वास्तविक बिक्री तथा 1997-98 के वास्तविक आंकड़े निम्नलिखित अनुसार हैं:-

States of UP and Bihar under their various nutritional programmes as compared to 11543 MT supplied during the corresponding period of last year.

(c) Bhagalpur Unit

During the period April to December, 1998 this unit has supplied 1558 MT of Energy Food to Bihar Government under their various Social Welfare Programmes as compared to 2312 MT supplied during the corresponding period of last year.

(d) Kanpur Unit

Besides production of bread, during the period April to December,1998, this unit has supplied 6893 MT of Energy Food to UP Government for their Social Welfare Programme as compared to 4287 MT supplied during the corresponding period of last year.

(e) Extruder Food Plant, Jaipur

The unit supplied 2311 MT of Extruded Food during April to December, 1998 as compared to supply of 2689 MT during the corresponding period of last year to the various Welfare Programmes of the Government of Rajasthan.

3. RESEARCH AND DEVELOPMENT

The company has its own in-house research and development laboratory. This laboratory is recognized by Department of Scientific and Industrial Research, Ministry of Science and Technology, Government of India. The research facilities at this laboratory are used for development of new products for commercial market and also identification and development of certain bread improvers and other ingredients to improve the quality of existing varieties of bread produced by the company.

4. NEW PROJECTS/ACTIVITIES OR THEIR EXPANSION

The company has set up its own production facilities for manufacture of cakes at Mumbai and the work for another cake plant at Cochin is in progress.

The Company has also taken possession of land and the shed for setting up of Energy Food Plant at Patna.

5. FINANCIAL PERFORMANCE

Turnover

The company's turnover during April to December,1998 is Rs.11972.23 lakhs as compared to Rs.12584.47 lakhs in the corresponding period of last year. The turnover was Rs.18151.70 lakhs during 1997-98 as compared to Rs.16682.25 lakhs during 1996-97.

Performance

The company earned a profit of Rs.7.64 crores during 1997-98 as against a profit of Rs.16.45 crores in 1996-97. However on account of various problems faced by the company during the period April, 1998 to December, 1998 the performance is not satisfactory.

Dividend

The company paid a dividend at the rate of 8.5% of the equity for the year 1997-98 amounting to Rs.97.56 lakhs as against 20% for the year 1996-97.

Physical Sales

Physical sales for the period April to December, 1998 vis-a-vis April to December, 1997 and actuals of 1997-98 are as follows:–

क्रं सं.	ब्यौरे	अप्रैल-दिसम्बर 1998	अप्रैल-दिसम्बर 1997	वास्तविक 1997-98
1.	ब्रेड (करोड़ मानक डबलरोटियाँ)			
	वाणिज्यिक	11.21	12.19	15.99
	पोषाहार	0.89	2.18	3.13
	कुल	12.10	14.37	19.12
2.	फल रस और सॉफ्ट ड्रिंक्स (लाख क्रेटों में)(क्रेट 200 मि.लि. की 24 बोतलें)	0.52	0.76	0.80
3.	एक्सट्रूडिड खाद्य (मी.टन में)	2311.00	2689.06	3866.60
4.	ऊजो खाद्य /केयर खाद्य (मी.टन में)	41366.725	38279.60	56027.25
5.	न्यूट्रो बिस्कुट (मी.टन में)	4705.082	4490.00	6134.07

मार्डन फूड इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बंगलौर यूनिट में सचिव का दौरा
Visit of Secretary in the Bangalore Unit of Modern Food Industries Ltd.

S.No.	Particulars	April-Dec., 1998	April-Dec 1997	Actuals 1997-98
01.	Bread (In crores SL)			
	Commercial	11.21	12.19	15.99
	Nutritional	0.89	2.18	3.13
	Total:	12.10	14.37	19.12
02.	Fruit Juices & Soft Drinks (In lakh crates) [of 24 bottles of 200 ml each]	0.52	0.76	0.80
03.	Extruded Food	2311.00	2689.06	3866.60
04.	Energy Food/ CARE Food (In MT)	41366.725	38279.60	56027.25
05.	Nutro-Biscuits	4707.082	4490.00	6134.07

व्यापार मेले में पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम का स्टाल
NERAMAC stall at Trade Fair

6. अधिकारियो/कर्मचारियों की संख्या

कर्मचारियों की कुल संख्या और अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या तथा उनका प्रतिशत नीचे दिया गया है:-

श्रेणी	कर्मचारियों की सं.	अनुसूचित जाति	प्रतिशत	अनुसूचित जनजाति	प्रतिशत
श्रेणी-1	128	12	9.37	01	0.78
श्रेणी-2	148	14	9.45	01	0.67
श्रेणी-3 क.	1041	142	13.64	27	2.59
श्रेणी-3 ख.	1101	229	20.79	43	3.90

7. विनिवेश

सरकार ने मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इं.) लि. में अपनी इक्विटी के 74% का विनिवेश एक स्ट्रैटजिक पार्टनर को करने का निर्णय किया है। मै. ए एन जेड ग्रिन्डलेज बैंक लिमिटेड को प्रतिस्पर्धात्मक चयन की भूमंडलीय प्रक्रिया के जरिए एक स्ट्रैजिक पार्टनर के चयन में सरकार को सलाह और सहायता देने के लिए भूमंडलीय सलाहकार नियुक्त किया गया है।

पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लि. (नेरामक)

पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लि. (नेरामक), गुवाहाटी की स्थापना मार्च, 1982 में पूर्वोत्तर क्षेत्र में पैदा होने वाले फल और सब्जियों के प्रसंस्करण और विपणन के प्रमुख उद्देश्य से की गई थी। कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 500 लाख रु. और प्रदत्त पूंजी 369 लाख रु. है।

निगम की पहली बड़ी परियोजना अर्थात त्रिपुरा राज्य में नलकटा स्थित अनानास रस सांद्रण संयत्र को जून 1988 में चालू किया गया था। संयंत्र ने अप्रैल-दिसम्बर 98 के दौरान 75.60 मी. टन अनानास रस सांद्रण तैयार किया। जबकि पिछले वर्ष अनुरूप अवधि के दौरान 79.82 मी. टन तैयार किया गया था।

निगम ने काजू का बड़ी मात्रा में प्रसंस्करण शुरू किया है। इसने अप्रैल-दिसम्बर 98 के दौरान 11.94 मी. टन प्रसंस्कृत काजू तैयार किया जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 16.59 मी. टन तैयार किया गया था।

निगम ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रसंस्कृत खाद्यों के छोटे और बहुत छोटे उत्पादों को सक्रिय रूप से समर्थन दिया और उनके उत्पादों की बिक्री की।

निगम ने व्यापार कार्यकलाप भी जारी रखे और छोटे वन उत्पाद, उर्वरक, शहद आदि जैसी वस्तुओं का व्यापार किया।

निगम ने अप्रैल-दिसम्बर 1998 के दौरान 87.49 लाख रु. का कारोबार किया जबकि 1997-98 की समरूप अवधि के दौरान 85.35 लाख रु. का कारोबार किया था।

रूग्ण होने के बाद उक्त निगम औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्संरचना बोर्ड को सौंप दिया गया है। सरकार ने 10.36 करोड़ रुपये के एक पुनर्वास पैकेज को मंजूरी दी है। उक्त बोर्ड द्वारा इसे मंजूरी मिलने के बाद इसे तत्काल लागू कर दिया जाएगा। इससे पूर्वोत्तर राज्यों के सर्वोत्तम लाभ के लिए निगम को उपयुक्त ढंग से चलाना संभव होगा।

31.12.98 की स्थिति के अनुसार कर्मचारियों की संख्या 77 थी। इस तारीख को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या क्रमशः 13 और 9 थी।

* * *

6. STAFF STRENGTH

The details regarding total No. of employees and No. of SC/ST employes and their percentage is given below:–

(in MT)

Category	Total No. of Employees	SC	%age	ST	%age
Category-I	128	12	9.37	01	0.78
Category-II	148	14	9.45	01	0.67
Category-IIIA	1041	142	13.64	27	2.59
Category-IIIB	1101	229	20.79	43	3.90

7. DISINVESTMENT

The Government has decided to disinvest 74% of its equity in MFIL to a Strategic Partner. M/s ANZ Grindlays Bank Ltd. have been appointed as Global Advisor to advice and assist the Government in the selection of a stregic partner through a global process of Competitive selection.

NORTH EASTERN REGIONAL AGRICULTURAL MARKETING CORPORATION LIMITED (NERAMAC)

North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation Ltd. (NERAMAC), Guwahati was set up in March, 1982 with the main objective of undertaking marketing and processing of fruits and vegetables grown in the North Eastern Region. The authorized share capital of the Corporation is Rs.500 lakhs and the paid-up capital is Rs.369 lakhs.

The Corporation's first major project viz. Pineapple Juice Concentrate Plant set up at Naikata in the State of Tripura was commissioned in June, 1988. The plant produced 75.60 MT of Pineapple Juice Concentrate (PJC) during the period April, 1998 to Decembetr, 1998 as compared to 79.82 MT during the corresponding period of last year.

The Corporation has taken up processing of cashew in a big way. It had produced 11.94 MT of processed cashew during the period April, 1998 to December, 1998 as against 16.59 MT during the corresponding period last year.

The Corporation actively supported the small and tiny producers of processed foods of North-Eastern region and marketed their products.

The Corporation also continued with trading activities and undertook trading of commodities such as minor forest products, fertilizers, honey, etc.

The Corporation's turnover during April 1998 to December, 1998 was Rs.87.49 l.akhs as compared to Rs.85.35 lakhs during the corresponding period of 1997-98.

The Corporation after having turned sick was referred to Board of Industrial Finance and Reconstruction (BIFR). The Government has approved a rehabilitation package of Rs.10.36 crores which after getting concurrence of BIFR would be immediately implemented. This will facilitate healthy operation of this Corporation to the best advantage of the North Eastern states.

The staff strength position as on 31.12.1998 was 77. The number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes as on this date was 13 and 9 respectively.

* * *

31.12.1998 की स्थिति के अनुसार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और उसके संबद्ध कार्यालय का संगठनात्मक ढांचा

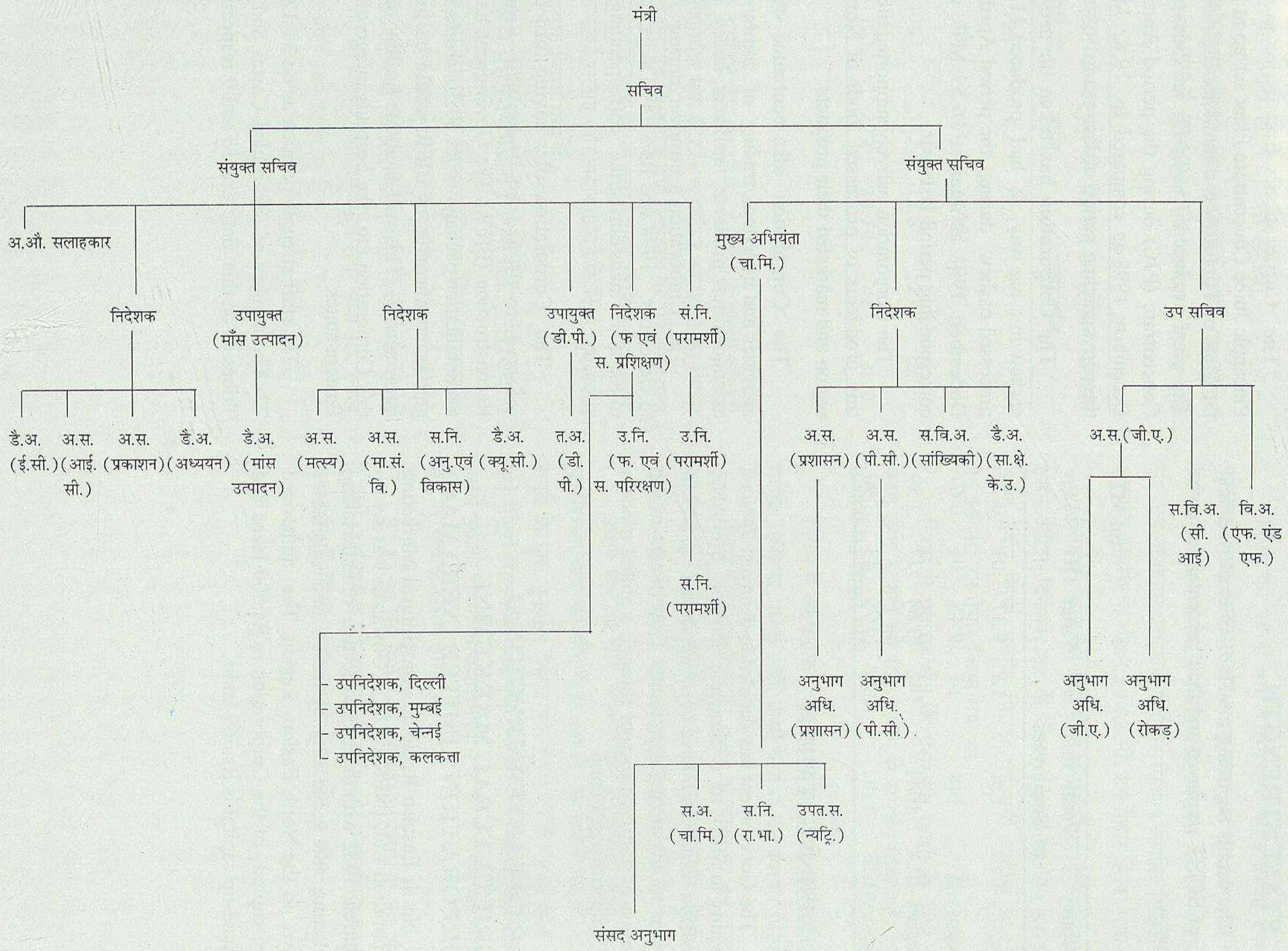

ORGANISATIONAL STRUCTURE OF MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES AND ATTACHED OFFICES AS ON 31.12.1998.

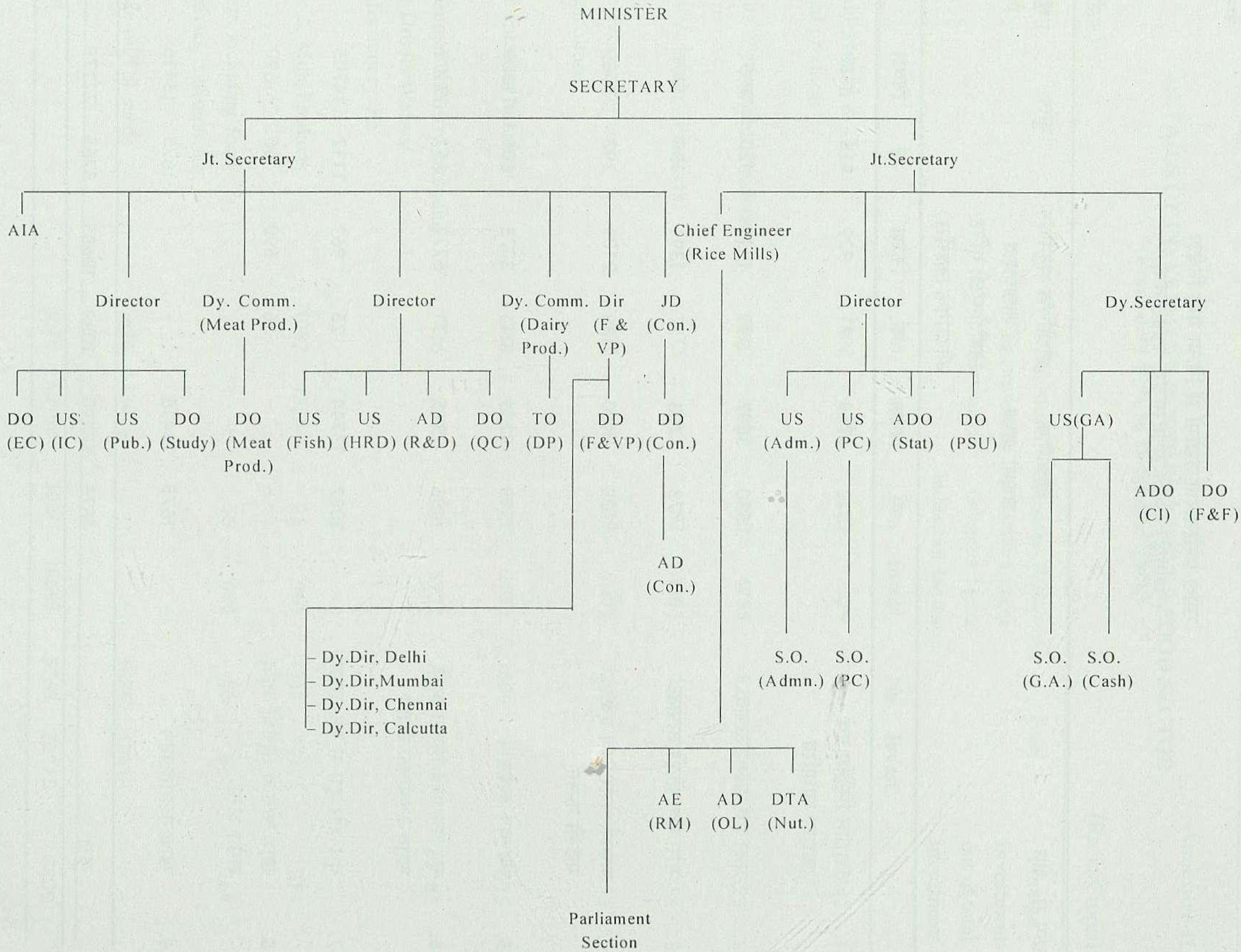

अनुलग्नक-II

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में किया गया निवेश
(जुलाई, 1991 से दिसम्बर, 1998 तक)

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	क्षेत्र	औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन		औद्योगिक अनुमोदन (शतप्रतिशत निर्यातोन्मुखी यूनिट/ औद्योगिक लाइसेंस)		कुल		कुल निवेश में विदेशी निवेश की मात्रा
		सं.	निवेश	सं.	निवेश	सं.	निवेश	
1.	खाद्यान्न मिलिंग एवं खाद्यान्न आधारित	322	5759	91	929	413	6688	542
2.	फल एवं सब्जी उत्पाद	530	3097	390	4755	920	7852	823
3.	मांस एवं पॉल्ट्री उत्पाद	73	383	57	1391	130	1774	458
4.	मछली प्रसंस्करण एवं मछली पालन	105	460	188	2109	293	2569	553
5.	किण्वन उद्योग	398	9236	211	2073	609	11309	615
6.	मृदु पेय/पानी/मिष्ठान आदि समेत उपभोक्ता उद्योग	486	7395	71	5777	557	13172	5183
7.	दूध और दूध से बने उत्पाद	1087	13744	25	961	1112	14705	371
8.	खाद्य योगजों, सुगंधों आदि समेत अन्य	–	–	56	690	56	690	264
9.	खाद्य तेल/तिलहन	1675	13416	–	–	1675	13416	–
	कुल	4676	53490	1089	18685	5765	72175	8809

Annexure-II

DETAILS OF INVESTMENT IN THE PROCESSED FOOD SECTOR
(From July 1991 to December. 1998)

(Rs. in Crores)

S. No.	Sector	Industrial Enterpreneur Memoranda		Industrial Approvals (100% Export Oriented Units/ Industrial Licence)		Total		Foreign Investment out of total Investment
		No.	Invest.	No.	Invest.	No.	Invest.	
1.	Grain Milling & Grain based products	322	5759	91	929	413	6688	542
2.	Fruits & Vegetable Products	530	3097	390	4755	920	7852	823
3.	Meat & Poultry Products	73	383	57	1391	130	1774	458
4.	Fish Processing and Aquaculture	105	460	188	2109	293	2569	553
5.	Fermentation Industry	398	9236	211	2073	609	11309	615
6.	Consumer Industry including Soft Drinks/Waters/ Confectionery etc.	486	7395	71	5777	557	13172	5183
7.	Milk & Milk Products	1087	13744	25	961	1112	14705	371
8.	Others including food additivies, flavours etc.	–	–	56	690	56	690	264
9.	Edible oil/Oil seeds	1675	13416	–	–	1675	13416	–
	Total	4676	53490	1089	18685	5765	72175	8809

1.1.1999 को चावल मिलों की संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	हलर्स	शेलर्स	हलर-सह-शेलर्स	आधुनिक/आधुनिकीकृत चावल मिलें	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	4609	1776	2364	12995	21744
2.	असम	431	14	2133	242	2820
3.	बिहार	4749	63	9	51	4872
4.	गुजरात	1890	159	67	1045	3161
5.	हरियाणा	807	–	–	990	797
6.	हिमाचल प्रदेश	890	1	3	222	1116
7.	जम्मू एवं कश्मीर	–	–	–	–	–
8.	कर्नाटक	9131	462	1103	3674	14370
9.	केरल	13664	–	13	2533	16210
10.	मध्य प्रदेश	3918	201	262	1661	6042
11.	महाराष्ट्र	8199	273	541	1759	10772
12.	मणिपुर	838	–	–	560	1398
13.	मेघालय	252	–	8	–	260
14.	नागालैंड	–	–	–	–	–
15.	उड़ीसा	6398	125	289	552	7364
16.	पंजाब	4416	442	–	1965	6823
17.	राजस्थान	152	2	6	193	353
18.	सिक्किम	17	–	–	–	17
19.	तमिलनाडु	13684	448	1324	3922	19378
20.	त्रिपुरा	1030	6	8	1	1045
21.	उत्तर प्रदेश	5707	562	150	1215	7634
22.	पश्चिम बंगाल	9554	3	72	926	10555
23.	अंडमान एवं निकोबार	116	–	–	–	116
24.	अरुणाचल प्रदेश					
25.	चंडीगढ़	16	–	–	11	27
26.	दादर एवं नगर हवेली	8	1	–	–	9
27.	दिल्ली	2	–	–	27	29
28.	गोवा	670	–	25	56	751
29	मिजोरम	–	–	–	–	–
30.	पांडिचेरी	138	–	8	88	234
31.	लक्षद्वीप	–	–	–	–	–
	कुल	91287	4538	8385	34688	138898

Annexture-III

NUMBER OF RICE MILLS AS ON 1.1.1999

S .No.	Name of State	Hullers	Shellers	Huller Cum Shellers	Modern/ Modernnised Rice Mills	Total
1.	Andhra Pradesh	4609	1776	2364	12995	21744
2.	Assam	431	14	2133	242	2820
3.	Bihar	4749	63	9	51	4872
4.	Gujarat	1890	159	67	1045	3161
5.	Haryana	807	–	–	990	1797
6.	Himachal Pradesh	890	1	3	222	1116
7.	Jammu & Kashmir	–	–	–	–	–
8.	Karnataka	9131	462	1103	3674	14370
9.	Kerala	13664	–	13	2533	16210
10.	MadhyaPradesh	3918	201	262	1661	6042
11.	Maharashtra	8199	273	541	1759	10772
12.	Manipur	838	–	–	560	1398
13.	Meghalaya	252	–	8	–	260
14.	Nagaland	–	–	–	–	–
15.	Orissa	6398	125	289	552	7364
16.	Punjab	4416	442	–	1965	6823
17.	Rajasthan	152	2	6	193	353
18.	Sikkim	17	–	–	–	7
19.	Tamil Nadu	13684	448	1324	3922	19378
20.	Tripura	1030	6	8	1	1045
21.	Uttar Pradesh	5707	562	150	1215	7634
22.	West Bengal	9554	3	72	926	10555
23.	Andaman&Nicobar	116	–	–	–	116
24.	Arunachal Pradesh	–	–	–	–	–
25.	Chandigarh	16	–	–	11	27
26.	Dadra & Nagar Haveli	8	1	–	–	9
27.	Delhi	2	–	–	27	29
28.	Goa	670	–	25	56	751
29	Mizorarn	–	–	–	–	–
30.	Pondicherry	138	–	8	88	234
31.	Lakshadweep					
	Total	91287	4538	8385	34688	138898

अनुलग्नक-IV

1.1.1999 को देश में रोलर आटा मिलों की संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	58
2.	असम	40
3.	बिहार	58
4.	चंडीगढ़	5
5.	दिल्ली	18
6.	गोवा	2
7.	गुजरात	34
8.	हरियाणा	47
9.	हिमाचल प्रदेश	15
10.	जम्मू एवं कश्मीर	19
11.	कर्नाटक	60
12.	केरल	27
13.	मध्य प्रदेश	44
14.	महाराष्ट्र	65
15.	मणिपुर	1
16.	मेघालय	2
17.	नागालैंड	4
18.	उड़ीसा	19
19.	पांडिचेरी	3
20.	पंजाब	48
21.	राजस्थान	10
22.	सिक्किम	3
23.	तमिलनाडु	60
24.	त्रिपुरा	2
25.	उत्तर प्रदेश	127
26.	पश्चिम बंगाल	49
	कुल	820

Annexture-IV

NUMBER OF ROLLER FLOUR MILLS IN THE COUNTRY AS ON 01-01-1999

S No.	Name of the State	Number
1.	Andhra Pradesh	58
2.	Assam	40
3.	Bihar	58
4.	Chandigarh	5
5.	Delhi	18
6.	Goa	2
7.	Gujarat	34
8.	Haryana	47
9.	Himachal Pradesh	15
10.	Jammu & Kashmir	19
11.	Karnataka	60
12.	Kerala	27
13.	Madhya Pradesh	44
14.	Maharashtra	65
15.	Manipur	1
16.	Meghalaya	2
17.	Nagaland	4
18.	Orissa	19
19.	Pondicherry	3
20.	Punjab	48
21.	Rajasthan	10
22.	Sikkim	3
23.	Tamil Nadu	60
24.	Tripura	2
25.	Uttar Pradesh	127
26.	West Bengal	49
	Total	820

समुद्री उत्पाद समेत प्रसंस्कृत खाद्यों का निर्यात

(करोड़ रुपये में)

	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98
अ. प्रसंस्कृत खाद्य					
1. प्रसंस्कृत फल तथा सब्जी	268.50	348.22	491.59	473.78	762.80
2. पशु उत्पाद	374.01	448.38	682.58	803.59	902.16
3. अन्य प्रसंस्कृत खाद्य	456.51	415.49	1171.97	1835.92	1470.37
4. चावल					
(क) बासमती	1061.27	865.39	850.67	1247.63	1683.81
(ख) गैर बासमती	225.44	340.40	3717.41	1924.72	1552.08
ब. समुद्री उत्पाद	2503.62	3575.91	3501.11	4121.36	4642.93
कुल	4889.35	5993.79	10415.33	10407.00	11014.15

Annexure-V

EXPORT OF PROCESSED FOOD INCLUDING MARINE PRODUCTS

(Rs. in crores)

	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98
A. Processed Foods					
1. Processed Fruits and Vegetables	268.50	348.22	491.59	473.78	762.80
2. Animal Products	374.01	448.38	682.58	803.59	902.16
3. Other Processed Foods	456.51	415.49	1171.97	1835.92	1470.37
4. Rice					
(a) Basmati	1061.27	865.39	850.67	1247.63	1683.81
(b) Non-Basmati	225.44	340.40	3717.41	1924.72	1552.08
B. Marine Products	2503.62	3575.91	3501.11	4121.36	4642.93
Grant Total:	4889.35	5993.79	10415.33	10407.00	11014.15

टिप्पणी

NOTES

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
भारत सरकार
पंचशील भवन, अगस्त क्रान्ति मार्ग,
नई दिल्ली-110049.
फोन : 011-6493227, 6492216.
फैक्स : 011-6493228.
ई-मेल : mofpichub.nic.in
वैब-साइट : http://www.nic.in/mofpi

Ministry of Food Processing Industries
Government of India
Panchsheel Bhavan, August Kranti Marg,
New Delhi - 110 049
Tel : 011-6493227, 6492216
Fax : 011-6493228
E-rnail : mofpi@hub.nic.in
Web Site : http://www.nic.in/mofpi

फल तथा सब्जी परिरक्षण निदेशालय के क्षेत्रीय और उप कार्यालय

Regional offices & sub-offices of Directorate of Fruit & Vegetable Preservation

1. उपनिदेशक (फल तथा सब्जी परिरक्षण),
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय,
उत्तरी क्षेत्र, 10/11, जामनगर हाउस,
नई दिल्ली
टेलीफैक्स : 011-3385304.

2. उपनिदेशक (फल तथा सब्जी परिरक्षण),
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय,
दक्षिणी क्षेत्र, सी-1-डी ब्लॉक,
राजाजी भवन, बसंत नगर,
चेन्नई-600090
टेलीफैक्स : 044-4912421.

3. उपनिदेशक (फल तथा सब्जी परिरक्षण)
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय,
पश्चिमी क्षेत्र, आर.नं.-319,
पुरानी सी.जी.ओ. बिल्डिंग,
101/एम.के.मार्ग, मुम्बई-400020
टैलीफैक्स : 022-2056206.

4. उपनिदेशक (फल तथा सब्जी परिरक्षण)
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय,
पूर्वी क्षेत्र, मयंक भवन, टॉप फलोर,
सॉल्ट लेक, कलकत्ता-700091
टेलीफैक्स : 033-3585625

5. वरिष्ठ निरीक्षण अधिकारी (एफ एंड वी.पी.)
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
ए-945/2, पहला तल, इंदिरा नगर कालोनी
लखनऊ - 226016 फोन : 381899

6. कनिष्ठ निरीक्षण अधिकारी (एफ एंड वी.पी.)
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
द्वारा उप निदेशक, कृषि विभाग,
असम सरकार, 6 माइल स्टोन, खानापाडा
गुवाहाटी - 22

1. Dy. Director (F&VP),
Ministry of Food Processing Industries,
Northern Region, 10/11 Jamnagar House,
New Delhi.
Telefax : 011-3385304

2. Dy. Director (F&VP),
Ministry of Food Processing Industries,
Southern Region, C-1- D Block,
Rajaji Bhavan, Basant Nagar,
Chennai - 600 090
Telefax : 044-4912421

3. Dy. Director (F&VP),
Ministry of Food Processing Industries,
Western Region, R. No. - 319,
Old C.G.O. Building,
101/ M.K. Marg, Mumbai - 400 020
Telefax : 022-2056206

4. Dy. Director (F&VP),
Ministry of Food Processing Industries,
Eastern Region, Mayukh Bhavan, Top Floor,
Salt Lake, Calcutta - 700 091
Telefax : 033-3585625

5. Senior Inspecting Officer (F&VP),
Ministry of Food Processing Industries,
A-945/2, 1st Floor, Indira Nagar Colony,
Lucknow - 226016.

6. Junior Inspecting Officer (F&VP),
Ministry of Food Processing Industries,
c/o Dy. Director, Deptt. of Agriculture,
Government of Assam, 6 Milestone, Khanapara,
Guwahati - 22.

Designed and Printed at Veerendra Printers, New Delhi